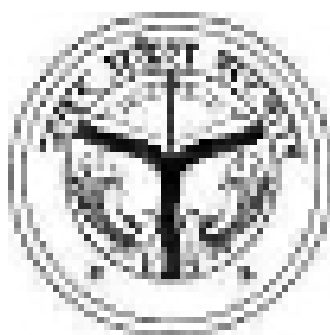




ग्रामीण पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) नीति (ड्राफ्ट)



उत्तर प्रदेश
जुलाई 2026



विवरण तालिका

अध्याय 1 - प्रस्तावना	1
1.2 उत्तर प्रदेश में पेयजल आपूर्ति योजनाएँ (Drinking Water Supply Schemes in Uttar Pradesh) ..	2
1.3 नीति का उद्देश्य (Objectives of the Policy).....	2
1.4 संशोधित O&M नीति की आवश्यकता (Need for Revised O&M Policy).....	3
अध्याय 2 - शासन, विधिक एवं संस्थागत संरचना (Governance, Legal & Institutional Architecture) ..	4
2.1 संस्थागत ढाँचा (Institutional Framework)	4
2.1.1 राज्य स्तर (State Level).....	4
2.1.2 जिला स्तर (District Level).....	4
2.1.3 जिला तकनीकी इकाई (District Technical Unit).....	4
2.1.4 ग्राम स्तर (Village Level).....	5
2.1.5 संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर (Operation and Maintenance Vendors).....	5
2.2 सेवा प्रदाय एवं उपयोगिता विकास दृष्टिकोण (Service Delivery and Utility Development Approach)	5
2.2.1 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ (Roles and Responsibilities of State Drinking Water and Sanitation Mission):	5
2.2.2 उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ (Roles and Responsibilities of Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural):	7
2.2.3 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ (Roles and responsibilities of District Water Supply and Sanitation Mission):.....	9
2.2.4 जिला तकनीकी इकाई की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व (Roles and responsibilities of District Technical Unit).....	10
2.2.5 ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ (Roles and responsibilities of the Village Water & Sanitation Committee(VWSC)):	11
2.2.6 पंचायती राज विभाग की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व (Roles and Responsibilities of the Panchayati Raj Department(PRD)):	13
2.2.7 संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर्स/ठेकेदारों की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व (Roles and Responsibilities of the O&M Vendors/ Contractors):.....	13
2.3 विधिक एवं विनियामक ढाँचा (Legal and Regulatory Framework)	16
2.4 दंडात्मक प्रावधान (Penal Provisions).....	18
2.4.1 विवाद समाधान एवं मध्यस्थता (Dispute Settlement & Arbitration).....	19

(Service Delivery Model & System Resilience).....	20
3.1 संचालन एवं अनुरक्षण मॉडल (O&M Model).....	20
3.1.1 योजनाओं का हस्तांतरण (Transfer of Schemes).....	20
3.1.2 एकल ग्राम योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण (O&M of Single Village Schemes).....	20
3.1.3 बहुल-ग्राम जलापूर्ति योजनाओं (MVS) (भूजल एवं सतही स्रोत आधारित पेयजल योजनाएँ) का संचालन एवं अनुरक्षण.....	21
3.1.4 नागरिक चार्टर की स्थापना (Establishment of Citizen Charter):.....	21
3.1.5 संचालन एवं अनुरक्षण के दौरान तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी (TPIA) की नियुक्ति:.....	21
3.2 जलापूर्ति की समय-सारणी (Schedule of Supply)	21
3.3 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं आपदा प्रत्यास्थता (Emergency Response & Disaster Resilience).22	
3.4 शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism).....	22
अध्याय 4 - जल संसाधन, गुणवत्ता एवं पर्यावरणीय स्थिरता (Water Resource, Quality & Environmental Sustainability).....	24
4.1 योजना की स्थिरता (Sustainability of Scheme).....	24
4.1.1 सेवा स्तर बेंचमार्क (Service Level Benchmark).....	25
4.1.2 पेयजल उपयोग को प्राथमिकता (Priority to Drinking Water Use).....	25
4.1.3 पेयजल आपूर्ति परिसंपत्तियों का संरक्षण (Protection of Drinking Water Supply Assets)	26
4.1.4 अनधिकृत टैपिंग एवं पाइपलाइन क्षति (Unauthorised Tapping and Pipeline Damage).....	26
4.2 स्रोत स्थिरता (Source Sustainability)	26
4.2.1 स्रोत संरक्षण (सतही जल/भूजल) (Source Protection (Surface water/Ground Water))	28
4.3 जल गुणवत्ता रूपरेखा (Water Quality Framework).....	31
4.3.1 नमूना एकत्रीकरण की आवृत्ति (Frequency of Sampling)	32
4.4 जल संरक्षण, अपव्यय एवं वितरण प्रबंधन (Water conservation, Wastage & Distribution Management)	34
4.5 अपशिष्ट जल (Waste Water) एवं ग्रेवाटर प्रबंधन (Greywater Management)	35
4.6 शून्य रिसाव नीति (Zero leakage Policy).....	37
4.7 ऊर्जा ऑडिट (Energy Audit).....	37
अध्याय 5 - वित्तीय, मानव एवं सामुदायिक प्रणालियाँ (Financial, Human & Community Systems).....	38
5.1 वित्तीय स्थिरता (Financial Sustainability)	38
5.1.1 नियमित निगरानी एवं ऑडिट (Regular Monitoring and Audits)	39
5.1.2 प्रमुख वित्तीय निगरानी संकेतक (Key Financial Monitoring Indicators)	39

5.2 क्षमता निर्माण एवं सामुदायिक सहभागिता (Capacity Building and Community Engagement)	39
5.3 मानव संसाधन एवं कौशल विकास (Human Resources and Skilling).....	43
अध्याय 6 - परिसंपत्ति, प्रौद्योगिकी एवं प्रदर्शन निगरानी (Asset, Technology & Performance Oversight)	
.....	44
6.1 परिसंपत्ति एवं भंडार (इन्वेंट्री) प्रबंधन (Asset and Inventory Management).....	44
6.2 प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (Technology and Innovation)	44
6.3 कमांड एवं नियंत्रण केंद्र, प्रदर्शन निगरानी (Command And Control Centre, Monitoring Performance).....	45
अध्याय 7 - पूरक प्रावधान (Ancillary).....	46
7.1 मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन (Evaluation and Impact Assessment).....	46

तालिकाओं की सूची

तालिका 1: शब्द-संक्षेप - Abbreviations	iv
तालिका 2: विनियामक ढाँचा (Regulatory Framework).....	16
तालिका 3: स्थिरता स्तंभ मैट्रिक्स (Sustainability Pillar Matrix).....	24
तालिका 4: स्रोत स्थिरता के लिए अनुश्रवण रूपरेखा (Monitoring Framework for Source Sustainability) .	29
तालिका 5: जल गुणवत्ता प्रबंधन एवं निगरानी हेतु अनुश्रवण ढांचा (Monitoring Framework of Water Quality governance and surveillance)	32
तालिका 6: स्रोत स्थिरता में सुधार के लिए गतिविधि/ निधियों के अभिसरण के अंतर्गत संचालित योजनाएँ (Schemes under which activity/ fund convergence to improve source sustainability).....	36
तालिका 7: मुख्य वित्तीय निगरानी संकेतक (Key Financial Monitoring Indicators).....	39
तालिका 8: सामुदायिक स्तर के लिए क्षमता निर्माण ढाँचा (Capacity building framework for community level).....	40
तालिका 9: जनपद स्तर पर क्षमता समवर्धन ढांचा (Capacity building framework at district level)	41

शब्द-संक्षेप - Abbreviations**तालिका 1: शब्द-संक्षेप - Abbreviations**

ABP	एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम	NCVET	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद
ADP	एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम	JJM	जल जीवन मिशन
Census	भारत की जनगणना	JJM-IMIS	जल जीवन मिशन - एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली
CPHEEO	केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन	JSA	जल सेवा आंकलन
CSC	कमांड एवं सहायता केंद्र	KPI	मुख्य प्रदर्शन संकेतक
CWR	स्वच्छ जल संग्राहक	LAMPS	वृहद बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ
DCSC	जिला कमांड एवं सहायता केंद्र	lpcd	लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
DSS	निर्णय समर्थन प्रणाली	MVS	बहुल-ग्राम योजना
DSSC	जिला स्रोत स्थिरता समिति	NSQF	राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क
DSSAP	जिला स्रोत स्थिरता कार्य योजना	NRW	गैर-राजस्व जल
DTU	जिला तकनीकी इकाई	NJJM	राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
DWSM	जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन	NJM	नल जल मित्र
DPI	जिला सार्वजनिक आधारभूत संरचना	OHT	ओवरहेड टैंक
FTK	फील्ड परीक्षण किट	O&M	संचालन एवं अनुरक्षण
FRC	मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन	PACS	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
FHTC	कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन	PRD	पंचायती राज विभाग
GPs	ग्राम पंचायतें	PPP	सार्वजनिक निजी भागीदारी
GIS	भौगोलिक सूचना प्रणाली	RPWSS	ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजना
GPDP	ग्राम पंचायत विकास योजना	RWH	वर्षा जल संचयन
IoT	इंटरनेट ऑफ थिंग्स	SBM-G	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
SCSC	राज्य कमांड एवं सहायता केंद्र	SCADA	सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन
SHG	स्वयं सहायता समूह	UP	उत्तर प्रदेश
SIP	सेवा सुधार योजना	VB-G RAM G	विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)
SLB	सेवा स्तर बेंचमार्क	VSSC	ग्राम स्रोत स्थिरता समिति

SSC	स्रोत स्थिरता समिति	VWSC	ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति
SWSM	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन - उत्तर प्रदेश	WASH	जल, स्वच्छता एवं सफाई
SVS	एकल ग्राम योजना	WQM&S	जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी
SOP	स्टेन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर	WQMIS	जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली
UPJN (Rural)	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)	WTP	जल उपचार संयंत्र

परिभाषाएँ - DEFINITION

'एक्वीफर-आधारित नियोजन (Aquifer-Based Planning)': एक जलभूवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो एक्वीफर मानचित्रों एवं उपकरणों (जैसे NAQUIM, India-WRIS), भूजल आकलन डेटा एवं एक्वीफर विशेषताओं का उपयोग करते हुए भूजल-आधारित जल आपूर्ति योजनाओं के अभिकल्पन एवं प्रबंधन के लिए अपनाया जाता है।

'लाभार्थी जनसंख्या (Beneficiary Population)': वह जनसंख्या है जिसके लिए योजना बनाई गई है।

'कमिशनिंग (Commissioning)' ओवरहेड टैंक, ट्यूबवेल एवं वितरण प्रणाली के निर्माण की समाप्ति के पश्चात योजना के अंतर्गत जलापूर्ति के अंतिम बिंदु तक जल पहुँचाने की प्रक्रिया है।

'डिजिटल ट्विन' (Digital Twin) किसी भौतिक जल आपूर्ति प्रणाली की एक गतिशील आभासी प्रतिकृति है जिसमें वास्तविक-समय एवं ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके प्रणाली जिसके अन्तर्गत जल स्रोत, शोधन संयंत्र, भंडारण संरचनाएँ, संचरण प्रणाली, वितरण प्रणाली एवं सेवा क्षेत्र शामिल हैं के प्रदर्शन का अनुकरण, अनुश्रवण एवं अनुकूलन करती है।

'जिला कमांड एवं सहायता केंद्र (District Command and Support Centre - DCSC)' DWSM के अंतर्गत स्थापित परिचालन केंद्र/प्रणाली है जो जिले में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की क्रियाशीलता, जल गुणवत्ता अलर्ट, शिकायत ट्रेकिंग एवं समन्वित सुधारात्मक कार्रवाई की वास्तविक समय पर निगरानी प्रदान करता है।

'जिला तकनीकी इकाई (District Technical Unit - DTU)' जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अंतर्गत गठित एक तकनीकी समिति है जो ग्राम पंचायत एवं ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति स्तरीय सूक्ष्म उपयोगिताओं को निरंतर तकनीकी सहायता प्रदान करती है। जिला तकनीकी इकाई माइक्रो यूटीलिटी (अंतःग्राम अवसंरचना) एवं मैक्रो यूटीलिटी (बल्क/बाह्यग्राम अवसंरचना) के मध्य समन्वय स्थापित करती है, योजना की कमिशनिंग एवं हस्तांतरण का प्रबंधन करती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर परिसम्पतियों की मैपिंग स्रोत के स्थायित्व का नियोजन तथा जिला कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर का परिचालन सुनिश्चित करती है।

'ऊर्जा ऑडिट (Energy Audit)' संपूर्ण जल आपूर्ति प्रणाली में ऊर्जा खपत का व्यवस्थित मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य ऊर्जा हानियों की पहचान करना, पंपों की परिचालन दक्षता में सुधार करना एवं आवश्यक सेवा स्तर बनाए रखते हुए विद्युत लागत कम करना है।

'फील्ड परीक्षण किट (Field Test Kit - FTK)' एक पोर्टेबल मल्टीपल पैरामीटर किट है जिसका उपयोग पेयजल के प्रारंभिक स्क्रीनिंग के रूप में भौतिक-रासायनिक संदूषण की जाँच के लिए किया जाता है।

'मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन (Free Residual Chlorine - FRC)' BIS 10500 के अनुसार 0.2 mg/l की मात्रा प्रारंभिक अनुप्रयोग के बाद एक निश्चित अवधि या संपर्क समय के पश्चात जल में शेष रहने वाली क्लोरीन की न्यून मात्रा है। यह उपचार के पश्चात सूक्ष्मजीवी संदूषण के जोखिम के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है।

'क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection - FHTC)' वह घरेलू नल कनेक्शन है जो वितरण बिंदु पर नियमित आधार पर पर्याप्त मात्रा (न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन), निर्धारित गुणवत्ता (BIS IS:10500 के अनुरूप) का पीने योग्य जल प्रदान करता है।

'क्रियाशीलता आकलन (Functionality Assessment)' यह निर्धारित करने के लिए एक समयबद्ध/नियमित संरचित मूल्यांकन है कि क्या ग्राम पेयजल आपूर्ति योजना पूर्व-निर्धारित सेवा स्तर मापदंडों को पूरा करने वाली सेवाएँ प्रदान कर रही है, जैसे: आपूर्ति की पर्याप्तता (≥ 55 lpcd), गुणवत्ता अनुपालन (BIS IS:10500), आपूर्ति की नियमितता।

'GIS आधारित परिसंपत्ति मानचित्रण' GPS-सक्षम मोबाइल अनुप्रयोगों एवं उपग्रह चित्रों का उपयोग करके सभी ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति अवसंरचना परिसंपत्तियों (स्रोत, WTP, पंपिंग स्टेशन, MBR, ZBR, OHT, वितरण पाइपलाइन एवं घरेलू कनेक्शन) की भू-टैगिंग या भू-संदर्भित करने की प्रक्रिया है।

'ग्रेवाटर प्रबंधन (Greywater Management)' घरेलू गतिविधियों (रसोई, स्नान, कपड़े धुलाई) से उत्पन्न घरेलू अपशिष्ट जल (शौचालय अपशिष्ट/ब्लैकवाटर को छोड़कर) का संग्रह, उपचार एवं सुरक्षित पुनः उपयोग प्रबंधन है।

'भूजल-आधारित पेयजल योजना (Groundwater-Based Drinking Water Scheme)' वह पाइपड पेयजल योजना है जिसमें पेयजल का स्रोत भूजल है।

'ग्राम सभा (Gram Sabha)' किसी ग्राम पंचायत में निवास करने वाले व्यक्तियों का निकाय है।

'ग्राम पंचायत (In-Village Infrastructure)' उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 एवं 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित स्व-शासन की संस्था है।

'अंतःग्राम अवसंरचना' आंतरिक वितरण नेटवर्क, सेवा कनेक्शन एवं अन्य घटक जिसके माध्यम से योजना से आच्छादित उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करता है।

'जल अर्पण (Jal Arpan)' पेयजल योजना को औपचारिक रूप से चालू करने एवं सामुदायिक हस्तांतरण हेतु समारोह/प्रोटोकॉल है जिसके अंतर्गत 15-दिवसीय न्यूनतम सफल ट्रायल रन के पश्चात पूर्ण ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजना को दीर्घकालिक स्वामित्व, संचालन एवं अनुरक्षण के लिए कार्यदायी एजेंसी द्वारा ग्राम पंचायत को आधिकारिक रूप से हस्तांतरित किया जाता है।

'जल सेवा आंकलन (Jal Seva Aankalan - JSA)' ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति-नेतृत्व वाला एक डिजिटल स्व-मूल्यांकन उपकरण एवं तंत्र है जो ग्राम स्तर पर ग्रामीण जल आपूर्ति

प्रणालियों की क्रियाशीलता, पर्याप्तता, गुणवत्ता अनुपालन, संस्थागत तत्परता एवं वित्तीय स्थायित्व का मूल्यांकन करता है।

'अनुरक्षण (Maintenance)' अवसंरचना, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण एवं अन्य संचालन सुविधाओं को आदर्श स्थिति में रखना है। इसमें निवारक, नियमित एवं टूट-फूट मरम्मत इत्यादि शामिल हैं।

'बहुल-ग्राम योजना (Multi Village Scheme - MVS)' एक से अधिक राजस्व गाँव की जनसंख्या को लाभ पहुँचाने वाली पाइपड पेयजल आपूर्ति योजना है।

'मैक्रो यूटीलिटी (Macro Utility)' राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या क्षेत्रीय स्तर की पेशेवर निकाय (पैरास्टेटल एजेंसी, PHED, जल निगम या स्पेसलाईज्ड यूटीलिटी) है, जो वाहय ग्राम जल आपूर्ति परिसंपत्तियों- यथा इन्टेक स्ट्रक्चर्स, जल शोधन संयंत्र (WTP), जल वितरण प्रणाली, जलाशय (Reservoir) आदि के नियोजन, विकास, प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रदेश में 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण) मैक्रो यूटीलिटी के दायित्वों का निर्वहन करेगा।

'माइक्रो यूटीलिटी (Micro Utility)' ग्राम-स्तरीय विकेंद्रीकृत जल सेवा वितरण इकाई है, जो ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) को ग्राम के अन्तर्गत पेयजल की आपूर्ति, यूजर शुल्क की वसूली, अन्तःग्राम अवसंरचनाओं का प्रबन्धन, छोटी मरम्मत एवं अनुरक्षण, जल गुणवत्ता का अनुश्रवण तथा वित्तीय प्रबन्धन करने के लिए सेवा प्रदाता के रूप में नामित करके गठित किया जाता है।

'नल जल मित्र (Nal Jal Mitra - NJM)' स्थानीय रूप से प्रशिक्षित एवं NCVET-प्रमाणित बहु-कौशल्युक्त संचालन एवं अनुरक्षण कर्मी से है, जो NSQF स्तर-4 का प्रशिक्षण (जिसमें पंप संचालन, बुनियादी प्लंबिंग मरम्मत, नियमित अनुरक्षण, पाइपलाइन/वितरण नेटवर्क का रखरखाव, जल गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टिंग तथा शिकायतों का निवारण (ग्रिवांस मैनेजमेंट) शामिल है) किया हो तथा 'जल वितरण संचालक' (Jal Vitaran Sanchalak) की भूमिका निभाता है तथा यह ग्राम स्तरीय जलापूर्ति योजना के संचालन एवं रखरखाव हेतु तैनात होता है।

'गैर-राजस्व जल (Non-Revenue Water - NRW)' से आशय वितरण प्रणाली में प्रविष्ट कराए गए उपचारित (शोधित) जल की मात्रा और उपभोक्ताओं को बिल की गई अथवा उनके खाते में दर्ज जल की मात्रा के बीच के अंतर से है। गैर-राजस्व जल (NRW) में वास्तविक हानियाँ (पाइपों, जोड़ों एवं जल भण्डारण संरचनाओं से होने वाला भौतिक रिसाव), आभासी हानियाँ (जल मीटरों की अशुद्धियाँ तथा अनाधिकृत कनेक्शन) तथा बिना बिल के अनाधिकृत जल उपभोग शामिल है।

'वाहय ग्राम अवसंरचनाओं (Out-Village Infrastructure)' से आशय ऐसी अवसंरचना से है जिसके अंतर्गत जल शोधन संयंत्र (WTP) से उपचारित जल का मास्टर बैलेंसिंग जलाशय (MBR) तक तथा मास्टर बैलेंसिंग जलाशय (MBR) से ओवरहेड टैंक (OHT) तक स्थानांतरण, सहित सभी संबद्ध ट्रांसमिशन पाइपलाइनें (Transmission Lines) शामिल हैं।

'संचालन एवं अनुरक्षण नीति (Operation and Maintenance Policy)' राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपड पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित है। 'संचालन' का अर्थ है पाइपड पेयजल योजनाओं को नियमित रूप से संचालित करना। 'अनुरक्षण' का अर्थ इन योजनाओं का उचित रखरखाव, मरम्मत तथा उनकी कार्यक्षमता को बनाए रखना अर्थात्, संचालन एवं अनुरक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों की पाइपड पेयजल योजनाओं को सुचारु रूप से संचालित करने तथा उनकी दीर्घकालिक कार्यक्षमता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सभी गतिविधियाँ शामिल हैं।

'संचालन (Operation)' से आशय कुशल/तकनीकी कार्मिकों द्वारा पेयजल योजनाओं के विभिन्न घटकों, जैसे-हेडवर्क्स, पम्पिंग इकाइयाँ, जल शोधन संयंत्र, राइजिंग/फीडर मेन पाइपलाइनें, सर्विस जलाशय तथा

जल वितरण प्रणाली के नियमित दैनिक संचालन से है। इसके अंतर्गत चौकीदारी एवं सुरक्षा (Ward and Watch) तथा विद्युत देयकों के भुगतान से संबंधित दायित्व भी सम्मिलित हैं।

संचालन समिति (Operation Committee) - एकल ग्राम योजनाओं के संबंध में संचालन समिति का तात्पर्य ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति से है।

‘निवारक अनुरक्षण (Preventive Maintenance)’ से आशय ग्रामीण पाइपड जलापूर्ति प्रणालियों के विभिन्न घटकों का पूर्व नियोजित एवं आवधिक निरीक्षण, सर्विसिंग, परीक्षण तथा आवश्यकतानुसार समय पर मरम्मत अथवा प्रतिस्थापन करने से है, ताकि प्रणाली की विफलताओं को रोका जा सके, जल की गुणवत्ता एवं प्रणाली की कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके, सेवा व्यवधानों को न्यूनतम किया जा सके तथा दीर्घकाल तक पेयजल सेवाओं की विश्वसनीय एवं सतत आपूर्ति बनायी रखी जा सके।

‘पंचायत क्षेत्र (Panchayat Area)’ से आशय ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र एवं भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से है।

‘राज्य कमांड एवं सहायता केंद्र (State Command and Support Centre - SCSC)’ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधीन कार्य करता है तथा जिला कमांड एवं सहायता केंद्रों (District Command and Support Centres-DCSCs) से प्राप्त सूचनाओं का समेकन कर राज्य स्तर पर संचालन संबंधी पर्यवेक्षण एवं निगरानी प्रदान करता है।

‘सतही जल आधारित पेयजल योजना (Surface Water-Based Drinking Water Scheme)’ से आशय ऐसी पाइपड पेयजल योजना से है, जिसमें पेयजल का स्रोत नदी, जलाशय, बाँध, नहर, झील अथवा अन्य सतही जल स्रोत होता है।

‘एकल ग्राम योजना (Single Village Scheme-SVS)’ से आशय ऐसी पाइपड पेयजल आपूर्ति योजना से है, जिसका लाभ केवल एक राजस्व ग्राम की जनसंख्या को प्राप्त होता है।

‘स्वच्छता निरीक्षण / स्वच्छता सर्वेक्षण (Sanitary Inspection / Sanitary Survey)’ से आशय जलापूर्ति सुविधा का स्थल पर किया जाने वाला निरीक्षण है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म/जीवजनित (Microbiological) संदूषण के वास्तविक एवं संभावित स्रोतों की पहचान करना, जलापूर्ति प्रणाली की भौतिक संरचना एवं संचालन का मूल्यांकन करना तथा बाह्य पर्यावरणीय कारकों (जैसे शौचालय की स्थिति/स्थान) का आंकलन करना है।

‘सेवा सुधार योजना (Service Improvement Plan-SIP)’ से आशय जल सेवा आकलन के निष्कर्षों के आधार पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSSM) तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSSM) द्वारा तैयार की गई एक संरचित सुधारात्मक कार्ययोजना से है, जिसमें सेवा प्रदायगी से संबंधित कमियों (जैसे-अवसंरचनात्मक, परिचालन, वित्तीय एवं संस्थागत) की पहचान की जाती है तथा जलापूर्ति सेवाओं की बहाली अथवा सुधार के लिए समयबद्ध सुधारात्मक उपाय, उत्तरदायी संस्था तथा आवश्यक संसाधनों का निर्धारण किया जाता है।

‘सेवा स्तर मानक (Service Level Benchmarks-SLBs)’ से आशय जलापूर्ति सेवाओं की गुणवत्ता एवं दक्षता का मापन करने के लिए नियामक अथवा कार्यक्रम प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक प्रदर्शन संकेतकों (Quantitative Performance Indicators) से है।

‘स्रोत संरक्षण क्षेत्र’ (Source Protection Zone) से आशय पेयजल स्रोत (बोरवेल, ट्यूबवेल, झरना अथवा सतही जल ग्रहण बिंदु) के चारों ओर निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र से है, जिसके भीतर भूमि उपयोग को विनियमित किया जाता है तथा पेयजल स्रोत को प्रदूषण से सुरक्षित रखने के लिए कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

स्रोत संरक्षण समिति (Source Sustenance Committee-SSC)' से आशय जल जीवन मिशन की संस्थागत व्यवस्था के अंतर्गत राज्य, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित बहु-स्तरीय समिति से है, जो जल स्रोतों की सततता सुनिश्चित करने हेतु योजना निर्माण, क्रियान्वयन, निगरानी तथा समन्वय संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है।

'सुजल गाँव आईडी (Sujal Gaon ID)' से आशय *सुजलाम भारत डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Sujalam Bharat DPI)* ढाँचे के अंतर्गत प्रत्येक सेवा क्षेत्र (मजरा/बसावट) को आवंटित एक विशिष्ट प्रणाली-जनित

अक्षरांकीय (Alphanumeric) पहचान संख्या से है, जो ग्रामीण पाइपड पेयजलापूर्ति प्रणालियों का स्रोत से नल तक पूर्ण डिजिटल मानचित्रण (Digital Mapping) सुनिश्चित करती है।

'सुजलाम भारत (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर {Digital Public Infrastructure – DPI})' से आशय भारत के ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के लिए विकसित राष्ट्रीय स्तर के संघीय (Federated) डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से है, जिसे ग्रामीण पाइपड जलापूर्ति योजनाओं के GIS आधारित परिसंपत्ति मानचित्रण, निगरानी एवं जीवन-चक्र प्रबंधन (Lifecycle Management) हेतु डिजिटल आधारभूत मंच (Digital Backbone) के रूप में विकसित किया गया है।

'सुजलाम शक्ति (Sujalam Shakti)' से आशय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihood Mission-SRLM) के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups-SHG) द्वारा गठित सामुदायिक जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था से है, जिसके सदस्य बुनियादी जल गुणवत्ता परीक्षण एवं निगरानी के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (National Skills Qualification Framework-NSQF) के स्तर-1 पर प्रशिक्षित एवं प्रमाणित होते हैं।

'यूजर शुल्क (User Charge/Tariff)' से आशय पेयजल सेवाएँ प्रदान करने के बदले में उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले किसी भी शुल्क से है।

'ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (Village Water and Sanitation Committee - VWSC) ग्राम पंचायत के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी विषयों के पर्यवेक्षण, प्रबंधन एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी समिति है।

'जल बजटिंग (Water Budgeting)' से आशय किसी निर्धारित सेवा क्षेत्र में उपलब्ध कुल जल संसाधनों (जैसे-वर्षा, भूजल पुनर्भरण, अपवाह, सतही जल भंडारण तथा ग्रे-वॉटर के पुनः उपयोग) तथा कुल जल मांग (घरेलू, पशुपालन, सिंचाई एवं अन्य उपयोगों) का अनुमान लगाने हेतु किया जाने वाला एक संरचित एवं आँकड़ा-आधारित आकलन एवं योजना निर्माण अभ्यास है।

अध्याय 1 - प्रस्तावना

1.1 उत्तर प्रदेश - संक्षिप्त परिचय (Uttar Pradesh - A Brief Overview)

जल प्राचीन काल से ही जीवन का अमृत (जल जीवन) रहा है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। राज्य 23°52'12" से 30°24'30" उत्तरी अक्षांश तथा 77°05'38" से 84°38'30" पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, इसके उत्तर-पश्चिम में उत्तराखण्ड, उत्तर-पूर्व में नेपाल, पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान स्थित हैं। यह राज्य गंगा नदी के विशाल जलोढ़ मैदान का अभिन्न अंग है। जलोढ़ मृदा की प्रचुरता तथा विस्तृत भूजलभृत (एक्वीफर) स्तरों के कारण उत्तर प्रदेश विश्व के सर्वाधिक समृद्ध भूजल भण्डार क्षेत्रों में से एक है।

उच्च जनसंख्या घनत्व एवं बढ़ती जनसंख्या के कारण पेयजल एवं सिंचाई की माँग तेजी से बढ़ रही है। राज्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें सिंचाई कृषि उत्पादकता का प्रमुख कारक है। तथापि, भूजल के अनियमित दोहन के कारण उथले जलभृतों (Shallow Aquifers) का अत्यधिक उपयोग हुआ है, जिससे कई जिलों में जल संकट उत्पन्न हो गया है।

राज्य में लगभग 71% सिंचाई तथा 87% पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति भूजल स्रोतों से होती है। भूजल पेयजल का सबसे विश्वसनीय स्रोत रहा है, क्योंकि यह प्राकृतिक अनिश्चितताओं से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होता है तथा आवश्यकता के स्थान पर ही उपलब्ध हो जाता है। किन्तु शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार, सघन कृषि गतिविधियों तथा भूजल के अनियंत्रित एवं अनियमित दोहन के कारण इस संसाधन पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप अनेक क्षेत्रों में भूजल स्तर में निरंतर गिरावट आई है तथा मृदा लवणीकरण (Soil Salinization) जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही हैं।

विश्व के सबसे समृद्ध भूजल भंडारों में से एक होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश भूजल के अत्यधिक दोहन तथा प्रदूषण के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य के अनेक जनपदों में अत्यधिक भूजल निकासी के परिणामस्वरूप जल भंडारण क्षमता एवं भूजल स्तर में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसके कारण कई विकास खंड “अतिदोहित (Over-Exploited)” श्रेणी में पहुँच गए हैं। इसके परिणामस्वरूप समीपवर्ती विकास खंडों में भी जल संकट की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। प्राकृतिक (Geogenic) तथा मानवजनित (Anthropogenic) दोनों प्रकार के प्रदूषण जल स्रोतों की गुणवत्ता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन के कारण वाष्पीकरण की दर में वृद्धि तथा वर्षा के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, जिससे भूजल संतुलन और अधिक प्रभावित हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आम जनता को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है।

इन चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए, ग्रामीण पाइपड पेयजल योजनाओं के सतत एवं दीर्घकालिक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक संचालन एवं अनुरक्षण नीति की आवश्यकता है।

1.2 उत्तर प्रदेश में पेयजल आपूर्ति योजनाएँ (Drinking Water Supply Schemes in Uttar Pradesh)

भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की लगभग 17 करोड़ ग्रामीण आबादी को नियमित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती रहा है। वर्ष 2019 तक राज्य के 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 1.94% परिवारों को ही पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त था। बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र जल संकट से जूझ रहे थे, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश जापानी इंसेफेलाइटिस (Japanese Encephalitis), तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (Acute Encephalitis Syndrome - AES) तथा डायरिया जैसी जलजनित बीमारियों से प्रभावित था, जिसके परिणामस्वरूप बाल मृत्यु दर में वृद्धि देखी जाती थी।

पूर्व में संचालित पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाएँ अनियमित विद्युत आपूर्ति, उच्च संचालन एवं अनुरक्षण व्यय तथा अपर्याप्त रखरखाव के कारण अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकीं। दिनांक 15 अगस्त, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 'जल जीवन मिशन' का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित रूप से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर (55 LPCD) स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इस मिशन के अंतर्गत राज्य में 40,955 योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के सतत एवं लागत-प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, जहाँ पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, वहाँ 33,157 योजनाओं को सौर ऊर्जा आधारित बनाया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत एवं इसके अतिरिक्त संचालित कुल 44,142 योजनाओं के माध्यम से, जो राज्य के सभी 75 जनपदों तथा 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को आच्छादित करती हैं, स्वच्छ एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य में भूजल एवं सतही जल दोनों स्रोतों पर आधारित पाइपड पेयजल योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। उपलब्धता एवं तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर भूजल आधारित एकल ग्राम योजनाएँ (SVS) तथा बहु-ग्राम योजनाएँ (MVS) संचालित की जाती हैं। विंध्य एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों तथा जल गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल आधारित पेयजल आपूर्ति योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन से पारंपरिक ऊर्जा आधारित प्रणालियों से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जा रहा है, जिससे न्यूनतम परिचालन लागत पर विश्वसनीय एवं निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित हो रही है।

सौर ऊर्जा संचालित योजनाएँ न केवल निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं, बल्कि परिचालन व्यय में कमी लाने तथा पारंपरिक विद्युत स्रोतों पर निर्भरता को कम करने में भी सहायक हैं। इसके अतिरिक्त, सौर ऊर्जा आधारित योजनाएँ भारत के 'नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन' (Net-Zero Carbon Emission) लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

1.3 नीति का उद्देश्य (Objectives of the Policy)

इस नीति का उद्देश्य स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, सामुदायिक सहभागिता तथा प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय, सुरक्षित एवं सतत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं हेतु संचालन एवं अनुरक्षण नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

- i. ग्रामीण समुदायों को स्थायी, सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- ii. विकेन्द्रीकृत एवं सामुदायिक सहभागिता (ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति) के माध्यम से समान एवं निरंतर सेवा प्रदायगी को प्रोत्साहित करना।
- iii. कुशल प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना।
- iv. जल आपूर्ति योजनाओं की तकनीकी एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
- v. निर्धारित मानकों (BIS मानदंडों) के अनुसार पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- vi. शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण तथा विश्वसनीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

1.4 संशोधित O&M नीति की आवश्यकता (Need for Revised O&M Policy)

ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के सतत प्रबंधन हेतु एक व्यापक, सुव्यवस्थित एवं परिणामोन्मुखी ढाँचा स्थापित करने के लिए संशोधित संचालन एवं अनुरक्षण नीति की आवश्यकता है। यह नीति 19 आवश्यक घटकों (जल जीवन मिशन 2.0 के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार) को समाहित करते हुए अवसंरचना प्रबंधन, सेवा प्रदायगी मानकों, प्रशासनिक तंत्र, वित्तीय स्थिरता तथा सामुदायिक सहभागिता सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समग्र रूप से समावेश सुनिश्चित करती है। यह नीति प्रत्येक घटक के लिए स्पष्ट एवं मानकीकृत दिशानिर्देश प्रदान करती है, जिससे उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संचालन एवं अनुरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं में एकरूपता सुनिश्चित हो सके। साथ ही, यह जलापूर्ति सेवाओं के व्यवस्थित नियोजन, प्रभावी क्रियान्वयन एवं सतत निगरानी को भी सुदृढ़ बनाती है।

यह नीति सरकारी संस्थाओं, संचालन एवं अनुरक्षण एजेंसियों/ठेकेदारों, स्थानीय निकायों तथा सामुदायिक समूहों सहित सभी हितधारकों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का भी उद्देश्य रखती है, जिससे संस्थागत व्यवस्थाओं एवं जवाबदेही को सुदृढ़ किया जा सके। नीति में बेहतर तकनीकी एवं वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों, संसाधनों के दक्ष उपयोग, योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने, डेटा-आधारित उपकरणों के उपयोग तथा सामुदायिक सहभागिता को विशेष महत्व दिया गया है। यह सुव्यवस्थित दृष्टिकोण प्रणाली की तैयारी (System Readiness) के आवधिक मूल्यांकन (periodic evaluation), कमियों की पहचान तथा लक्षित सुधारात्मक उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुगम बनाता है। परिणामस्वरूप, स्थानीय समुदाय द्वारा संचालित ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता, विश्वसनीयता एवं कार्यकुशलता सुनिश्चित की जा सकेगी।

1.5 कार्यक्षेत्र (Jurisdiction)

यह नीति उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की पाइप पेयजल कार्यक्रमों/योजनाओं पर लागू होगी। साथ ही यह उन सभी विभागों / संस्थाओं पर भी लागू होगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित हैं। कार्यदायी विभागों/संस्थाओं द्वारा CPHEEO मैनुअल के प्राविधानों तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का पालन किया जाएगा।

अध्याय 2 - शासन, विधिक एवं संस्थागत संरचना (Governance, Legal & Institutional Architecture)

2.1 संस्थागत ढाँचा (Institutional Framework)

2.1.1 राज्य स्तर (State Level)

राज्य स्तर पर ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण के नियोजन एवं अनुश्रवण का कार्य नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा किया जाएगा। राज्य में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा एवं अनुश्रवण उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय शीर्ष समिति द्वारा की जाएगी। विभागीय स्तर पर नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित कार्यकारिणी समिति द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उनके संचालन एवं अनुरक्षण की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जायेगा। सरकार की जिम्मेदारियों में नीति निर्माण, सभी हितधारकों के कार्य निष्पादन का अनुश्रवण, वित्तीय नियोजन, निधियों के समयबद्ध उपयोग को सुनिश्चित करना तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन के माध्यम से राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम पंचायतों, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों एवं उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को सशक्त बनाना शामिल होगा। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के मध्य प्रमुख संपर्क बिंदु (Primary Point of Contact) के रूप में भी कार्य करेगा।

2.1.2 जिला स्तर (District Level)

जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता, सदस्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह समिति जिले में जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन निकाय (Implementing Body) के रूप में कार्य करेगी तथा योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

2.1.3 जिला तकनीकी इकाई (District Technical Unit)

जिला तकनीकी इकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की एक उपसमिति के रूप में कार्य करेगी। जिला स्तर पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु जिला तकनीकी इकाई का गठन किया जाएगा। जिला तकनीकी इकाई का नेतृत्व उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता (सिविल) द्वारा किया जाएगा। इस इकाई में स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), विद्युत/यांत्रिक के अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता, पंचायती राज विभाग के तकनीकी अधिकारी, भूजल विभाग के तकनीकी अधिकारी तथा जिला प्रयोगशाला के रसायनज्ञ (Chemist) सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य तकनीकी विशेषज्ञ भी इसके सदस्य हो सकते हैं।

2.1.4 ग्राम स्तर (Village Level)

ग्राम स्तर पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) का गठन किया जाएगा, जिसमें ग्राम प्रधान अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इस समिति में 10 से 15 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ होंगी। ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की अंतःग्राम अवसंरचना (In-Village Infrastructure) के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।

2.1.5 संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर (Operation and Maintenance Vendors)

राज्य में जल जीवन मिशन की योजनाएँ ईपीसी (EPC) मोड पर क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें क्रियान्वयन करने वाली फर्म/वेण्डर द्वारा 10 वर्षों का संचालन एवं अनुरक्षण शामिल है। अतः ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समन्वय से उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा क्रियान्वयन एजेंसियों/वेण्डर्स के माध्यम से किया जाएगा। इस 10-वर्षीय अवधि के दौरान अंतःग्राम अवसंरचनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, O&M वेण्डर तथा संबंधित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध संपादित किया जाएगा। 10 वर्षों की O&M अवधि पूर्ण होने के उपरांत, वाह्यःग्राम अवसंरचनाओं (Out-Village Infrastructures) का संचालन एवं अनुरक्षण उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा वेण्डर के माध्यम से किया जाएगा। अंतःग्राम अवसंरचनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण संबंधित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा।

2.2 सेवा प्रदाय एवं उपयोगिता विकास दृष्टिकोण (Service Delivery and Utility Development Approach)

निम्नलिखित प्रस्तारों में प्रस्तुत भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित मैट्रिक्स (Roles and Responsibilities Matrix) शासन के विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक हितधारक द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का एक सुव्यवस्थित विवरण प्रदान करती है। यह मैट्रिक्स प्रभावी समन्वय, समयबद्ध निर्णय तथा संचालन एवं अनुरक्षण नीति के उचित क्रियान्वयन हेतु एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करता है, जिससे ग्रामीण परिवारों को विश्वसनीय एवं सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

2.2.1 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ (Roles and Responsibilities of State Drinking Water and Sanitation Mission):

- i. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन एक व्यापक संचालन एवं अनुरक्षण नीति तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें पेयजल आपूर्ति योजना से संबंधित प्रत्येक एजेंसी की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा।
- ii. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण एवं निगरानी सुनिश्चित करने हेतु समर्पित मानव संसाधनों की नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय नीति को अंतिम रूप प्रदान करेगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि राज्य एवं जिला स्तरीय जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ NABL से मान्यता प्राप्त हों।

- iii. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्थापित केंद्रीकृत निगरानी मंच के माध्यम से प्रत्येक योजना के प्रदर्शन की निगरानी करेगा। यदि किसी प्रकार की विसंगति या अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित हितधारकों के माध्यम से उचित कार्रवाई कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
- iv. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, सीपीएचईईओ (CPHEEO) एवं राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति योजनाओं के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPIs) तथा सेवा स्तर मानक (SLBs) निर्धारित करेगा।
- v. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन सभी ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने हेतु एक जिला क्षमता निर्माण योजना तैयार एवं क्रियान्वित करेंगे। इस उद्देश्य के लिए प्रमुख संसाधन केंद्रों (KRCs) के सहयोग से संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों (Structured Training Programs) का संचालन किया जाएगा।
- vi. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन एक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली स्थापित करेगा, जिसमें स्पष्ट एस्केलेशन मैट्रिक्स निर्धारित होगी। इस प्रणाली में जलापूर्ति सेवाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की शिकायतों के निस्तारण हेतु उत्तरदायित्व तथा निस्तारण की निर्धारित समय-सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाएगी।
- vii. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC) रणनीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, ताकि पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के महत्व के संबंध में सभी हितधारकों के बीच जागरूकता उत्पन्न की जा सके।
- viii. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन सेवा प्रदाय (Service Delivery), जल गुणवत्ता, सेवा स्तर मानकों ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों, सभी हितधारकों से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदनों (Compliance Reports) तथा सभी योजनाओं से संबंधित शिकायत निवारण आदि की निगरानी हेतु प्रत्येक माह एक बैठक आयोजित करेगा।
- ix. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के निष्पादन हेतु ठेकेदारों/वेण्डर्स के चयन तथा प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण सेवा प्रदाय (Service Delivery) सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों एवं ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा ठेकेदारों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) तथा महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के साथ किए जाने वाले संविदात्मक अनुबंधों (Contractual Engagements) का पर्यवेक्षण करेगा।
- x. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन अन्य क्षेत्रों द्वारा जल के उपयोग के प्रबंधन, औद्योगिक गतिविधियों, कृषि कार्यों तथा घरों एवं संस्थानों द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्टों के अनुचित प्रबंधन से होने वाले जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रभावी नीतियाँ एवं विनियम तैयार करेगा तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा।
- xi. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन अनधिकृत बिना मीटर वाले तथा अभिलेखों में दर्ज न होने वाले (Unaccounted) जल संयोजनों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाहियों का विवरण प्रदान करने वाली एक नीति तैयार करेगा, जिसका उद्देश्य जल एवं राजस्व की निरंतर हो रही हानि को रोकना होगा। यह नीति उपभोक्ता स्तर पर जलापूर्ति योजनाओं में मीटरिंग लागू किए जाने के पश्चात प्रभावी रूप से लागू की जाएगी।

- xii. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण संबंधी दायित्वों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करेगा।
- xiii. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, पंचायती राज विभाग के समन्वय से जल उपयोगिताओं (Water Utilities) से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) की प्रभावी निगरानी एवं प्रतिवेदन (Reporting) सुनिश्चित करने हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का नियमित क्षमता निर्माण (Capacity Building) सुनिश्चित करेंगे।
- xiv. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों एवं ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति की पहचान एवं उनको सम्मानित करेंगे तथा पारस्परिक अधिगम (Cross-Learning) दृष्टिकोण के माध्यम से उनकी श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों (Best Practices) के आदान-प्रदान एवं प्रसार को प्रोत्साहित करेंगे।
- xv. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन वित्तीय अंतरालों (Financial Gaps) की पहचान करेगा तथा पेयजल आपूर्ति योजनाओं की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य बजट से व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding - VGF) हेतु आवश्यक वित्तीय प्रतिबद्धताएँ (Commitments) सुनिश्चित करेगा।
- xvi. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लोक सेवा गारंटी अधिनियम (Public Service Guarantee Act) के प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए एक नागरिक चार्टर (Citizen Charter) स्थापित करेंगे, ताकि सभी उपभोक्ताओं को जलापूर्ति सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें। इसमें नए जल संयोजन प्रदान करना, पाइपलाइनों की मरम्मत, जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान, सेवा स्तर मानकों (SLBs) का अनुपालन बनाए रखना, तथा नियुक्त संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर्स को उत्तरदायी एवं नागरिक-केंद्रित/जन-उत्तरदायी बनाना शामिल होगा।

2.2.2 उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ (Roles and Responsibilities of Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural):

- i. योजना के सफल हस्तांतरण के उपरांत, जलापूर्ति योजना की बाह्यग्राम अवसंरचना का स्वामित्व उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के पास होगा।
- ii. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) राज्य में ग्रामीण पाइपड पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए कार्यदायी संस्था (Implementing Agency) के रूप में उत्तरदायी होगा।
- iii. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जल जीवन मिशन तथा सीपीएचईईओ (CPHEEO) के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में नियमित अनुरक्षण, निवारक अनुरक्षण तथा खराबी/दोष निवारण मरम्मत हेतु दिशा-निर्देशों सहित एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) विकसित करेगा।
- iv. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा 'संचालन एवं अनुरक्षण के लिए चयनित वेण्डर्स द्वारा जलापूर्ति योजनाओं के संवर्धन (Augmentation) एवं विस्तार (Extension) के लिए तकनीकी सहायता एवं सतत मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा। इसमें भंडारण संरचनाओं, पाइपलाइन नेटवर्क, जल स्रोतों के विकास तथा अनुरक्षणाधीन विद्यमान अवयवों में आवश्यक तकनीकी संशोधन से संबंधित कार्य शामिल होंगे।

- इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) ग्राम पंचायतों एवं ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति को भी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, ताकि वे अपनी निर्धारित भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।
- v. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) सभी हितधारकों एवं संबंधित प्राधिकरणों से समन्वय करते हुये पेयजल आपूर्ति अवसंरचना एवं सेवाओं को प्रभावित करने वाली आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विकसित करेगा।
 - vi. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) IoT सेंसरों तथा स्काडा प्रणालियों से प्राप्त आंकड़ों का राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विकसित केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली पर निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। आंकड़ों का यह सतत प्रवाह संचालन दक्षता को बढ़ाएगा, वास्तविक समय में अनुश्रवण को सक्षम बनाएगा तथा जलापूर्ति योजनाओं के समग्र प्रबंधन में सुधार करेगा।
 - vii. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) केन्द्र/राज्य सरकार तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति योजनाओं हेतु निर्धारित सेवा स्तर मानकों (SLB) एवं प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों (KPI) के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा। सेवा मानकों के अनुपालन का आकलन करने हेतु नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। सेवा मानकों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में अनुरक्षण एवं संचालन वेण्डर्स के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जाएगी।
 - viii. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), संचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के प्रभावी अनुश्रवण तथा योजनाओं के सतत संचालन एवं अनुरक्षण को सेवा स्तर मानकों (SLB) एवं वित्तीय अनुश्रवण इत्यादि सुनिश्चित करने हेतु एक समर्पित तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (TPI) नियुक्त करेगा। यह टी०पी०आई० एजेन्सी अभिसरण हेतु विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करने में भी सहायता करेगा।
 - ix. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग, जलभूवैज्ञानिकों, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, मौसम विज्ञान विभाग, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों सहित प्रमुख विभागों एवं संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। यह सहयोग मौसमी जल उपलब्धता के अध्ययन, जल बजटिंग तथा स्रोत पुनर्जीवन प्रयासों एवं वर्षा जल संचयन पहलों की प्रभावशीलता के आकलन में सहायक होगा।
 - x. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जलापूर्ति अवसंरचना एवं सेवाओं को प्रभावित करने वाली किसी भी प्राकृतिक अथवा जलवायु-जनित आपात स्थिति से निपटने हेतु सभी हितधारकों एवं संबंधित प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित कर सक्रिय रूप से एक निवारक (मिटीगेशन) योजना विकसित करेगा।
 - xi. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), ग्रामीण पाइपड पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु मानव संसाधन आवश्यकताओं का आकलन करेगा तथा योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण के लिए नल जल मित्र कार्यक्रम (एन.जे.एम.पी.) के अंतर्गत स्थानीय व्यक्तियों के चयन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। संचालकों/तकनीशियन की तैनाती सामान्यतः संबंधित ग्राम पंचायत के प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्तियों में से की जाएगी।

2.2.3 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ (Roles and responsibilities of District Water Supply and Sanitation Mission):

- i. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन भौगोलिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए, डेटा संग्रहण, रिपोर्टिंग, प्रलेखन (डॉक्यूमेंटेशन), श्रेष्ठ प्रथाओं के आदान-प्रदान, प्रदर्शन मूल्यांकन तथा हितधारकों की क्षमता निर्माण को समाहित करते हुए जिला संचालन एवं अनुरक्षण रणनीति एवं कार्य योजना तैयार करके सतत निगरानी सुनिश्चित करेगा।
- ii. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन विभिन्न विभागों के तकनीकी अधिकारियों से युक्त एक समर्पित जिला तकनीकी इकाई (DTU) की स्थापना करेगा। जिला तकनीकी इकाई का नेतृत्व उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अधिशासी अभियंता (सिविल) द्वारा किया जाएगा। इस इकाई में स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), (E&M), सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग, भूजल विभाग तथा जिला प्रयोगशाला के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अन्य आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञ भी इस इकाई के सदस्य होंगे।
- iii. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम पंचायतों, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, सामुदायिक आधारित संगठन (CBOs), क्रियान्वयन सहायता एजेंसियाँ (ISAs), गैर-सरकारी संगठन (NGOs), स्वयं सहायता समूह (SHGs) तथा अन्य प्रासंगिक संस्थाओं सहित योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी में संलग्न समस्त हितधारकों की पहचान एवं चिन्हीकरण करेगा।
- iv. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम पंचायतों एवं ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उचित मार्गदर्शन एवं सतत सहयोग प्रदान करते हुए उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। यह भागीदारी ग्राम स्तर पर भंडार/सामग्री प्रबंधन, उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण, पेयजलापूर्ति योजनाओं की दैनिक निगरानी, रिपोर्टिंग तथा अनुरक्षण संबंधी गतिविधियों में सुनिश्चित की जाएगी।
- v. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन यह सुनिश्चित करेगा कि संचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियों से संबंधित सभी आवश्यक एवं प्रासंगिक सूचनाएँ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विकसित पोर्टल तथा IMIS पर नियमित रूप से अद्यतन की जाएँ।
- vi. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विकसित शिकायत निवारण तंत्र का अनुपालन करेगा, ताकि सभी शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय शिकायत प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाएगा तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन एवं अन्य संबंधित हितधारकों के समन्वय से दीर्घकालिक समाधान विकसित किए जाएँगे।
- vii. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समन्वय से पेयजल उपयोगकर्ता शुल्क से संबंधित ग्रामवार समेकित अभिलेख संधारित करेगा, जिसमें जारी किए गए बिलों तथा मासिक शुल्क संग्रहण का विवरण शामिल होगा।
- viii. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जिला स्तर पर पेयजल अवसंरचना एवं सेवाओं को प्रभावित करने वाली आपातकालीन परिस्थितियों के समाधान हेतु एक समग्र कार्ययोजना तैयार करने के लिए सभी हितधारकों एवं संबंधित प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।
- ix. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्थापित केंद्रीकृत निगरानी मंच के माध्यम से प्रत्येक योजना के कार्य निष्पादन की निगरानी करेगा। यदि किसी प्रकार की विसंगति या अनियमितता पाई जाती है, तो उसके निवारण हेतु उचित कार्रवाई प्रारंभ करते हुए आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करायेगा।

- x. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन सेवा प्रदाय, जल गुणवत्ता, सेवा स्तर मानकों (SLBs), ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों, अनुपालन प्रतिवेदनों तथा शिकायत निवारण की समीक्षा एवं निगरानी के लिए सभी हितधारकों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करेगा।
- xi. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन प्रचलित नियमों एवं विधिक ढाँचे के अनुसार भूमि संबंधी विवादों, संपत्तियों/अवसंरचना को हुई क्षति, अनधिकृत टैपिंग, अवैध जल संयोजनों, चोरी, उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली, तोड़फोड़ आदि से संबंधित विवादों के समाधान को सुनिश्चित करेगा। भूमि मुद्दे, क्षति, अनधिकृत टैपिंग, अवैध कनेक्शन, चोरी, उपयोगकर्ता शुल्क वसूली, बर्बरता आदि जैसे विवादों के समाधान में प्रचलित विनियमन/कानूनी ढाँचे के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

2.2.4 जिला तकनीकी इकाई की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व (Roles and responsibilities of District Technical Unit)

- i. जिला तकनीकी इकाई की प्रमुख जिम्मेदारियों में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/माइक्रो यूटिलिटीज (Micro Utilities) को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)/मैक्रो यूटिलिटीज (Macro Utilities) तथा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/माइक्रो यूटिलिटीज (Micro Utilities) के मध्य समन्वय स्थापित करना, जिला स्तर पर सेवा प्रदाय की प्रभावी निगरानी करना तथा क्षमता निर्माण एवं तकनीकी समस्याओं के समाधान में सहयोग प्रदान करना शामिल होगा।
- ii. सुजलाम भारत एप पर मैप्ड परिसंपत्तियों के आधार पर योजनाओं के विभिन्न घटकों के लिए डिजिटल निवारक अनुरक्षण अनुसूचियाँ तैयार करना।
- iii. विभिन्न घटकों के जीवन काल एवं प्रदर्शन के आधार पर मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक परिसंपत्ति प्रतिस्थापन रणनीतियाँ तैयार करना।
- iv. विभिन्न घटकों की विफलता, संयंत्र प्रतिस्थापन एवं उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित पूर्वानुमानित विश्लेषण का उपयोग करके इष्टतम (Optimal) इन्वेंटरी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- v. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति से प्राप्त तकनीकी एवं संचालन संबंधी समस्याओं के पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान को डिजिटल टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित करना।
- vi. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/माइक्रो यूटिलिटीज द्वारा ग्राम स्तरीय अवसंरचना के संचालन एवं रखरखाव के लिए किसी बाहरी एजेंसी को नियुक्त करने की स्थिति में संचालन एवं अनुरक्षण अनुबंधों की तैयारी में सहायता प्रदान करेगी, जिसमें कार्यक्षेत्र, सेवा स्तर, मानव संसाधन की आवश्यकताएँ, स्पेयर पार्ट्स एवं इन्वेंटरी की आवश्यकताएँ, तथा सुरक्षा उपायों को परिभाषित करना शामिल होगा। ऑपरेटरों/तकनीशियनों की नियुक्ति यथासंभव संबंधित ग्राम पंचायत के प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्तियों में से प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।
- vii. स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप समस्याओं के समाधान, निवारक अनुरक्षण (Preventive Maintenance) तथा आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करेगी।
- viii. जल जीवन मिशन की योजनाओं का नियोजन, क्रियान्वयन, कमीशनिंग तथा जल अर्पण दिवस के माध्यम से ग्राम पंचायत को हस्तांतरण सुनिश्चित करायेगी।

- ix. योजनाओं के दीर्घकालिक स्थायित्व तथा पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भावी नियोजन एवं वैकल्पिक तकनीकी के संबंध में सुझाव प्रदान करेगी।
- x. जिला तकनीकी इकाई ग्रामीण पाइपड पेयजल योजनाओं की योजना निर्माण, संरचनात्मक व्यवस्था, संचालन तथा अनुरक्षण में सुधार हेतु उत्तरदायी होगी।
- xi. जिला तकनीकी इकाई, स्रोत स्थिरता समिति के अभिलेखों का समग्र रख-रखाव करेगी, जिसमें हाइड्रोजियोलॉजिकल मानचित्रों (HGM) की प्रतियाँ, मौसमी जल उपलब्धता (Yield) संबंधी आँकड़े तथा जल गुणवत्ता परीक्षण परिणाम शामिल होंगे। सतत जलापूर्ति प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता एवं स्रोत की जल उपलब्धता का नियमित रूप से आकलन एवं अभिलेखन करेगी।
- xii. जिला तकनीकी इकाई नियमित बैठकें आयोजित करेगी, ग्राम प्रधानों से प्राप्त फीडबैक तथा जल सेवा मूल्यांकन प्रपत्रों का अध्ययन करेगी तथा संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु अपने सुझाव/डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूवमेंट प्लान जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रस्तुत करेगी।
- xiii. जिला तकनीकी इकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का भी निष्पादन करेगी।

2.2.5 ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ (Roles and responsibilities of the Village Water & Sanitation Committee(VWSC)):

- i. जल अर्पण के माध्यम से योजना के सफल हस्तांतरण के पश्चात जलापूर्ति योजना की अंतःग्राम अवसंरचना (In-Village Infrastructure) का स्वामित्व ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का होगा। ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर्स/एजेंसियों के कार्य निष्पादन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करेगी।
- ii. पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के चुनावों की अवधि के दौरान, अंतःग्राम अवसंरचना (In-Village Infrastructure) के संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी वर्तमान ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत नियुक्त प्रशासक को सौंपी जाएगी, जब तक कि नई ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन होकर वह कार्यभार ग्रहण न कर ले।
- iii. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति स्थानीय उपभोक्ताओं के परामर्श से पम्प हाउस/जलस्रोत पर जलापूर्ति रोस्टर का नियमित सत्यापन करते हुए पर्याप्त मात्रा में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करायेगी। सेवा प्रदायगी में किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति इस संबंध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिला तकनीकी इकाई तथा संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर्स/एजेंसियों के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करेगी तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु पोर्टल पर शिकायत दर्ज करेगी।
- iv. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति सुजलाम शक्ति समूहों द्वारा FTK का उपयोग करते हुए नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करेगी, जिसमें अवशिष्ट क्लोरीन (Residual Chlorine) तथा पेयजल गुणवत्ता के मूलभूत मानकों की निगरानी भी शामिल होगी। साथ ही, जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टों का WQMIS पोर्टल पर नियमित रूप से अद्यतन (अपडेट) किया जाना सुनिश्चित करेगी।
- v. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, वितरण प्रणाली, पम्प हाउस तथा घरेलू नल कनेक्शन्स में होने वाले रिसावों (लीकेज) एवं जलापूर्ति के दौरान ओवरहेड टैंक से होने वाले अतिप्रवाह (Overflow) की निगरानी एवं सूचना जिला तकनीकी इकाई /उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर्स

को देकर रिसावों के समयबद्ध सुधार एवं व्यवस्था की बहाली कराकर रिसाव प्रबन्धन में सक्रिय भूमिका निभाएगी। ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, पेयजल की बर्बादी रोकने तथा जल के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जन-जागरूकता को प्रोत्साहित करेगी। किसी उपभोक्ता, समूह अथवा संस्था द्वारा लगातार पेयजल का दुरुपयोग किये जाने की स्थिति में उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई, जिसमें दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं, हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिला तकनीकी इकाई तथा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को शिकायत प्रेषित करेगी।

- vi. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति ग्राम के पेयजल बजट (Water Budget) तैयार करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागी होगी। पेयजल बजट तैयार करने हेतु ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति संबंधित अधिकारियों/प्राधिकरणों को आवश्यक जानकारी एवं आंकड़े उपलब्ध कराएगी।
- vii. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति भूमि संबंधी विवादों, क्षति, अनधिकृत टैपिंग, चोरी, अवैध नल कनेक्शन, यूजर शुल्क की वसूली, तोड़फोड़ आदि जैसे मामलों के समाधान में सभी हितधारकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।
- viii. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार, लाभार्थी परिवारों से पेयजल यूजर शुल्क निर्धारित करने एवं उसकी वसूली के लिए उत्तरदायी होगी। यूजर शुल्क की वसूली हेतु स्वयं सहायता समूह (SHG), महिला समूहों (जल सखी/सुजलाम शक्ति), ग्राम पंचायत सहायक, प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS), विशाल क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी समिति (LAMS) अथवा अन्य कार्मिकों को नामित किया जा सकेगा। शुल्क संग्रहण करने वाले कार्मिकों को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- ix. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा सामुदायिक अंशदान एवं यूजर शुल्क के संग्रहण और प्रबंधन हेतु एक पृथक बैंक खाता संचालित किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में ही व्यय किया जायेगा।
- x. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम पंचायत/ग्राम की परिसंपत्ति पंजिका में पेयजल आपूर्ति से संबंधित सभी परिसंपत्तियों का अभिलेखीकरण सुनिश्चित करेगी।
- xi. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम में सभी हितधारकों के साथ पाक्षिक बैठक आयोजित करेगी तथा पेयजल गुणवत्ता, सेवा प्रदाय प्रदर्शन, रिसाव, संदूषण संबंधी समस्याओं एवं जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित अन्य सभी मुद्दों की समीक्षा करेगी। बैठक की कार्यवृत्त, सुझाव एवं कार्ययोजना सहित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन /जिला तकनीकी इकाई/उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करेगी।
- xii. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, नई बस्तियों/मजरा में नए नल कनेक्शन्स उपलब्ध कराने हेतु वितरण प्रणाली का विस्तार तथा अन्य आवश्यक कार्यों को स्वयं अथवा संचालन एवं अनुरक्षण के लिए चयनित एजेंसियों/वेण्डर्स के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगी।
- xiii. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति सभी हितधारकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा पेयजल प्रबंधन गतिविधियों में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) करेगी।
- xiv. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति जल के विवेकपूर्ण उपयोग पर जागरूकता अभियान चलाएगी एवं जल के दुरुपयोग को रोकेगी।
- xv. ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को सुधारात्मक उपायों के लिए अवैध डंपिंग स्थल/लैंडफिल की सूचना देगी।

2.2.6 पंचायती राज विभाग की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व (Roles and Responsibilities of the Panchayati Raj Department(PRD)):

- i. पंचायती राज विभाग जलापूर्ति योजनाओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु मासिक टैरिफ अथवा यूजर शुल्क हेतु नीति विकसित करेगी। यह नीति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के परामर्श से तैयार की जाएगी। नीति का ढाँचा घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए श्रेणीबद्ध एवं स्लैब आधारित दर प्रणाली (Telescopic) पर आधारित होगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू उपभोक्ताओं के यूजर शुल्क को परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों/स्तरों में वर्गीकृत किया जाएगा।
- ii. पंचायती राज विभाग नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन एवं दंडात्मक (Disincentive) तंत्र विकसित करेगा, जिससे पेयजल की बर्बादी को हतोत्साहित किया जा सके, पेयजल स्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा मिले तथा अंतःग्राम अवसंरचना (In-Village Infrastructure) के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित आवर्ती व्ययों (Recurring Expenses) की पूर्ति सुनिश्चित हो सके।
- iii. पंचायती राज विभाग, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के संचालन एवं अनुरक्षण खातों के प्रबंधन तथा ग्राम पंचायत एवं/अथवा उनकी उप-समितियों के परिचालन संबंधी प्रक्रियाओं के लिए नीति निर्धारित करेगा।
- iv. पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के समन्वय से, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (VB-G, RAM-G) एवं अन्य योजनाओं से अभिसरण के माध्यम से ग्रामों में भूजल संरक्षण एवं ग्रे-वाटर प्रबंधन गतिविधियों के लिए उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से व्यवहार्य रणनीतिक योजना तैयार करेगा। जल संरक्षण एवं ग्रे-वाटर प्रबंधन से संबंधित संरचनाओं के निर्माण के दौरान विशेष सावधानी बरती जाएगी ताकि पेयजल स्रोत किसी भी प्रकार से प्रदूषित न हों। जिला स्तर पर, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) तथा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समन्वय से भूजल संरक्षण एवं ग्रे-वाटर प्रबंधन के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्य योजना को वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा।

2.2.7 संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर्स/ठेकेदारों की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व (Roles and Responsibilities of the O&M Vendors/ Contractors):

- i. राज्य में, जल जीवन मिशन की योजनाएँ EPC मोड पर क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें क्रियान्वयन करने वाले वेण्डर द्वारा 10 वर्षों का संचालन एवं अनुरक्षण भी शामिल है। अतः ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संबंधित क्रियान्वयन फर्मों/वेण्डर्स के माध्यम से, संबंधित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समन्वय में किया जाएगा। इस 10 वर्ष की अवधि के दौरान, अंतःग्राम अवसंरचना (In-Village Infrastructure) के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर्स/ठेकेदारों तथा संबंधित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा।

- ii. संचालन एवं अनुरक्षण अवधि के दौरान, वेण्डर/ठेकेदार संपूर्ण जलापूर्ति योजना के संचालन, सुधारात्मक एवं निवारक अनुरक्षण के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। इसमें योजना के सभी घटकों, जैसे जलस्रोत संबंधी कार्य, उपचार इकाइयाँ, भंडारण संरचनाएँ, पम्पिंग मशीनरी, पाइपलाइनें, नल संयोजन, तथा विद्युत एवं यांत्रिक प्रणालियों का नियमित निवारक अनुरक्षण एवं समयबद्ध सुधारात्मक कार्यवाही शामिल होगी। वेण्डर/ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि अनुबंध की समाप्ति के समय योजना के सभी घटक उनकी स्वीकृत जीवनकाल तथा निर्धारित सेवा मानकों के अनुरूप सुचारु एवं कार्यशील स्थिति में हों। दस वर्ष की संचालन एवं अनुरक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात वाह्यग्राम अवसंरचना (Out-Village Infrastructure) का संचालन एवं अनुरक्षण उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा किया जाएगा। अंतःग्राम अवसंरचना (In-Village Infrastructure) का संचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जायेगा।
- iii. वेण्डर योजनाओं से आच्छादित सभी परिवारों को सतत एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करेगा। जलापूर्ति प्रणाली में किसी भी प्रकार की खराबी अथवा व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में, अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे- प्राकृतिक आपदाएं अथवा अप्रत्याशित घटनाएं (Force Majeure Conditions) अथवा वृहद तकनीकी खराबी जिसकी सूचना विधिवत सम्बन्धित अधिकारियों को दी गयी हो, को छोड़कर समस्याओं को चिन्हित कर 24 घंटे के भीतर उसका निवारण किया जाएगा।
- iv. वेण्डर अनुबंध अवधि के दौरान संचालन एवं अनुरक्षण सेवाओं का निरंतर एवं संतोषजनक निष्पादन सुनिश्चित करेगा। अनुबंध अवधि से पूर्व कार्य छोड़ना, कार्य का परित्याग (Abandonment) अथवा निर्धारित सेवा स्तरों को पूरा करने में विफलता को अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वेण्डर के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें परफार्मेंस बैंक गारंटी को भुनाना (Invocation) भी शामिल होगा, ताकि वित्तीय सुरक्षा एवं सेवाओं की निरंतरता वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से बनाए रखा जा सके।
- v. वेण्डर द्वारा निम्नलिखित सेवा स्तर मानकों को सुनिश्चित किया जायेगा-
 - a. सभी परिवारों को पर्याप्त मात्रा में (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन - LPCD) पेयजल आपूर्ति।
 - b. क्रिटिकल बिंदुओं पर स्थित परिवारों को पर्याप्त दबाव (7 मीटर) के साथ जलापूर्ति।
 - c. भारतीय मानक ब्यूरो BIS 10500 के अनुरूप जल की गुणवत्ता।
 - d. जलापूर्ति योजनाओं में गैर-राजस्व जल (NRW) तथा अलेखांकित जल प्रवाह (UFW) के स्तर को निर्धारित लक्ष्य सीमा के भीतर बनाए रखना।
- vi. यदि पेयजल गुणवत्ता का कोई भी मानक निर्धारित स्वीकार्य सीमा (Permissible Limit) से बाहर पाया जाता है, तो वेण्डर द्वारा सुरक्षित एवं पेय योग्य जलापूर्ति बहाल करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय जिसमें आवश्यक शोधन कार्य भी शामिल हैं, तत्काल सुनिश्चित किया जायेगा। पेयजल नमूना संग्रहण (Water Sampling) एवं गुणवत्ता परीक्षण, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर के मध्य निष्पादित त्रिपक्षीय अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा तथा सभी परीक्षण रिपोर्ट तैयार कर समयबद्ध रूप से संबंधित हितधारकों के साथ साझा की जाएंगी।
- vii. वेण्डर जल जीवन मिशन तथा राज्य संचालन एवं अनुरक्षण नीति के अंतर्गत निर्धारित सभी दिशानिर्देशों, प्रोटोकॉल, सेवा स्तरों एवं प्रदर्शन मानकों का अनुपालन करेगा। निर्धारित सेवा स्तर मानकों से किसी भी प्रकार का विचलन, अनुपालन में कमी अथवा उन्हें प्राप्त करने में विफलता की स्थिति में, अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई, जिसमें वित्तीय कटौती अथवा अन्य

- उपयुक्त सुधारात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं, की जायेगी। संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर्स को भुगतान, सेवा स्तर मानकों के संबंध में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी द्वारा प्रदान की गई फीडबैक के आधार पर किया जाएगा।
- viii. नई बस्तियों/मजरे के विकास अथवा अन्य आवश्यकताओं के कारण वितरण प्रणाली में किसी भी विस्तार का कार्य अनुरक्षण अवधि के दौरान वेण्डर द्वारा किया जाएगा। ऐसे कार्यों का भुगतान उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की प्रचलित दर अनुसूची (SoR)/अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
 - ix. नए नल कनेक्शन्स/छूटे हुए नल कनेक्शन्स उपलब्ध कराने का कार्य वेण्डर द्वारा किया जाएगा, जिसका भुगतान उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की प्रचलित दर अनुसूची (SoR)/अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
 - x. संचालन एवं अनुरक्षण अवधि के दौरान मांग में वृद्धि- यदि किसी भी कारण से पेयजल की मांग बढ़ जाती है, तो वेण्डर प्रवाह (Flow) के समायोजन अथवा पम्पिंग घंटों में वृद्धि करके आवश्यक जलापूर्ति सुनिश्चित करेगा। इस प्रयोजन हेतु वेण्डर/ठेकेदार को किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
 - xi. अनुरक्षण अवधि के दौरान मेले, प्रदर्शनी, सार्वजनिक समारोह अथवा अन्य अस्थायी जनसमूहों जैसी अतिरिक्त अल्पकालिक पेयजल मांगों की पूर्ति, अभियंता-प्रभारी/जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के निर्देशानुसार करना भी वेण्डर की जिम्मेदारी होगी। इस कार्य के लिए किसी प्रकार का पृथक अथवा अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
 - xii. आपातकालीन परिस्थितियों अथवा आपदा-जनित स्थितियों के दौरान, वेण्डर अध्याय-3 की धारा 3.3 में वर्णित वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करेगा।
 - xiii. शिकायत निवारण (Complaint Redressal) वेण्डर उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेकर सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर उनका निस्तारण करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि किसी तकनीकी खराबी के कारण जलापूर्ति प्रणाली विफल हो जाती है, तो वेण्डर वैकल्पिक माध्यमों से जलापूर्ति सुनिश्चित करेगा। तथापि, सामान्य जलापूर्ति व्यवस्था को घटना के 48 घंटे के भीतर पुनः बहाल करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में, दंड प्रावधान (Penalty Clause) के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
 - xiv. यदि संचालन एवं अनुरक्षण अवधि के दौरान करों, रॉयल्टी (Royalties), अन्य वैधानिक शुल्कों (Statutory Charges) अथवा राज्य एवं केंद्र सरकार की नीतियों से संबंधित किसी भी लागू कानून, नियम या विनियम में कोई संशोधन किया जाता है अथवा कोई नया प्रावधान लागू किया जाता है, जिससे अनुबंध की शर्तों एवं नियमों पर प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसी नीतियों, नियमों एवं प्रावधानों का अनुपालन एवं क्रियान्वयन करना वेण्डर के लिए अनिवार्य होगा।
 - xv. वेण्डर द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सुरक्षा अंकेक्षण (Safety Audit) कराया जाएगा। सुरक्षा नियमों के अनुपालन में पाई गई सभी विसंगतियों को अभिलेखित किया जाएगा तथा उनका आवश्यक सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। सुधारात्मक कार्य पूर्ण होने के उपरांत, जिला पेयजल एवं स्वच्छता

मिशन /उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा पुनः निरीक्षण किया जाएगा और संतोषजनक पाए जाने पर ही सुरक्षा अंकेक्षण को पूर्ण माना जाएगा तथा उसका प्रमाणीकरण किया जाएगा

- xvi. संचालन एवं अनुरक्षण अवधि की समाप्ति से एक वर्ष पूर्व, योजना के सभी घटकों की शेष उपयोगी आयु का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के दौरान किसी भी घटक की शेष अपेक्षित आयु में कमी अथवा अन्य कोई कमी पाई जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी वेण्डर की होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति पर बिना किसी वित्तीय भार के वेण्डर द्वारा किया जायेगा।

2.3 विधिक एवं विनियामक ढाँचा (Legal and Regulatory Framework)

ग्रामीण जलापूर्ति अवसंरचना की सुरक्षा, स्थिरता एवं प्रभावी संचालन हेतु विद्यमान विधिक एवं विद्यमान ढाँचा जिसके अन्तर्गत परिसंपत्ति प्रबंधन, सुरक्षा तथा सेवा प्रदायगी शामिल है, को तालिका-2 में अंकित किया गया है। यह ढाँचा प्रमुख नियामक क्षेत्रों को उनके उद्देश्यों एवं सम्बन्धित आवश्यकताओं को जलापूर्ति संरचनाओं का अतिक्रमण, क्षति, दुरुपयोग तथा अनधिकृत पहुँच से सुरक्षित रखने के लिए परिभाषित करता है।

यह ढाँचा अवसंरचना संरक्षण, सुरक्षा उपायों, पहुँच नियंत्रण एवं पाइपलाइन कॉरिडोर प्रबंधन के लिए मानकीकृत दिशानिर्देश स्थापित करता है, साथ ही जल आपूर्ति प्रणालियों के निकट किसी भी खुदाई या तृतीय-पक्ष हस्तक्षेप के दौरान कड़े कानूनी अनुपालन की आवश्यकता पर भी बल देता है। इसमें ग्रामीण समुदायों को सुरक्षित एवं विश्वसनीय पेयजल सुनिश्चित करने हेतु विद्युत एवं यांत्रिक सुरक्षा, जल स्रोतों की सुरक्षा तथा निर्धारित जल गुणवत्ता मानकों के पालन के लिए भी प्रावधान सम्मिलित हैं।

तालिका 2: विनियामक ढाँचा (Regulatory Framework)

विनियमन क्षेत्र	उद्देश्य	प्रस्तावित विनियमन/आवश्यकता
भूमि एवं अवसंरचना संरक्षण	अतिक्रमण, दुरुपयोग एवं अनधिकृत पहुँच रोकना।	योजना से संबंधित भूमि, पंप हाउस, ओवरहेड टैंक (OHT), पाइपलाइन तथा उनसे संबंधित परिसंपत्तियाँ सरकारी संपत्ति हैं। इन परिसंपत्तियों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने, अतिक्रमण करने, चोरी करने, दुरुपयोग करने अथवा अनधिकृत प्रवेश/पहुँच करने की स्थिति में प्रचलित अधिनियमों, जैसे कि उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (संशोधित 1993), उत्तर प्रदेश सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

विनियमन क्षेत्र	उद्देश्य	प्रस्तावित विनियमन/आवश्यकता
सीमा एवं सुरक्षा उपाय	तोड़फोड़, चोरी तथा सुरक्षा संबंधी जोखिमों को रोकना।	चौकीदारी की तैनाती, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण, पंप हाउस, सर्विस रिजरवायर , क्लोरीन कक्ष, इंटेक वेल, जल शोधन संयंत्र (WTP) आदि पर गेट तथा ताले इत्यादि की व्यवस्था तथा जहाँ व्यवहारिक हो, वहाँ सीसीटीवी कैमरे को स्थापित किया जायेगा। सभी परिसंपत्तियों को पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर मैप किया जायेगा। तोड़फोड़ या चोरी की किसी भी घटना की स्थिति में, प्रचलित अधिनियमों, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति को क्षति से संरक्षण अधिनियम, 1984 तथा जल संसाधनों एवं संबंधित अवसंरचना की सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश भूजल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रवेश नियंत्रण	जवाबदेही एवं प्रवेश नियंत्रण सुनिश्चित करना।	केवल अधिकृत कार्मिकों (ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, यूपी जल निगम (ग्रामीण), ऑपरेटरों तथा विभागीय कर्मचारियों) को ही प्रवेश की अनुमति होगी। आगंतुक रजिस्टर का रख-रखाव किया जाएगा। अनधिकृत प्रवेश की स्थिति में प्रचलित विधिक प्रावधानों जैसे- आपराधिक अतिक्रमण (Criminal Trespass) भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 329, पूर्व में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 441, गृह-अतिक्रमण (House Trespass) BNS की धारा 330, पूर्व में IPC की धारा 442, लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 तथा अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
अवसंरचनाओं के निकट खुदाई हेतु वैधानिक स्वीकृति	पाइप लाइनों को आकस्मिक क्षति से सुरक्षित रखना तथा लागत संबंधी जवाबदेही सुनिश्चित करना।	कोई भी विभाग, एजेंसी, ठेकेदार अथवा उपयोगिता प्रदाता जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के पास खुदाई, ट्रेंचिंग , एचडीडी ड्रिलिंग, केबल बिछाने, सड़क काटने या कोई भी ऐसा उत्खनन कार्य नहीं करेगा, जिससे परिसंपत्तियों को क्षति पहुँचने की संभावना हो, जब तक कि इसके लिए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/यूपी जल निगम (ग्रामीण)/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति से पूर्वानुमति प्राप्त न कर ली गयी हो। उन्हें 'कॉल बिफोर यू डिग (Call Before You Dig)' पोर्टल (www.cbud.gov.in) के माध्यम से उत्खनन (खुदाई) तथा अन्य निर्माण गतिविधियों हेतु आवेदन करना होगा और पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। परिसंपत्तियों को होने वाली किसी भी क्षति के मामले में प्रचलित विधिक प्रावधानों जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNC) के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने की दशा में संबंधित विभाग/एजेंसी मरम्मत, पुनर्स्थापन तथा पेयजल आपूर्ति बाधित रहने की अवधि में वैकल्पिक जलापूर्ति व्यवस्था से संबंधित समस्त व्यय का वहन करेगी।
विद्युत एवं यांत्रिक सुरक्षा	परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा जोखिमों को कम करना।	विद्युत पैनल, पंप सेट एवं क्लोरीनेटर का सुरक्षा (अर्थिंग, एमसीबी तथा तड़ित संरक्षण व्यवस्था) मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य होगा। उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा स्वयं अथवा नियुक्त एजेंसियों/वेण्डर्स के माध्यम से समय-समय पर सुरक्षा अंकेक्षण (Safety Audit) कराया जाएगा।
जल स्रोत संरक्षण	पेयजल स्रोतों के प्रदूषण को रोकना।	जल स्रोतों (स्रोत संरक्षण क्षेत्र) को उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019, उत्तर प्रदेश राज्य जल नीति, 2020 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुरूप संरक्षित किया जाएगा। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में प्रचलित अधिनियमों एवं नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जल गुणवत्ता संरक्षण	जल गुणवत्ता बनाए	सैंपलिंग पॉइंट, सेंसर तथा विसंक्रमण (Disinfection) प्रणालियों के साथ छेड़छाड़

विनियमन क्षेत्र	उद्देश्य	प्रस्तावित विनियमन/आवश्यकता
	रखना।	करना दंडनीय अपराध होगा। जल गुणवत्ता की निगरानी भारतीय मानक ब्यूरो BIS 10500 तथा सीपीएचईईओ (CPHEEO) के निर्धारित मानकों के अनुसार की जायेगी।
संचालन उपकरणों का संरक्षण	प्रणाली की अखंडता एवं कार्यक्षमता को बनाए रखना।	पंप, वाल्व, मीटर अथवा SCADA/IoT उपकरणों में अनधिकृत मरम्मत, संशोधन अथवा कनेक्शन प्रतिबंधित होगा।
अवैध जल कनेक्शन	NRW रोकना एवं समतापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करना।	अनधिकृत घरेलू, वाणिज्यिक या सिंचाई संयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित होगा, ऐसा करने पर दंडात्मक कार्यवाही/जुर्माना लागू होगा।
सामुदायिक जिम्मेदारी	सामुदायिक स्वामित्व को प्रोत्साहित करना।	ग्राम पंचायत एवं स्वच्छता समिति/ग्राम पंचायत परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने एवं किसी भी प्रकार की क्षति की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देने के लिए उत्तरदायी होगी।
दंड एवं दंडात्मक कार्रवाई	अनुशासन सुनिश्चित करना तथा परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना।	परिसंपत्तियों में तोड़फोड़, अतिक्रमण, अवैध जल दोहन/अवैध कनेक्शन, जल स्रोतों को प्रदूषित करना तथा जलापूर्ति अवसंरचनाओं को क्षति पहुँचाना दंडनीय अपराध होगा तथा प्रचलित प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई तथा आवश्यकतानुसार प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी।

2.4 दंडात्मक प्रावधान (Penal Provisions)

- निर्माण या अन्य गतिविधियों के कारण पेयजल आपूर्ति अवसंरचना को होने वाले किसी भी नुकसान की वित्तीय जिम्मेदारी उस नुकसान के लिए जिम्मेदार विभाग, पक्ष, संस्था या ठेकेदार की होगी। किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने की दशा में संबंधित विभाग/एजेंसी मरम्मत, पुनर्स्थापन तथा आपूर्ति बाधित रहने की अवधि में वैकल्पिक जलापूर्ति व्यवस्था से संबंधित समस्त व्यय का वहन करेगी। यदि इस नुकसान की क्षतिपूर्ति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं की जाती है, तो जवाबदेही सुनिश्चित करने और पेयजल आपूर्ति संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- किसी भी प्रकार के नुकसान, अतिक्रमण, चोरी, दुरुपयोग या अनधिकृत पहुँच (unauthorized access) के लिए उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 (यथा संशोधित), उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 और संबंधित बीएनसी कोड (BNC Code) जैसे प्रचलित अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश भूजल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019, उत्तर प्रदेश राज्य जल नीति, 2020 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (यथा संशोधित) प्रावधानों के अनुसार जल स्रोतों का संरक्षण किया जाएगा। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में प्रचलित अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
- निम्नलिखित परिस्थितियों में संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर पर दंड अधिरोपित किया जाएगा: दंड की धनराशि, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जारी संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर के साथ किये गये अनुबंध के अनुसार होगी:-

अनुबंध में निर्धारित सेवा स्तर मानकों को प्राप्त करने में विफलता

अनुबंध के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त शिकायतों/समस्याओं का समाधान न करना

- v. यदि कोई उपभोक्ता ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त पेयजल का उपयोग कृषि कार्यों अथवा अन्य किसी गैर-अनुमन्य (Non-Permissible) उद्देश्य के लिए करता है, तो इसे पेयजल का दुरुपयोग माना जाएगा। ऐसी स्थिति में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को दंड/जुर्माना अधिरोपित करने तथा वसूली करने का अधिकार होगा।
- vi. जल के अनधिकृत दोहन, अवैध कनेक्शन, पेयजल आपूर्ति योजनाओं के घटकों जैसे- सौर ऊर्जा पैनल, विद्युत पैनल, पाइपलाइन या अन्य अवसंरचना को क्षति पहुंचाने की स्थिति में, अंतःग्राम अवसंरचना के संदर्भ में संबंधित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा वाह्यःग्राम अवसंरचना के संदर्भ में उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा स्थानीय पुलिस थाने को लिखित में सूचित किया जाएगा।
- vii. यदि कोई उपभोक्ता बार-बार अथवा जानबूझकर पेयजलापूर्ति योजना के संचालन में बाधा उत्पन्न करता है या उसकी कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो ऐसे व्यक्ति को आदतन अपराधी माना जा सकता है। ऐसे मामलों में ग्राम पंचायत, उस पर वित्तीय दंड/जुर्माना अधिरोपित कर सकती है अथवा उसे कुछ सरकारी लाभों से वंचित करने की संस्तुति कर सकती है तथा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
- viii. पेयजल आपूर्ति योजना की पाइपलाइन से मोटर पंप लगाकर जल का अनधिकृत दोहन करना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मोटर पंप को तत्काल विच्छेदित कर सकती है तथा ग्राम पंचायत के माध्यम से उपयुक्त दंड/जुर्माना अधिरोपित/वसूली कर सकेगी।
- ix. यूजर शुल्क का भुगतान न करने अथवा विलंब से भुगतान करने की स्थिति में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति उपयुक्त दंड/जुर्माना अधिरोपित कर उसकी वसूली कर सकती है अथवा यूजर शुल्क की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करने हेतु कोई उपयुक्त व्यवस्था विकसित एवं लागू कर सकती है।

2.4.1 विवाद समाधान एवं मध्यस्थता (Dispute Settlement & Arbitration)

- i. ग्राम पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान का क्षेत्राधिकार संबंधित जनपद के अंतर्गत होगा।
- ii. ग्राम पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु नियुक्त एजेंसी/संस्था तथा पंचायती राज संस्थाओं अथवा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के मध्य उत्पन्न किसी भी विवाद का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा। मध्यस्थ का चयन एवं नियुक्ति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाएगा।
- iii. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित बिलिंग, बिलों के भुगतान, सेवा प्रदायगी एवं अन्य संचालन संबंधी अनियमितताओं से संबंधित मामलों के समाधान हेतु उत्तरदायी होगी तथा संबंधित पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों के निस्तारण के लिए मध्यस्थता निकाय के रूप में कार्य करेगा।
- iv. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का निर्णय सभी संबंधित पक्षों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

अध्याय 3 - सेवा वितरण मॉडल एवं प्रणाली प्रत्यास्थता (Service Delivery Model & System Resilience)

3.1 संचालन एवं अनुरक्षण मॉडल (O&M Model)

3.1.1 योजनाओं का हस्तांतरण (Transfer of Schemes)

- i. कॉन्ट्रैक्टर अनुबंध की शर्तों के अनुसार पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पूर्णता के लिए उत्तरदायी होगी। पारदर्शिता एवं जन-जागरूकता सुनिश्चित करने हेतु योजनाओं का पूर्ण विवरण परियोजना स्थल तथा ग्राम पंचायत भवन में प्रदर्शित किया जाएगा।
- ii. किसी भी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के पूर्ण होने एवं 3 माह के ट्रायल रन की सफल समाप्ति के पश्चात, योजना की अंतःग्राम अवसंरचना एवं बाह्यग्राम अवसंरचना को क्रमशः संबंधित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को हस्तांतरित की जाएगी।
- iii. पूर्ण की गई योजनाओं की अंतःग्राम अवसंरचना का औपचारिक हस्तांतरण राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा निर्गत कमीशनिंग एवं हैण्डिंगओवर प्रोटोकॉल के अनुसार जल अर्पण कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को किया जाएगा।

3.1.2 एकल ग्राम योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण (O&M of Single Village Schemes)

- i. राज्य में, जल जीवन मिशन की योजनाएँ EPC मोड पर क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें क्रियान्वयन करने वाले वेण्डर द्वारा 10 वर्षों का संचालन एवं अनुरक्षण भी शामिल है। अतः ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संबंधित क्रियान्वयन फर्मों/वेण्डर्स के माध्यम से, संबंधित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समन्वय से किया जाएगा। इस 10 वर्ष की अवधि के दौरान, अंतःग्राम अवसंरचना (In-Village Infrastructure) के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर्स/ठेकेदारों तथा संबंधित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा।
- ii. 10 वर्षों की संचालन एवं अनुरक्षण अवधि पूर्ण होने के उपरांत योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वयं अथवा वेण्डर्स, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS), वृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (LAMPS) के माध्यम से किया जाएगा। यदि किसी एकल ग्राम योजना के लिए वेण्डर के चयन में कठिनाई आती है, तो ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियां, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा जिला तकनीकी इकाई के सहयोग से योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु ग्रामों का समूह बनाकर वेण्डर का चयन/तैनाती कर सकती हैं।
- iii. कॉन्ट्रैक्टर द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण के 9वें वर्ष के उपरांत ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों तथा ग्राम पंचायत द्वारा नामित स्थानीय समुदाय के सदस्यों को योजना के संचालन एवं अनुरक्षण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वेण्डर्स द्वारा 10 वर्षों की संचालन एवं अनुरक्षण अवधि के पश्चात, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, अंतःग्राम अवसंरचनाओं (In-Village Infrastructure) के संचालन एवं अनुरक्षण कार्यों के निष्पादन हेतु इन प्रशिक्षित सदस्यों की सेवाएँ ले सकती है। ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम पंचायत द्वारा नामित स्थानीय समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए तथा योजना के क्रियान्वयन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

3.1.3 बहुल-ग्राम जलापूर्ति योजनाओं (MVS) (भूजल एवं सतही स्रोत आधारित पेयजल योजनाएँ) का संचालन एवं अनुरक्षण

- i. राज्य में, जल जीवन मिशन की योजनाएँ EPC मोड पर क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें क्रियान्वयन करने वाले वेण्डर द्वारा 10 वर्षों का संचालन एवं अनुरक्षण भी शामिल है। अतः ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा संबंधित क्रियान्वयन फर्मों/वेण्डर्स के माध्यम से, संबंधित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समन्वय में किया जाएगा। इस 10 वर्ष की अवधि के दौरान, अंतःग्राम अवसंरचना (In-Village Infrastructure) के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर्स/ठेकेदारों तथा संबंधित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा।
- ii. 10 वर्षों की संचालन एवं अनुरक्षण अवधि पूर्ण होने के उपरांत योजना से संबंधित अंतःग्राम अवसंरचनाओं (ग्राम के प्रवेश बिन्दु से अंतिम उपभोक्ता के घर तक) (In-Village Infrastructure) का संचालन एवं अनुरक्षण ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वयं अथवा वेण्डर्स, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS), वृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (LAMPS) के माध्यम से किया जाएगा। यदि किसी एक ग्राम के अंतःग्राम अवसंरचनाओं के लिए वेण्डर के चयन में कठिनाई आती है, तो ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियां, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा जिला तकनीकी इकाई के सहयोग से योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु ग्रामों का समूह बनाकर वेण्डर का चयन/तैनाती कर सकती हैं। योजना से संबंधित वाहयःग्राम अवसंरचनाओं (Out-Village Infrastructure) के संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर के माध्यम से कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की होगी।

3.1.4 नागरिक चार्टर की स्थापना (Establishment of Citizen Charter):

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा एक नागरिक चार्टर स्थापित किया जाएगा, जिसमें नए नल कनेक्शन प्रदान करने, पाइपलाइन मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के समाधान तथा प्रभावी शिकायत निवारण सहित सभी उपभोक्ताओं को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जनहित गारंटी अधिनियम (Public Service Guarantee Act) के प्रावधान शामिल होंगे।

3.1.5 संचालन एवं अनुरक्षण के दौरान तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी (TPIA) की नियुक्ति:

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) संचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियों की प्रभावी निगरानी करने तथा सेवा स्तर मानकों तथा वित्तीय निगरानी (Financial Monitoring) के अनुसार योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी को नियुक्त करेगा।

3.2 जलापूर्ति की समय-सारणी (Schedule of Supply)

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)/योजित वेण्डर के समन्वय से स्थानीय आवश्यकताओं एवं सुविधा के दृष्टिगत जलापूर्ति के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित करेगी। इसके अतिरिक्त, संबंधित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, 30प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर तथा जिला तकनीकी इकाई के समन्वय से जल राशनिंग (Water Rationing) की एक स्पष्ट रणनीति

तैयार करेगी, ताकि कम पानी की उपलब्धता, सूखे या आपातकालीन परिस्थितियों में जल का न्यायसंगत एवं समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। जलापूर्ति के निर्धारित समय को जल कार्यस्थल के बाहरी भाग/गाँव के अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

3.3 आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं आपदा प्रत्यास्थता (Emergency Response & Disaster Resilience)

- i. महामारी (Endemic/pandemic), प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियों में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, तथा क्रियान्वयन एजेंसी जल स्रोतों एवं जलापूर्ति अवसंरचनाओं का जोखिम मूल्यांकन तत्काल करेगी।
- ii. आपातकालीन स्थितियों और आपदाओं के दौरान, पेयजल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्वेक्षण (WQM&S) ढांचे को प्राथमिकता के आधार पर सक्रिय किया जाएगा; जैसे कि जल गुणवत्ता परीक्षण की आवृत्ति (frequency) को बढ़ाया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से जीवाणु संदूषण (bacteriological contamination) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। संदूषण पाए जाने या उसकी आशंका होने की स्थिति में वैकल्पिक सुरक्षित जल व्यवस्था प्रदान की जाएगी, जिसमें वह क्षेत्र भी शामिल हैं जहां किसी अन्य समस्या के कारण स्रोत या जल आपूर्ति योजनाएं अक्रियाशील हो गई हैं।
- iii. सामुदायिक स्तर पर निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) को सक्रिय (mobilize) किया जाएगा।
- iv. त्वरित परीक्षण और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिला और राज्य प्रयोगशालाएं मिशन मोड में काम करेंगी।
- v. जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए जल के सुरक्षित रख-रखाव और उपयोग के संबंध में समय-समय पर सार्वजनिक सुझाव/निर्देश प्रसारित की जाएगी।
- vi. आपातकालीन एवं आकस्मिक जलापूर्ति आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक योजना अथवा निर्धारित ग्राम समूहों के लिए पर्याप्त क्षमता वाले जल टैंकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- vii. ब्रेकडाउन का तुरंत समाधान करने और आपातकालीन स्थितियों से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए स्पेयर पार्ट्स और रसायनों की पर्याप्त उपलब्धता (inventory) सुनिश्चित की जाएगी।
- viii. विद्युत-आधारित जलापूर्ति योजनाओं में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण तथा सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं में उपकरणों की क्षति अथवा प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण उत्पन्न व्यवधान की स्थिति में, निर्बाध जलापूर्ति बनाए रखने हेतु प्रत्येक योजना के लिए पर्याप्त क्षमता वाले डीज़ल जनरेटरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- ix. योजना में नियमित एवं सतत जलापूर्ति की सुदृढ़ता (Resilience) एवं सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

3.4 शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism)

शिकायतों की प्रभावी निगरानी एवं उनके त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग शिकायत निवारण हेतु किया जाएगा। जनसामान्य एवं हितधारकों को इस प्रणाली तक सरल, सुगम एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल

पहुँच उपलब्ध कराने के लिए समुचित व्यवस्थाएँ की जाएँगी। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावशीलता की निगरानी करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए।

- i. जलापूर्ति में व्यवधान, जल गुणवत्ता विषयक तथा अवसंरचना संबंधी कमियों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन (1800 1212 164) तथा मोबाइल-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है।
- ii. जन-सामान्य की शिकायतों के प्रभावी समाधान को सुगम बनाने हेतु एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र तथा नागरिक चार्टर विकसित किया जाएगा, जिससे शिकायतों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी निस्तारण को सुनिश्चित किया जा सके।
- iii. नागरिक चार्टर के अनुसार निर्धारित समय-सीमा एवं उत्तरदायित्व मैट्रिक्स के अनुरूप शिकायतों का व्यवस्थित रूप से अनुश्रवण एवं उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही, पारदर्शिता एवं सेवा की विश्वसनीयता को सुदृढ़ बनाया जा सके।
- iv. शिकायतों की वास्तविक समय में ट्रैकिंग एवं समाधान के लिये शिकायत निवारण प्रणाली जैसे www.jalsamadhan.in तथा जल सारथी मोबाइल ऐप इत्यादि के माध्यम से प्रभावी निगरानी/अनुश्रवण किया जायेगा।

अध्याय 4 - जल संसाधन, गुणवत्ता एवं पर्यावरणीय स्थिरता (Water Resource, Quality & Environmental Sustainability)

4.1 योजना की स्थिरता (Sustainability of Scheme)

ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के लिए एक स्थिरता ढांचा (sustainability framework) स्थिरता को दीर्घकालिक रूप से सतत, सुरक्षित, पर्याप्त और विश्वसनीय पेयजल सेवाएं प्रदान करने की एक जलापूर्ति प्रणाली की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है। यह उन व्यवस्थाओं द्वारा समर्थित है जो संपत्तियों का प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण, नियमित एवं बड़े दोनों प्रकार के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, जल स्रोतों का निरंतर संरक्षण एवं प्रबंधन, और नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने वाले जवाबदेह संस्थानों की उपस्थिति सुनिश्चित करती हैं।

यह चार मुख्य स्थिरता स्तंभों जैसे 'संस्थागत एवं सेवा वितरण स्थिरता' (Institutional & Service Delivery Sustainability), 'वित्तीय स्थिरता' (Financial Sustainability), 'अवसंरचना स्थिरता' (Infrastructure Sustainability) और 'स्रोत स्थिरता' (Source Sustainability) पर आधारित है; जो सेवा के प्रदर्शन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निरंतर सुधार को सुनिश्चित करने के लिए चार सहायक स्तंभों यथा 'गवर्नेंस' (शासन), 'डिजिटल सिस्टम', 'सामुदायिक भागीदारी' और 'सिटीजन कनेक्ट' (नागरिक जुड़ाव) के माध्यम से स्थापित होते हैं। नीचे दिए गए स्थिरता स्तंभ मैट्रिक्स के अनुसार, संबंधित हितधारकों जैसे कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/पंचायती राज विभाग, योजनाओं की स्थिरता के लिए उन सहायक गतिविधियों को योजनाओं के स्थिरता के लिए लागू करेंगे।

तालिका 3: स्थिरता स्तंभ मैट्रिक्स (Sustainability Pillar Matrix)

स्थिरता स्तंभ /सहायक गतिविधियां (Sustainability Pillars/Support initiatives)	शासन (Governance)	डिजिटल प्रणाली (Digital Systems)	सामुदायिक सहभागिता (Community Participation)	नागरिक संपर्क (Citizen Connect)
संस्थागत एवं सेवा प्रदायगी स्थिरता (Institutional & Service Delivery Sustainability)	भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों की स्पष्टता (Role & Responsibilities) सेवा स्तर मानक (SLBs) सेवा उपयोगिताएँ (Service Utilities) क्षमता निर्माण (Capacity Building)	डैशबोर्ड (Dashboard) एकीकृत परिसंपत्ति रजिस्टर (Unified Asset) रीयल-टाइम अलर्ट (Real Time Alert)	ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति SHGs/PACS/LAMPS नल जल मित्र	शिकायत निवारण तंत्र (GRM - Grievance Redressal Mechanism) संतुष्टि सर्वेक्षण (Satisfaction Surveys) नागरिक चार्टर/अधिनियम (Citizen Charter/Act)
वित्तीय स्थिरता (Financial Sustainability)	(VWSC) द्वारा यूजर शुल्क (User Charges) का अधिरोपण एवं वसूली राज्य एवं केन्द्रीय वित्त आयोग (FC - Finance Commission) से प्राप्त निधियाँ	डिजिटल बिलिंग (Digital Billing) मीटरिंग (Metering) ऊर्जा ट्रेकिंग/ऑडिट (Energy Tracking/Audit)	यूजर शुल्क के प्रति जागरूकता बजट संबंधी बैठक राजस्व संग्रहण	फीडबैक सर्वेक्षण क्रियाशीलता मूल्यांकन सार्वजनिक प्रकटीकरण

स्थिरता स्तंभ /सहायक गतिविधियां (Sustainability Pillars/Support initiatives)	शासन (Governance)	डिजिटल प्रणाली (Digital Systems)	सामुदायिक सहभागिता (Community Participation)	नागरिक संपर्क (Citizen Connect)
	राज्य बजट से प्राप्त वित्तीय संसाधन जिला खनिज निधि (District Mining Funds) से प्राप्त धनराशि			
अवसंरचना स्थिरता (Infrastructure Sustainability)	परिसंपत्ति प्रबंधन योजनाएँ, निवारक अनुरक्षण मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs)	SCADA, सेंसर संचालन एवं अनुरक्षण डिजिटल लॉग	रिसाव रिपोर्टिंग सामुदायिक निगरानी	सेवा रेटिंग डाउनटाइम डैशबोर्ड
स्रोत स्थिरता (Source Sustainability)	स्रोत संरक्षण (Source Protection) जल सुरक्षा (Water Security) जल ऑडिट (Water Audit)	डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (Decision Supports System) WQMS पोर्टल GIS जलभृत मानचित्रण	जल बजटिंग जल उत्सव स्कूल इको-क्लब	संदूषण पर रिपोर्ट स्रोत अपडेट

4.1.1 सेवा स्तर बेंचमार्क (Service Level Benchmark)

मानक निर्धारण (Benchmarking) ग्रामीण पेयजल से संबंधित सेवा प्रदायकों के प्रदर्शन का आकलन करने तथा सेवा प्रदायगी में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह सेवा स्तर, परिचालन दक्षता एवं वित्तीय सततता से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुरूप सेवा प्रदायकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु एक सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है।

पेयजल आपूर्ति योजनाओं में प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित सेवा स्तर मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:-

- सभी परिवारों को पर्याप्त मात्रा में (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन - LPCD) पेयजल आपूर्ति।
- क्रिटिकल बिंदुओं पर स्थित परिवारों को पर्याप्त दबाव (7 मीटर) के साथ जलापूर्ति।
- भारतीय मानक ब्यूरो BIS 10500 के अनुरूप जल की गुणवत्ता।
- जलापूर्ति योजनाओं में गैर-राजस्व जल (NRW) तथा अलेखांकित जल प्रवाह (UFW) के स्तर को निर्धारित लक्ष्य सीमा के भीतर बनाए रखना।

4.1.2 पेयजल उपयोग को प्राथमिकता (Priority to Drinking Water Use)

भूगर्भ जल अथवा सतही जल स्रोतों में पेयजल की कमी की स्थिति में, उत्तर प्रदेश राज्य जल नीति, 2020 के प्रावधानों के अनुसार पेयजल आपूर्ति योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। घरेलू पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के पश्चात उपलब्ध शेष जल का आवंटन औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा सिंचाई प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

4.1.3 पेयजल आपूर्ति परिसंपत्तियों का संरक्षण (Protection of Drinking Water Supply Assets)

किसी भी निर्माण कार्य, जिससे पेयजल योजनाओं की अवसंरचनाएं प्रभावित हो सकती हैं, के पूर्व संबंधित विभाग जिसमें राजमार्ग, रेलवे, निजी ठेकेदारों, संस्थानों अथवा व्यक्ति सम्मिलित हैं, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

निर्माण या अन्य गतिविधियों के कारण पेयजल आपूर्ति अवसंरचना (infrastructure) को होने वाले किसी भी नुकसान की वित्तीय जिम्मेदारी उस नुकसान के लिए जिम्मेदार विभाग, पक्ष, संस्था या ठेकेदार की होगी। यदि इस नुकसान की क्षतिपूर्ति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं की जाती है, तो जवाबदेही सुनिश्चित करने और पेयजल आपूर्ति संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

यदि पाइपलाइनों के पुनर्गठन (Realignment) अथवा अवसंरचना में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो संबंधित विभाग/पक्षकार को ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक धनराशि तत्काल उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध करानी होगी। ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ मुख्य सिविल संरचनाएँ अथवा पाइपलाइनें प्रभावित होती हैं, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), निर्माण कार्य पूर्ण होने तक पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, ताकि जलापूर्ति निर्बाध रूप से जारी रह सके, संबंधित विभाग/एजेंसी मरम्मत, पुनर्स्थापन तथा आपूर्ति बाधित रहने की अवधि में वैकल्पिक जलापूर्ति व्यवस्था से संबंधित समस्त व्यय का वहन करेगी।

4.1.4 अनधिकृत टैपिंग एवं पाइपलाइन क्षति (Unauthorised Tapping and Pipeline Damage)

जल का अनधिकृत दोहन, अवैध कनेक्शन, पाइपलाइनों को क्षति पहुँचाना तथा पेयजल आपूर्ति अवसंरचना के साथ तोड़फोड़ करना गंभीर अपराध माने जाएंगे। ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) संबंधित विभाग, पक्षकार, ठेकेदार अथवा व्यक्ति के विरुद्ध विधिक शिकायत दर्ज कराएगा। पेयजल की चोरी को रोकने तथा पेयजल आपूर्ति प्रणाली की अखंडता एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रचलित विधिक प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4.2 स्रोत स्थिरता (Source Sustainability)

योजना के संपूर्ण जीवनकाल के दौरान सभी पेयजल स्रोतों की स्थिरता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूगर्भ जल एवं सतही जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन, भूजल के अत्यधिक दोहन की रोकथाम, संदूषण की रोकथाम, पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखना तथा समुदायों के लिए सुरक्षित पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस हेतु विभिन्न स्तरों (राज्य, जनपद एवं ग्राम पंचायत) पर सोर्स सस्टेनेन्स समिति (SSC) का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम सोर्स सस्टेनेन्स समिति (VSSC) के रूप में कार्य करेगी। जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जिला सोर्स सस्टेनेन्स समिति (District Source Sustenance Committee - DSSC) का गठन किया जायेगा तथा राज्य स्तर पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/उत्तर प्रदेश जल

निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य सोर्स सस्टेनेन्स समिति (SSSC), का गठन किया जायेगा। राज्य सोर्स सस्टेनेन्स समिति में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग, केंद्रीय भूजल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रामीण विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सोर्स सस्टेनेन्स समिति (VSSC) के रूप में कार्यरत ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति स्रोतों की निगरानी, संरक्षण तथा संबंधित रिपोर्टिंग गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगी।

जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिला सोर्स सस्टेनेन्स समिति (DSSC) सोर्स सस्टेनेन्स संबंधी उपायों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी।

राज्य स्तर पर सोर्स सस्टेनेन्स समिति नीति मार्गदर्शन प्रदान करने, तकनीकी पर्यवेक्षण करने तथा संबंधित राज्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

राज्य-स्तरीय सोर्स सस्टेनेन्स समिति निम्नलिखित कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी:-

- i. JJM-IMIS प्लेटफॉर्म पर सभी स्तरों (राज्य, जनपद एवं ग्राम पंचायत) के लिए विकसित डिजीजन सपोर्ट सिस्टम को साक्ष्य आधारित प्लानिंग, अनुश्रवण तथा स्रोतों के स्थायित्व के उपायों को जनपद स्तर से ग्राम स्तर तक प्राथमिकता प्रदान करने के उद्देश्य से नियमित एवं आवश्यक संशोधन एवं अनुश्रवण किया जाना। डिजीजन सपोर्ट सिस्टम में विभिन्न राष्ट्रीय एवं विभागीय प्लेटफॉर्मों से प्राप्त भू-स्थानिक परतें (Geospatial Layers), जलभूवैज्ञानिक (Hydrogeological) मापदंड, वर्षा संबंधी जानकारी, जलभृत (Aquifer) संबंधी आँकड़े तथा पेयजल स्रोतों का डेटा सेट सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली में केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के भूजल स्थिति संबंधी आँकड़ों, सुजलाम भारत के स्रोत मानचित्रण तथा जनपदों से प्राप्त डिजिटल निरीक्षण इनपुट्स का एकीकरण भी शामिल है।
- ii. स्रोतों की सतत जल उपलब्धता (Sustained Source Yield), मौसमी स्थिरता, नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण तथा समयबद्ध सुधारात्मक उपायों के माध्यम से पेयजल की पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- iii. भूजल स्तर, जल उपलब्धता (Yield), जल गुणवत्ता एवं पुनर्भरण व्यवहार, नदी प्रवाह, वर्षा, बांधों/जलाशयों का जलस्तर तथा भूजल एवं सतही जल स्रोतों में संदूषण स्तर का वार्षिक एवं मौसमी आकलन सुनिश्चित करना।
- iv. जल पुनर्भरण (recharge), वॉटरशेड विकास और जलग्रहण क्षेत्र में सुधार (catchment improvement) के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, जैसे कि वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G), वॉटरशेड विकास घटक-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (WDC-PMKSY) 2.0 आदि के साथ अभिसरण (convergence) के माध्यम से जल स्रोत सुदृढीकरण गतिविधियों के क्रियान्वयन की निगरानी करना।
- v. जल संरक्षण कार्यक्रमों, वैकल्पिक जल स्रोतों के विकास तथा जल के पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग (Recycling and Reuse) कार्यक्रमों सहित आवश्यक सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करना।
- vi. आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य योजना (Action Plan) के प्रभावी नियोजन तथा उसके क्रियान्वयन की निगरानी के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

4.2.1 स्रोत संरक्षण (सतही जल/भूजल) (Source Protection (Surface water/Ground Water))

जल स्रोतों का संरक्षण उत्तर प्रदेश भूजल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019, उत्तर प्रदेश राज्य जल नीति, 2020 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा। इन अधिनियमों एवं दिशा-निर्देशों के प्रमुख प्रावधान/मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं:-

- i. नलकूपों/जल स्रोतों के निकट अत्यधिक पारगम्य मिट्टी, उथले एक्विफर या वेलहेड संरक्षण क्षेत्रों के ऊपर डंपिंग साइट, लैंडफिल, सेप्टिक टैंक स्थापित करना अथवा रसायनों का भंडारण करना प्रतिबंधित है।
- ii. जल स्रोत के निकट रासायनिक उपयोग को कम करना: उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को न्यूनतम करना, क्योंकि अत्यधिक रसायन मिट्टी से रिसकर भूगर्भ जल में जा सकते हैं और अपवाह (runoff) के माध्यम से सतही जल तक पहुँच सकते हैं।
- iii. भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ, रिचार्ज वेल, चेक डैम तथा परकोलेशन टैंक जैसी पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाएगा।
- iv. भूजल पुनर्भरण क्षमता में वृद्धि के लिए पारंपरिक जल निकायों (जलाशयों) का पुनर्स्थापन किया जाएगा।
- v. अनुपचारित अपशिष्ट के विसर्जन पर प्रतिबंध: इनटेक पॉइंट - जल ग्रहण बिंदु के अपस्ट्रीम में नदियों, झीलों या नालों में अनुपचारित अपशिष्ट जल या औद्योगिक बहिःस्राव का सीधा विसर्जन प्रतिबंधित है।
- vi. स्वच्छता निगरानी (Sanitary Surveillance): यह सर्वेक्षण उन पर्यावरणीय परिस्थितियों का अध्ययन है, जो भूजल/सतही जल स्रोतों के उपयोगिता/गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। सतही स्रोत की स्थिति में यह सर्वेक्षण जल ग्रहण बिंदु से 10 किलोमीटर ऊपरी प्रवाह तथा 10 किलोमीटर निचले प्रवाह क्षेत्र में किया जायेगा। सेनेटरी सर्वेक्षण के दायरे में भूवैज्ञानिक, भू-भौतिकीय, जल-वैज्ञानिक, जलवायु, औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि, मनोरंजक और भूमि विकास कारकों का एक विवेकपूर्ण अध्ययन शामिल होना चाहिए जो स्रोत में जल की निकासी को प्रभावित करते हैं और जिनकी वजह से सतही तथा उप-सतही प्रदूषण होने की संभावना रहती है।
- vii. यदि कोई एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) जल स्रोत/इनटेक वेल के पास उपचारित सीवेज का विसर्जन करता है, तो उसे सीपीएचईईओ (CPHEEO) मैनुअल के अनुसार सख्त मानदंडों का पालन करना होगा।
- viii. जल संरक्षण क्षेत्र जैसे कि इनटेक पॉइंट, बोरवेल और जलाशयों (reservoirs) से कचरा निपटान/डंपिंग साइटों की उपयुक्त एवं सुरक्षित दूरी बनाए रखी जाएगी।
- ix. शैवाल की वृद्धि (Algal growth) एवं बाढ़ के जोखिमों से निपटने के लिए डिसिल्टिंग/गाद निकालना तथा निवारक उपायों के माध्यम से जलाशयों एवं इनटेक अवसंरचनाओं का समय-समय पर रखरखाव किया जाएगा, स्रोत स्थिरता एवं जल सुरक्षा के लिए अनुश्रवण रूपरेखा निम्न तालिका में अंकित की गई है:-

तालिका 4: स्रोत स्थिरता के लिए अनुश्रवण रूपरेखा (Monitoring Framework for Source Sustainability)

अनुश्रवण मापदंड (Monitoring Parameter)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (राज्य स्तर)	जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (जिला स्तर)	ग्राम पंचायत/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (ग्राम स्तर)
सभी स्तरों पर सोर्स सस्टेनेन्स समितियाँ (SSCs)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधीन निर्धारित राज्य स्तरीय सोर्स सस्टेनेन्स समिति का गठन मार्ग निर्देश सहित। तीनों स्तरों (राज्य, जनपद एवं ग्राम) पर सोर्स सस्टेनेन्स समिति के गठन की अधिसूचना। जनपद स्तरीय सोर्स सस्टेनेन्स समिति की रिपोर्ट, बैठकों की कार्यवृत्त तथा बैठक समयसारिणी की समीक्षा करना।	जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिला तकनीकी इकाई के अधीन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार (DSSC) का गठन। जनपद में ग्राम पंचायत स्तर की (VSSC) के गठन संबंधी अधिसूचना जारी करना। ग्राम सोर्स सस्टेनेन्स समिति (VSSC) की रिपोर्ट, बैठकों के कार्यवृत्त तथा बैठक समयसारिणी की समीक्षा करना।	ग्राम पंचायत/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति स्तरीय VSSC का गठन मार्ग निर्देश सहित। जल स्रोत संरक्षण संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना। स्थानीय रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण एवं अनुरक्षण/रखरखाव किया जाना।
स्रोत स्थिरता कार्य योजनाएँ (SSAPs)	जनपदों में तैयार जिला स्रोत स्थिरता कार्य योजनाओं (DSSAPs) की राज्य स्तर पर समीक्षा। DSSAP तथा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के उपयोग की समीक्षा। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अनुमोदित स्रोत स्थिरता कार्ययोजना (SSAP) का प्रस्तुतीकरण। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के उपयोग हेतु जनपदों को मार्गदर्शन प्रदान करना, जिसमें CGWB, NRC, IMD तथा राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र NWIC के आंकड़ों का उपयोग शामिल हो।	ग्राम पंचायत स्तर की SSAPs की समीक्षा तथा उनका GPDP के साथ एकीकरण। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदित DSSAP दस्तावेज का प्रस्तुतीकरण। संवेदनशील जल स्रोतों एवं मौसमी जोखिमों की पहचान। DSSAP को डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना। जल स्रोत संरक्षण हेतु VB-G RAM G, जलागम कार्यक्रमों तथा FC अनुदानों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना।	ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति स्तर की SSAP का प्रस्तुतीकरण तथा उसका GPDP के साथ एकीकरण। स्थानीय स्तर पर जल स्रोत संरक्षण उपायों का क्रियान्वयन। जल स्रोत के संकट/मौसमी परिवर्तनों की सूचना जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित करना।

अनुश्रवण मापदंड (Monitoring Parameter)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (राज्य स्तर)	जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (जिला स्तर)	ग्राम पंचायत/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (ग्राम स्तर)
डिसीडन सपोर्ट सिस्टम (DSS) का प्रशिक्षण	डिसीडन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के अंगीकरण/उपयोग हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षण योजना तैयार करना। केंद्रीय भूजल बोर्ड, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) तथा राज्य जल सूचना केंद्र (SWIC) के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना। डिसीडन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिला तकनीकी इकाई के अधिकारियों का रिकार्ड रखना।	डिसीडन सपोर्ट सिस्टम (DSS) के अंगीकरण/उपयोग हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण योजना का राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रस्तुतीकरण। जनपद के सभी 'हर घर जल' प्रमाणित ग्राम पंचायतों को डिसीडन सपोर्ट सिस्टम (DSS) डैशबोर्ड के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जाना। जल सुरक्षा नियोजन हेतु सक्रिय रूप से डिसीडन सपोर्ट सिस्टम का उपयोग/अभिगम करने वाली जिला तकनीकी इकाइयों एवं हर घर जल प्रमाणित ग्राम पंचायतों की संख्या का रिकार्ड रखना। डिसीडन सपोर्ट सिस्टम द्वारा जारी अलर्ट की समीक्षा तथा उस पर कृत कार्यवाही। डिसीडन सपोर्ट सिस्टम के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त ग्राम पंचायतों/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों की संख्या का रिकार्ड रखना।	डिसीडन सपोर्ट सिस्टम के उपयोग हेतु ग्राम पंचायत/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति स्तर की प्रशिक्षण योजना का राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रस्तुतीकरण। बजट निर्माण एवं जल स्रोत नियोजन में डिसीडन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों/सूचनाओं का उपयोग। डिसीडन सपोर्ट सिस्टम से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं किया जाना।
ग्राम जल बजटिंग: डिसीडन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर जल संसाधन नियोजन।	राज्य स्तर पर जल बजटिंग एवं जल सुरक्षा योजना का निर्माण। जनपद स्तर पर जल बजटिंग गतिविधियों का राज्य स्तर पर पर्यवेक्षण एवं समीक्षा।	जनपद स्तर पर जल बजटिंग एवं जल सुरक्षा योजना का निर्माण। ग्राम पंचायत स्तर पर जल बजटिंग गतिविधियों का जनपद स्तर पर पर्यवेक्षण एवं समीक्षा।	डिसीडन सपोर्ट सिस्टम के आधार पर ग्राम जल बजट तैयार करना। ग्राम जल सुरक्षा योजना VWSP का ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के साथ एकीकरण।

4.3 जल गुणवत्ता रूपरेखा (Water Quality Framework)

नागरिक-केंद्रित जल गुणवत्ता शासन सुनिश्चित करने के लिए, संदूषण के जोखिमों का शीघ्र पता लगाने और समय पर प्रतिक्रिया देने पर जोर देने के लिए एक मजबूत जल गुणवत्ता ढांचे की आवश्यकता है। यह ढांचा प्रशिक्षित सुजलाम शक्ति समूहों के माध्यम से सशक्त सामुदायिक-नेतृत्व आधारित निगरानी, स्थानीय स्वामित्व को मजबूत करने तथा अंतिम छोर तक जल गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित करने को बढ़ावा देता है। यह डिजिटल प्लेटफार्मों, जियो-टैग्ड रिपोर्टिंग और एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से निरंतर निगरानी और डेटा आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। एक सुदृढ़ प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र (लैबोरेट्री इकोसिस्टम), त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के साथ मिलकर, जल गुणवत्ता डेटा की सटीकता, मानकीकरण और विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा। यह ढांचा सार्वजनिक डैशबोर्ड, त्वरित शिकायत निवारण तंत्र और सुलभ जल गुणवत्ता जानकारी के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ायेगी और नागरिकों का विश्वास पैदा करेगी।

राज्य के सभी 75 जनपदों में और राज्य स्तर पर एक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसके अलावा, सतही स्रोत आधारित योजनाओं के जल शोधन संयंत्रों में 72 आंतरिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। राज्य में दूरदराज के क्षेत्रों के लिए पाँच मोबाइल जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ संचालित की जा रही हैं। पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा:

- i. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य एवं जनपद स्तर की सभी प्रयोगशालाएँ रासायनिक एवं जीवाणु मानकों के परीक्षण हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता (Accreditation) प्राप्त हो तथा उक्त मान्यता का समय-समय पर नवीनीकरण भी नियमित रूप से कराया जाए।
- ii. विभाग/संचालन एवं अनुरक्षण एजेंसी भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2021 में प्रकाशित "पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण ढांचा" (Drinking Water Quality Monitoring & Surveillance Framework) में वर्णित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
- iii. पेयजल गुणवत्ता परीक्षण तथा पेयजल नमूनों का संग्रहण BIS 10500:2012 (समय-समय पर संशोधित) तथा केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (CPHEEO) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- iv. सुजलाम शक्ति समूह द्वारा फील्ड टेस्ट किट (FTKs) के माध्यम से समुदाय के नेतृत्व में नियमित पेयजल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण किया जायेगा, जिसमें अवशिष्ट क्लोरीन (residual chlorine) के स्तर, मटमैलापन (turbidity) और अन्य बुनियादी जल गुणवत्ता मानकों की निगरानी शामिल है एवं इसके परिणामों को सुजल गाँव यूटिलिटी ऐप के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, जो संबंधित सुजल गाँव आईडी के तहत केंद्रीयकृत निगरानी पोर्टल (WQMIS) से जुड़ा होगा। यह गतिविधियाँ साझा जिम्मेदारी और "जन भागीदारी" की भावना को सुदृढ़ करेगी।
- v. राज्य के स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि वार्षिक रूप से जल परीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करेंगे और जल गुणवत्ता से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन करेंगे। सुधारात्मक उपायों के सुझावों के साथ रिपोर्ट्स उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) और राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) इन सुधारात्मक उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

4.3.1 नमूना एकत्रीकरण की आवृत्ति (Frequency of Sampling)

प्रत्येक उपभोक्ता को BIS: 10500 (नवीनतम) में निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुरूप सुरक्षित और पीने योग्य (potable) जल की आपूर्ति की जाएगी। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, जल के नमूनों को एकत्र करने और उनके परीक्षण की आवृत्ति का पालन सीपीएचईईओ (CPHEEO) नियमावली (नवीनतम) के अनुसार किया जाएगा। सुजलाम शक्ति समूहों द्वारा फील्ड टेस्ट किट (FTK) के माध्यम से जल की गुणवत्ता का नियमित रूप से परीक्षण किया जाएगा। जल गुणवत्ता प्रबंधन और निगरानी के लिए अनुश्रवण ढांचा नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:-

तालिका 5: जल गुणवत्ता प्रबंधन एवं निगरानी हेतु अनुश्रवण ढांचा (Monitoring Framework of Water Quality governance and surveillance)

निगरानी मापदंड (Monitoring Parameter)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (राज्य स्तर)	जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (जिला स्तर)	ग्राम पंचायत/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (ग्राम स्तर)
<ul style="list-style-type: none"> सामुदायिक सहभागिता आधारित जल गुणवत्ता परीक्षण एवं डिजिटल रिपोर्टिंग 	<ul style="list-style-type: none"> जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) की अधिसूचना जारी करना। जल गुणवत्ता परीक्षण प्रोटोकॉल को अपनाने वाले ग्रामों का प्रतिशत। जल गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों को जनसामान्य के लिए पोर्टल के साथ इन्टीग्रेट करना। 	<ul style="list-style-type: none"> सुजल गाँव ऐप/जल सारथी ऐप के माध्यम से जल गुणवत्ता आंकड़ों को समयबद्ध रूप से पूर्ण एवं अद्यतन किया जाना। निर्धारित जल गुणवत्ता परीक्षण आवृत्ति का अनुपालन। जल संदूषण का पता चलने के पश्चात उपाचारात्मक कार्यवाही/तकनीकी कार्यवाही हेतु लिया गया समय। जिला तकनीकी इकाई/जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्राम पंचायतों को जारी की गई तकनीकी एडवाइजरी। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रति माह, ग्राम, विद्यालय एवं आंगनवाड़ी में परीक्षण किए गए जल नमूनों की संख्या। समयबद्ध रूप से जल गुणवत्ता के संबंध में उच्च स्तर को प्रेषित (Escalate) किए गए जल गुणवत्ता संबंधित अलर्ट्स। किये गये स्वच्छता निरीक्षणों (Sanitary Inspection) की संख्या एवं सुधारात्मक कार्रवाइयाँ।
<ul style="list-style-type: none"> FTK के उपयोग हेतु सुजलाम शक्ति समूहों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता स्तर-1 (NSQF L1) का प्रशिक्षण। 	<ul style="list-style-type: none"> हर घर जल ग्राम पंचायतों/ ग्रामों में सभी सुजलाम शक्ति समूहों को प्रशिक्षित किया 	<ul style="list-style-type: none"> जनपद में 'हर घर जल' (HGG) ग्राम पंचायतों/ गाँवों का प्रतिशत जिनमें 	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम स्तर पर सुजलाम शक्ति समूह का गठन एवं प्रशिक्षण। नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट के

निगरानी मापदंड (Monitoring Parameter)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (राज्य स्तर)	जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (जिला स्तर)	ग्राम पंचायत/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (ग्राम स्तर)
	<p>जाना।</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने संबंधित रिकार्ड्स को संबंधित पोर्टल जैसे ई-ग्राम स्वराज/ग्राम पंचायत डैशबोर्ड पर अपलोड/अपडेट किया जाना। प्रत्येक ग्राम में 1-2 महिलाओं को सुजलाम शक्ति के रूप में राष्ट्रीय कौशल योग्यता स्तर-1 (Level-1) का प्रमाणन। 	<p>प्रशिक्षित सुजलाम शक्ति समूह उपलब्ध हैं तथा प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने संबंधित रिकार्ड्स को संबंधित पोर्टल जैसे ई-ग्राम स्वराज/ग्राम पंचायत डैशबोर्ड पर अपलोड/अपडेट किया जाना।</p> <ul style="list-style-type: none"> निर्धारित समय-सारणी के अनुसार रिक्रेशर (Refresher) प्रशिक्षण की योजना तैयार करना एवं उसका आयोजन सुनिश्चित करना। 	<p>उपयोग में प्रशिक्षित एवं राष्ट्रीय कौशल योग्यता स्तर-1 प्रमाणित 1-2 महिलाओं की उपलब्धता।</p> <ul style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत में फील्ड टेस्ट किट (FTK) के उपयोग का नियमित प्रशिक्षण।
जल गुणवत्ता निगरानी एवं प्रयोगशालाओं का ISO/IEC 17025 के अनुसार एक्रिटिडेशन।	<ul style="list-style-type: none"> परीक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर की तैयारी तथा एक्रिटिडेशन। जल गुणवत्ता के अनुपालन हेतु प्रयोगशालाओं के प्रदर्शन तथा समयबद्ध रूप से उपचारात्मक कार्यवाही की समीक्षा। 	<ul style="list-style-type: none"> निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी निर्धारित परीक्षणों को पूर्ण करने हेतु नमूनों का समयबद्ध रूप से प्रयोगशालाओं में प्रेषण सुनिश्चित करना। स्रोतों, जल शोधन संयंत्रों (WTP), भंडारण जलाशयों तथा जल वितरण बिंदुओं पर CPHEEO मैनुअल के अनुसार जल गुणवत्ता परीक्षण। प्रयोगशाला परीक्षण निष्पादन समय (Turn Around Time - TAT) की निगरानी करना। 	<ul style="list-style-type: none"> सेवा वितरण बिंदुओं पर आपूर्ति किए गए जल के ग्राम स्तरीय परीक्षण परिणामों का ग्राम पंचायत एवं संबंधित पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक किया जाना। जल संदूषण का पता चलने पर मामले को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिला तकनीकी इकाई/संचालन एवं अनुरक्षण एजेंसी के समक्ष अग्रोषित (Escalate) करना तथा उपचारात्मक कार्यवाई की निगरानी करना।

निगरानी मापदंड (Monitoring Parameter)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (राज्य स्तर)	जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (जिला स्तर)	ग्राम पंचायत/ ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (ग्राम स्तर)
		<ul style="list-style-type: none"> प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन (Accreditation) प्रमाण-पत्रों को जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (WQMIS) पर अपलोड करना। जनपद के अंतर्गत प्रयोगशालाओं का पर्यवेक्षण करना तथा मानकों का अनुपालन न होने की स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करना। जल गुणवत्ता, जल संदूषण तथा जलजनित रोगों के प्रकोप की निगरानी करना, उपचारात्मक उपायों का क्रियान्वयन करना तथा इसकी रिपोर्ट राज्य स्तर को प्रेषित करना। 	

4.4 जल संरक्षण, अपव्यय एवं वितरण प्रबंधन (Water conservation, Wastage & Distribution Management)

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता और संवेदीकरण (sensitization) कार्यक्रमों द्वारा जल संरक्षण और जलवायु-अनुकूल जल आपूर्ति व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें "जल संचय" व "जल उत्सव" जैसे जागरूकता अभियान और स्कूलों के लिए "जल ज्ञान यात्रा" जैसे अभियान शामिल हैं।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी संख्या में भूजल-आधारित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। विभिन्न स्तर पर गठित सोर्स स्टेनेन्स समिति (SSC) द्वारा गिरते भूजल स्तर की प्रवृत्ति (trend) का अध्ययन और निगरानी करते हुए भूजल स्तर में सुधार के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जल संरक्षण संबंधी गतिविधियाँ, जैसे जल का विवेकपूर्ण उपयोग, जल की कम आवश्यकता वाले पौधों का रोपण, ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग, मृदा में नमी संरक्षण (मल्टिचिंग) को प्रोत्साहन, जल संचयन संबंधी संरचनाओं जैसे- वर्षा जल संचयन, चेक डैम, तालाब एवं खाइयों (ट्रेंच) का निर्माण, सोकपिट, पारंपरिक जल निकायों का पुनरोद्धार, एवं जलागम क्षेत्र विकास (जैसे गली प्लग, परकोलेशन टैंक एवं स्टैगर्ड ट्रेंच) तथा सघन वृक्षारोपण आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। इन कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से तथा संबंधित विभागों के साथ अभिसरण (Convergence) स्थापित करते हुए किया जाएगा।

औद्योगिक इकाइयों द्वारा जल दक्षता (Water Efficiency) को बढ़ावा देने वाली विधाओं को अपनाया जाएगा, जिनमें गैर-पेय (Non-Potable) उपयोगों के लिए अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण (Recycling) एवं पुनर्उपयोग (Reuse) शामिल होगा।

जागरूकता अभियानों के माध्यम से जनसामान्य को जल के विवेकपूर्ण एवं जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग के प्रति शिक्षित किया जाएगा तथा उन्हें जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सभी जल संसाधनों के सतत उपयोग, आवंटन, संरक्षण और निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा आवश्यक मॉनिटरिंग सेंसर से युक्त एक IoT आधारित एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। यह प्रणाली मात्रा और गुणवत्ता सहित जल संसाधनों की रीयल-टाइम निगरानी और निर्णय लेने के लिए एक सुदृढ़ डेटाबेस तैयार करने हेतु रिमोट सेंसिंग, हाइड्रोलॉजिकल डेटा, भूजल निष्कर्षण दरों, जल स्तर (water table) और जल गुणवत्ता मानकों का उपयोग करेगी।

विभिन्न स्तर पर गठित सोर्स सस्टेनेन्स समिति/जिला सोर्स सस्टेनेन्स समिति इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जल संसाधन प्रबंधन की निगरानी करेंगी तथा जल संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु निवारक उपायों की रणनीतिक योजना एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगी।

4.5 अपशिष्ट जल (Waste Water) एवं ग्रेवाटर प्रबंधन (Greywater Management)

घरेलू ग्रे-वाटर का प्रभावी प्रबंधन स्रोत स्थिरता (source sustainability) का एक महत्वपूर्ण घटक है। उचित ग्रे-वाटर प्रबंधन भूजल और पेयजल स्रोतों के संदूषण (contamination) को रोकने में मदद करता है, जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के आसपास जल-जमाव और स्थानीय प्रदूषण को कम करता है, तथा पौधों की सिंचाई तथा सामुदायिक हरित क्षेत्रों की सिंचाई जैसी गतिविधियों के लिए जल के लाभकारी पुनरुपयोग का अवसर प्रदान करता है। ये उपाय जल स्रोतों की सुरक्षा एवं दीर्घकालिकता तथा ग्रामीण स्वच्छता के सुधार में योगदान करते हैं।

जल स्रोतों की दीर्घकालिकता/स्थायित्व बनाये रखने के लिए पंचायती राज विभाग (PRD) गांवों में अपशिष्ट जल (wastewater) तथा ग्रे-वाटर प्रबंधन के लिए ऐसी विधाओं से युक्त, जिससे जल स्रोत संदूषण के खतरे से बचा जा सके, एक रणनीति योजना तैयार एवं क्रियान्वयन करेगा। इस कार्य योजना का नियोजन एवं क्रियान्वयन राज्य, जनपद एवं ग्राम स्तर पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) तथा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समन्वय से

किया जाएगा। अपशिष्ट जल एवं ग्रे-वॉटर प्रबंधन गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता जिला तकनीकी इकाई/उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा प्रदान की जाएगी।

कार्यक्रमों की सूची जिनके अन्तर्गत स्रोत की स्थिरता/दीर्घकालिकता में सुधार से संबंधित गतिविधियाँ तथा निधियों के अभिसरण को प्राथमिकता दी जा सकती है, निम्नवत् है:-

तालिका 6: स्रोत स्थिरता में सुधार के लिए गतिविधि/ निधियों के अभिसरण के अंतर्गत संचालित योजनाएँ (Schemes under which activity/ fund convergence to improve source sustainability)

योजना/अनुदान (Scheme/ Grants)	केंद्र/राज्य सरकार (Central/ State Government)	अभिसरण किए जा सकने वाले घटक (Components that can be converged)
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G)	DDWS -M/o जल शक्ति मंत्रालय	ग्रे-वॉटर प्रबंधन हेतु सोकपिट (व्यक्तिगत/सामुदायिक), जल स्थिरीकरण तालाब (Water Stabilization Ponds) आदि।
वित्त आयोग अनुदान	पंचायती राज विभाग	ग्रे-वॉटर प्रबंधन, जल निकासी प्रणाली आदि।
विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G)	ग्राम्य विकास विभाग	वर्गीकृत विकास खंडों में पुनर्भरण संरचनाओं (Recharge Structures), जैसे- चेक डैम एवं परकोलेशन टैंक का निर्माण, जल निकायों का गाद निष्कासन (Desilting)/जीर्णोद्धार तथा जल संरक्षण संबंधी अन्य कार्य।
एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)	भूमि संसाधन विभाग	जलागम प्रबंधन, वर्षा जल संचयन (RWH), कृत्रिम भूजल पुनर्भरण, जल निकायों का सृजन/विस्तार (संवर्धन) आदि।
अटल भूजल योजना	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	प्रोत्साहन घटक (Incentive Component) के अंतर्गत भूजल संरक्षण कार्य - सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से सतत भूजल प्रबंधन पर विशेष ध्यान।
जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण एवं पुनर्स्थापन	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल निकायों का पुनर्स्थापन।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय	जलागम क्षेत्र से संबंधित कार्य।
जल शक्ति अभियान: कैच द रेन एवं अमृत सरोवर मिशन	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	जल-संकटग्रस्त जनपदों में वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु लक्षित प्रयास। जल उपलब्धता बढ़ाने तथा पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रत्येक जिले में जलाशयों/जल निकायों का जीर्णोद्धार।

4.6 शून्य रिसाव नीति (Zero leakage Policy)

पाइप आधारित जलापूर्ति योजनाओं में जल रिसाव के प्रति शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) का अर्थ है कि जल वितरण प्रणाली में जलापूर्ति के दौरान रिसाव के कारण होने वाली जल हानि को न्यूनतम संभव स्तर तक सीमित करने के लिए कठोर प्रतिबद्धता अपनाई जाए। इसका उद्देश्य नियमित रूप से वितरण प्रणाली के अनुरक्षण, रिसाव की पहचान एवं दाब प्रबंधन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा रिसाव होने पर त्वरित मरम्मत जैसे प्रभावी उपायों के माध्यम से व्यावहारिक रूप से शून्य रिसाव की स्थिति प्राप्त करना है।

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) गैर-राजस्व जल (NRW) के प्रबंधन हेतु एक व्यापक रणनीति विकसित एवं कार्यान्वित करेगा, जिसमें जल लेखा-परीक्षण (Water Audit), जल हानि की नियमित निगरानी, रिसाव की पहचान, दाब (Pressure) प्रबंधन तथा रिसाव का निवारण शामिल होगा।

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति/संचालन एवं अनुरक्षण वेण्डर नियमित रूप से जलापूर्ति प्रणालियों की निगरानी करेगी तथा रिसाव, अतिप्रवाह, दुरुपयोग एवं अन्य कारणों से होने वाली जल हानि की पहचान करेंगे और उनके निवारण हेतु तत्काल आवश्यक उपाय करेंगे।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिला तकनीकी इकाई रिसाव के स्तरों की निगरानी करेगी, अनुरक्षण अनुसूचियों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगी तथा ग्राम पंचायतों एवं ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिला तकनीकी इकाई मरम्मत कार्यों का समन्वय करेगी तथा रिसाव में कमी से संबंधित प्रदर्शन संकेतकों (Performance Indicators) की निगरानी एवं अनुश्रवण करेगी।

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति ग्राम स्तर की जल वितरण नेटवर्क की निगरानी, रिसावों की पहचान तथा उनकी समयबद्ध मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगी। ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति मरम्मत कार्यों एवं प्रणाली के प्रदर्शन से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव करेगी तथा रिसावों की सूचना देने हेतु सामुदायिक सहभागिता और जन-रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करेगी।

4.7 ऊर्जा ऑडिट (Energy Audit)

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)/जिला तकनीकी इकाई जलापूर्ति योजनाओं में स्थापित विद्युत यंत्रों, विशेषकर पम्पस् एवं मोटर्स का CPHEEO मैनुअल, जल जीवन मिशन के संचालन एवं अनुरक्षण दिशा-निर्देशों तथा निर्माताओं की अनुशंसाओं के अनुरूप समय-समय पर ऊर्जा लेखा-परीक्षण (Energy Audit) सुनिश्चित करेंगे, ताकि ऊर्जा दक्षता में वृद्धि हो, परिचालन लागत में कमी आए तथा योजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। ऊर्जा लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) आवश्यक सुधारात्मक उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।

अध्याय 5 - वित्तीय, मानव एवं सामुदायिक प्रणालियाँ (Financial, Human & Community Systems)

5.1 वित्तीय स्थिरता (Financial Sustainability)

प्रदेश में 80% से अधिक भूजल-आधारित जलापूर्ति योजनाओं को सौर ऊर्जा आधारित बनाया गया है जिसके फलस्वरूप विद्युत आधारित पारंपरिक योजनाओं की तुलना में संचालन एवं लागत लगभग 50% तक कम होती है एवं योजनाओं को वित्तीय एवं पर्यावरणीय रूप से अधिक टिकाऊ (सस्टेनेबल) बनाता है।

रिवॉल्विंग फंड/आवर्ती पूंजीगत व्यय, विद्युत व्यय, मानव संसाधनों के लिए मानदेय/पेशेवर शुल्क/सेवा शुल्क, जल गुणवत्ता परीक्षण, नियमित मरम्मत और आपातकालीन आवश्यकताओं सहित सभी संचालन एवं अनुरक्षण खर्चों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू किए जाएंगे:-

- i. ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, पंचायती राज विभाग द्वारा तय की गई नीति के अनुसार, लाभार्थी परिवारों से यूजर शुल्क निर्धारित करने और वसूलने के लिए उत्तरदायी होगी।
- ii. प्रत्येक ग्राम पंचायत से अनुमानित यूजर शुल्क की वार्षिक वसूली के उस अनुपात में जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा, राज्य स्तर पर (At Source) ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कटौती की जायेगी।
- iii. क्षेत्र पंचायतों/जिला पंचायत को आवंटित किए जाने वाले राज्य वित्त आयोग की धनराशि से उस अंश की कटौती जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा, राज्य स्तर पर (At Source) कटौती की जाएगी।"
- iv. केंद्रीय वित्त आयोग की दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किया जाएगा।
- v. अन्य स्रोतों जैसे कि डीएमएफटी (जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट) के फंड का भी उपयोग किया जाएगा।
- vi. प्रस्तर 5.1 के उप प्रस्तर i, ii, iii, iv एवं v के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं हो पाने की स्थिति में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य के संसाधनों से की जायेगी।
- vii. ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय प्रबन्धन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तर 5.1 के उप प्रस्तर i, ii, iii, iv, v एवं vi में वर्णित व्यवस्था अनुसार यूजर वसूली, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि तथा राज्य के संसाधनों से प्राप्त होने वाली धनराशि को समाहित करते हुए वार्षिक अनुरक्षण एवं संचालन हेतु वांछित समस्त धनराशि की व्यवस्था राज्य बजट के माध्यम से की जायेगी।
- viii. सभी योजनाओं के विद्युत बिलों का भुगतान राज्य स्तर पर किया जाएगा। तत्प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

5.1.1 नियमित निगरानी एवं ऑडिट (Regular Monitoring and Audits)

कमियाँ (Gaps) की पहचान करने, नीति/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए नियमित वित्तीय समीक्षा तथा वार्षिक ऑडिट किए जाएंगे।

5.1.2 प्रमुख वित्तीय निगरानी संकेतक (Key Financial Monitoring Indicators)

योजना की वित्तीय स्थिरता (Financial Sustainability) सुनिश्चित करने के लिए, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण) निम्नलिखित वित्तीय निगरानी संकेतकों के माध्यम से निगरानी करेगा।

तालिका 7: मुख्य वित्तीय निगरानी संकेतक (Key Financial Monitoring Indicators)

संकेतक	विवरण/सूत्र
यूजर शुल्क वसूली, संचालन एवं अनुरक्षण व्यय का अनुपात	एकत्रित यूजर शुल्क + कुल संचालन एवं अनुरक्षण व्यय
विद्युत व्यय, संचालन एवं अनुरक्षण व्यय का अनुपात	विद्युत व्यय + कुल संचालन एवं अनुरक्षण व्यय
संग्रह दक्षता	एकत्रित यूजर शुल्क + बिल की गई धनराशि
संचालन एवं अनुरक्षण बजट का उपयोग	वास्तविक संचालन एवं अनुरक्षण व्यय + स्वीकृत संचालन एवं अनुरक्षण बजट
गैर-राजस्व जल (उपभोक्ता मीटर्ड बिलिंग की स्थिति में)	योजना के अन्तर्गत आपूर्ति किए गए जल एवं बिल की गई जल मात्रा के बीच का अंतर
वित्तीय रिपोर्टिंग की समयबद्धता	मासिक वित्तीय रिपोर्टिंग का अनुपालन

5.2 क्षमता निर्माण एवं सामुदायिक सहभागिता (Capacity Building and Community Engagement)

- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए एक व्यापक क्षमता निर्माण ढांचा (कैपेसिटी-बिल्डिंग फ्रेमवर्क) स्थापित और सुदृढ़ करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षण प्रयास न केवल आयोजित कार्यक्रमों की संख्या पर केंद्रित हों, बल्कि सेवा वितरण, प्रणाली के प्रदर्शन और संस्थागत प्रभावशीलता से जुड़ी क्षमताओं में गुणात्मक सुधार पर भी ध्यान केंद्रित हो। प्रशिक्षण की प्रगति को ट्रैक करने के लिए सम्बन्धित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
- क्षमता संवर्धन का कार्य एक व्यवस्थित ढांचे के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसमें ओरिएंटेशन और रिक्रेशर प्रशिक्षण शामिल होंगे।

- iii. संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, 'जल अर्पण' और 'जल उत्सव' जैसे सामुदायिक सहभागिता आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर ओरिएंटेशन और जनजागरूकता का कार्य किया जाएगा।

जनपद एवं सामुदायिक स्तर पर क्षमता एवं दक्षता संवर्धन क्षेत्रों का विवरण निम्नलिखित तालिका में अंकित किया गया है:-

तालिका 8: सामुदायिक स्तर के लिए क्षमता निर्माण ढाँचा (Capacity building framework for community level)

कार्यात्मक भूमिका	मुख्य हितधारक	आवश्यक दक्षता	क्षमता निर्माण क्षेत्र
अवसंरचना संचालन एवं अनुरक्षण तथा परिसंपत्ति प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत मानव संसाधन SHG/PACS/LAMPS ग्राम पंचायत सचिव प्रधान/सरपंच 	योजना के विभिन्न घटकों, नियमित संचालन एवं अनुरक्षण, निवारक अनुरक्षण, परिसंपत्ति ट्रेकिंग तथा अवसंरचना संरक्षण की जानकारी/समझ।	<ul style="list-style-type: none"> निवारक अनुरक्षण प्रोटोकॉल। संचालन एवं ऊर्जा दक्षता संबंधी व्यवहार। लघु मरम्मत एवं संचालन एवं अनुरक्षण रजिस्ट्रों का रखरखाव। परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव। डिजिटल परिसंपत्ति मानचित्रण (Digital Asset Mapping) अवसंरचना संरक्षण उपाय।
जल गुणवत्ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत मानव संसाधन सुजलाम शक्ति समूह स्वयं सहायता समूह (SHG) आंगनबड़ी कार्यकर्ता (AWW) आशा (ASHA) प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS) लार्ज एरिया मल्टीपर्सन सोसाइटी (LAMPS) 	जल गुणवत्ता मानकों, परीक्षण प्रक्रियाओं तथा जनस्वास्थ्य से संबंधित जानकारी।	<ul style="list-style-type: none"> FTK का उपयोग एवं रिपोर्टिंग। स्वच्छता निरीक्षण (Sanitary Inspection)। जलजनित रोगों एवं जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता। सुरक्षित जल भंडारण पद्धतियाँ। हाथ धोने की आदतों को बढ़ावा देना। डायरिया की रोकथाम संबंधी जागरूकता। विद्यालय एवं आंगनवाड़ी जल सुरक्षा।
वित्तीय प्रशासन एवं जवाबदेही	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति ग्राम पंचायत प्रधान/सरपंच ग्राम पंचायत सदस्य 	यूजर शुल्क प्रणाली का प्रबंधन, वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव तथा संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने की क्षमता।	<ul style="list-style-type: none"> यूजर शुल्क निर्धारण। शुल्क संग्रहण मैकेनिज्म का निर्धारण। संचालन एवं अनुरक्षण लागत का आकलन। लेखा-जोखा तैयार करना एवं वित्तीय अभिलेखों का ग्राम पंचायत की वित्तीय निधियों के साथ इंटीग्रेशन। योजना के क्रियाशीलता का आंकलन/जल सेवा आंकलन। सेवा स्तर मानक का अनुश्रवण। निधि के उपयोग का अनुश्रवण।
सामुदायिक सहभागिता	<ul style="list-style-type: none"> प्रधान/सरपंच 	समुदाय को सक्रिय करने एवं	<ul style="list-style-type: none"> नेतृत्व एवं सुविधा-प्रदान करने का कौशल।

कार्यात्मक भूमिका	मुख्य हितधारक	आवश्यक दक्षता	क्षमता निर्माण क्षेत्र
एवं शिकायत निवारण	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति स्वयं सहायता समूह (SHG) 	जनसहभागिता को बढ़ावा देने तथा नागरिकों की शिकायतों एवं सुझावों का समाधान करने की क्षमता।	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम सभा में सक्रिय सहभागिता। सहभागिता तंत्र (Participatory Rural Appraisal/जन भागीदारी) की जानकारी। लैंगिक समावेशी व्यवस्था। मांग प्रबंधन। विवाद समाधान। फीडबैक तंत्र। शिकायतों की निगरानी। शिकायतों का अग्रेशन प्रोटोकॉल। नागरिक संपर्क तंत्र।
डिजिटल उपकरण एवं स्रोत स्थिरता	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति ग्राम पंचायत सचिव प्रधान/सरपंच स्वयं सहायता समूह 	डिजिटल निगरानी प्रणालियों का उपयोग करने तथा जल स्रोतों के सतत प्रबंधन की योजना बनाने की क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म का उपयोग जल सेवा आकलन IMIS एवं डैशबोर्ड निर्णय हेतु आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या जल उपलब्धता एवं मांग का आकलन सीजनल वॉटर रिस्क प्लानिंग जल पुनर्भरण उपाय/तकनीक ग्रे-वॉटर प्रबंधन

तालिका 9: जनपद स्तर पर क्षमता सम्वर्धन ढांचा (Capacity building framework at district level)

कार्यात्मक भूमिका	मुख्य हितधारक	आवश्यक दक्षता	क्षमता निर्माण क्षेत्र
संचालन एवं अनुरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण	<ul style="list-style-type: none"> जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSSM) जिला तकनीकी इकाई (DTU) 	योजनाओं की डिजाइन तैयार करने तथा उनके संचालन एवं अनुरक्षण की निगरानी एवं उनके प्रदर्शन को सर्वोत्तम/सुदृढ बनाने की क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> जल सेवा आकलन के आंकड़ों के आधार पर सेवा में सुधार की कार्ययोजना तैयार करना निवारक संचालन एवं अनुरक्षण प्रोटोकॉल परिसंपत्ति प्रबंधन ऊर्जा दक्षता
जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण	<ul style="list-style-type: none"> जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSSM) जिला तकनीकी इकाई (DTU) प्रयोगशाला कार्मिक 	जोखिम-आधारित जल गुणवत्ता प्रबंधन की क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण (WQM&S) प्रणाली प्रयोगशाला गुणवत्ता आश्वासन एवं एक्रिडिटेशन जल सुरक्षा योजना (WSP) का क्रियान्वयन फ्लोराइड/आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों का प्रबंधन जल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल
वित्तीय एवं अनुबंध प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन अधिशायी अभियंता, 30 प्र0 	संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय प्रबंधन तथा अनुबंध तैयार करने की क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> निविदा एवं अनुबंध से सम्बन्धित अभिलेखों की तैयारी प्रदर्शन-आधारित अनुबंध अभिलेखों की

कार्यात्मक भूमिका	मुख्य हितधारक	आवश्यक दक्षता	क्षमता निर्माण क्षेत्र
	जल निगम (ग्रामीण)	क्षमता	तैयारी <ul style="list-style-type: none"> • तृतीय-पक्ष निगरानी तंत्र • वित्तीय जोखिम का आकलन
डेटा एवं प्रदर्शन निगरानी	<ul style="list-style-type: none"> • जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन • जिला तकनीकी इकाई • थर्ड पार्टी इन्शपेक्शन एजेन्सी • एमआईएस कार्मिक/ 	योजना की निगरानी एवं सुधार हेतु डेटा विश्लेषण का उपयोग करने की क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> • प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) आधारित योजना निगरानी • IMIS के माध्यम से डिजिटल रिपोर्टिंग • ऊर्जा और जल ऑडिट • विभिन्न योजनाओं के प्रदर्शन मानकीकरण/बैंचमार्किंग • डेटा सत्यापन प्रोटोकॉल
जलवायु एवं अवसंरचना प्रत्यास्थता (Resilience)	<ul style="list-style-type: none"> • जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन • जिला तकनीकी इकाई 	जलवायु परिवर्तन के साथ अवसंरचनाओं के प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करने की कार्य योजना बनाने की क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> • जल स्रोतों की स्थिरता एवं पुनर्भरण उपाय • ग्रे-वाटर प्रणाली का प्रबन्धन • सूखा एवं बाढ़ रेजीलिएंस कार्ययोजना • संवेदनशीलता (Vulnerability) मानचित्रण
सामुदायिक संवाद एवं शिकायत निवारण	<ul style="list-style-type: none"> • जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन • जिला तकनीकी इकाई 	जिला स्तर पर सेवाओं त्वरित प्रतिक्रियाशीलता एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने की क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> • सेवा स्तर संचार ढांचा • नागरिक शिकायत अग्रेसर प्रणाली • जन-सहभागिता आधारित पर्यवेक्षण तंत्र
ढांचागत सुधार एवं उपयोगिता-आधारित सेवा प्रदायगी	<ul style="list-style-type: none"> • जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन • जिला तकनीकी इकाई 	ग्रामीण जलापूर्ति सेवाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ढांचागत सुधार को क्रियान्वित करने की क्षमता।"	<ul style="list-style-type: none"> • सुजलाम भारत डिजिटल आर्किटेक्चर तथा प्रत्येक योजना के लिए यूनिक आईडी का सृजन। • सेवा मूल्यांकन एवं सुधारात्मक योजना निर्माण हेतु जल सेवा आकलन • ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) के लिए उपयोगिता-आधारित सेवा प्रदायगी ढाँचा। • माइक्रो यूटीलिटी के रूप में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों का संस्थागत सुदृढीकरण। • डिजिटल परिसंपत्ति रजिस्टर एवं सेवा मानकीकरण का मानक-आधारित तुलनात्मक मूल्यांकन।

5.3 मानव संसाधन एवं कौशल विकास (Human Resources and Skilling)

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ऊपर उल्लिखित क्षमता संवर्धन क्षेत्रों के अनुसार पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्तर और जिला स्तर पर एक मजबूत प्रशिक्षित मानव संसाधन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगा। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जेजेएम 2.0 के परिचालन दिशानिर्देशों में वर्णित निगरानी ढांचे के अनुसार प्रशिक्षणों की निगरानी करेगा। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन सरकारी संस्थानों जैसे आईटीआई (ITIs), पॉलिटेक्निक, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETIs) और अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध करेगा, और सभी प्रशिक्षण ऐसे ही संस्थानों के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के प्रशिक्षित स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर ऑपरेटर्स/तकनीशियनों के रूप में तैनात किया जाएगा।

अध्याय 6 - परिसंपत्ति, प्रौद्योगिकी एवं प्रदर्शन निगरानी (Asset, Technology & Performance Oversight)

6.1 परिसंपत्ति एवं भंडार (इन्वेंट्री) प्रबंधन (Asset and Inventory Management)

पाइप जलापूर्ति योजना में संपत्ति और इन्वेंट्री प्रबंधन के तहत जलापूर्ति प्रणाली के सभी भौतिक घटकों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण, ट्रैकिंग और प्रबंधन शामिल है। इसमें प्रमुख बुनियादी ढांचे जैसे कि पाइपलाइन, मोटर-पम्पस्, जल भंडारण टैंक, जल उपचार संयंत्र, वाल्व और संबंधित मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल उपकरण शामिल हैं। प्रभावी संपत्ति और इन्वेंट्री प्रबंधन पूरी प्रणाली के जीवनकाल के दौरान पारदर्शिता, कुशल संचालन, समय पर रखरखाव, और मरम्मत तथा प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) के लिए उचित योजना सुनिश्चित करता है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अथवा उससे इतर योजनाओं में बेहतर संपत्ति प्रबंधन के लिए जलापूर्ति योजनाओं की सभी संपत्तियों को, एक केंद्रीकृत जीआईएस (GIS) प्लेटफॉर्म पर मैप किया जाएगा। इस संपत्ति प्रबंधन प्रणाली को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा क्रियान्वित केंद्रीकृत निगरानी पोर्टल के साथ एकीकृत (इंटीग्रेट) किया जाएगा।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन /उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/ राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा विकसित जी0आई0एस0 आधारित पोर्टल पर संपत्ति सूची (एसेट इन्वेंट्री) का रख-रखाव किया जायेगा। इस सूची में पाइप, उपकरण, जल स्रोत, बुनियादी ढांचा और एफएचटीसी से संबंधित आंकड़े शामिल होंगे। इसके साथ पाइप के आकार-प्रकार, पाइप/उपकरणों के मेक, जलाशयों की क्षमता, ग्राउंड एलिवेशन, पाइपलाइन का अलाइनमेंट और गहराई आदि जैसी विशेषताएं दर्ज होंगी। बुनियादी ढांचे की व्यवस्थित ट्रैकिंग और प्रबंधन के लिए प्रत्येक संपत्ति को एक यूनिक संपत्ति पहचान संख्या (यूनिक एसेट आइडेंटिफिकेशन नंबर) आवंटित की जाएगी। यह जलापूर्ति प्रणाली में रिसाव का पता लगाने और रखरखाव के में सहयोगी होगा।

पाइपलाइन प्रतिस्थापन, या नए क्षेत्रों में विस्तार की स्थिति में संबंधित वेंडरों/जिला तकनीकी इकाई/ उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को कार्य पूरा होने के बाद जीआईएस पोर्टल को अपडेट करना होगा। इन कार्यों का भुगतान पोर्टल पर परिसंपत्ति अपडेट किये जाने के उपरांत ही होगा।

6.2 प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (Technology and Innovation)

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन 'सुजलाम भारत डिजिटल प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म' और सभी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में स्थापित स्काडा (SCADA)/आईओटी (IoT) प्रणालियों से एकीकृत डेटा का उपयोग करके डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म विकसित करेगा। डिजिटल ट्विन प्रणाली के व्यवहार, परिदृश्य विश्लेषण (सिनेरियो एनालिसिस) और संचालन व बुनियादी ढांचे को आप्टीमाइज करने के लिए

अनुकरण/सिमुलेशन में सहायक होगा। यह प्रणाली एंड-टू-एंड (स्रोत से लेकर नल तक) विजिबिलिटी, बल्क एवं वितरण प्रणालियों का इन्टीग्रेशन, आंकड़ें आधारित नियोजन और संचालन दक्षता को बेहतर बनाती है। आंकड़ों का संकलन मोबाइल एवं वेब-आधारित एप्लीकेशंस के माध्यम से किया जाएगा, उनका नियमित रूप से सत्यापन किया जाएगा तथा उनका उपयोग प्रदर्शन की निगरानी, रिपोर्टिंग एवं निर्णय लेने के लिए किया जाएगा।

डेटा गवर्नेंस के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी डेटा को सटीक रूप से दर्ज किया जाए, सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाए, नियमित रूप से सत्यापित किया जाए और संबंधित हितधारकों के लिए सुलभ बनाया जाए। योजनाओं के संचालन प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए दैनिक, मासिक और वार्षिक आधार पर रिपोर्टिंग की जाएगी।

राज्य में 80% से अधिक भूजल-आधारित जलापूर्ति योजनाओं को सौर ऊर्जा आधारित डिज़ाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में सभी जलापूर्ति योजनाओं में जहां व्यावहारिक रूप से सम्भव हो, सौर ऊर्जा चरणबद्ध रूप से स्थापित किया जायेगा।

6.3 कमांड एवं नियंत्रण केंद्र, प्रदर्शन निगरानी (Command And Control Centre, Monitoring Performance)

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, राज्य-स्तरीय और जिला-स्तरीय कमांड एंड सपोर्ट सेंटर स्थापित करेगा और जलापूर्ति प्रणाली की प्रभावी संचालन, रखरखाव व प्रबंधन के लिए जिला तकनीकी इकाई को नियमित रूप से मार्गदर्शन प्रदान करेगा। कमांड एंड सपोर्ट सेंटर, जल वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी और जिला तकनीकी इकाई द्वारा समय पर प्रतिक्रिया देने में सहायक होगा। यह सेंटर जलापूर्ति प्रणाली के प्रदर्शन, आंकड़ें आधारित नियोजन तथा गतिविधियों को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु विभागीय एवं प्रशासनिक स्तरों पर प्रणाली की विफलता, आपात स्थिति और सेवा में व्यवधानों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया के लिए समन्वय स्थापित करने में सहयोग करेंगे।

राज्य कमांड एंड सपोर्ट सेंटर, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संचालित होगा तथा जिला कमांड एंड सपोर्ट सेंटर से प्राप्त सूचनाओं को समेकित करते हुए राज्य-स्तर पर संचालन का पर्यवेक्षण करने में सहायक होगा। यह प्रणालीगत समस्याओं की शीघ्र पहचान और समाधान सुनिश्चित करेगा तथा जिलों और राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा।

जिला कमांड एंड सपोर्ट सेंटर, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जिला स्तर पर ग्रामीण जलापूर्ति के लिए संचालन निगरानी केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति से प्राप्त सेवा वितरण संबंधित समस्याओं पर प्रतिक्रिया के लिए प्रथम स्तर (फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्स) के रूप में कार्य करेगा।

सुजलाम भारत डेटाबेस, यूटिलिटी एप्लीकेशंस और अन्य डिजिटल निगरानी प्रणालियों से प्राप्त संचालन डेटा को जिला और राज्य कमांड एंड सपोर्ट सेंटर्स से इंटीग्रेट किया जाएगा।

यह प्लेटफॉर्म जलापूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत की जाने वाली दैनिक गतिविधियों जैसे कि जलापूर्ति संचालन, कीटाणुशोधन, वितरण, जल गुणवत्ता परीक्षण, रखरखाव और शिकायत निवारण की निगरानी करेगा। यह कमांड कंट्रोल सेंटर सुनिश्चित करेगा कि जलापूर्ति प्रणालियों के दैनिक कामकाज को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाए, जिससे निगरानी, नियोजन और निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय डेटा की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

अध्याय 7 - पूरक प्रावधान (Ancillary)

7.1 मूल्यांकन एवं प्रभाव आंकलन (Evaluation and Impact Assessment)

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को दीर्घकालिक एवं सतत् आधार पर नियमित, पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के संबंध में मूल्यांकन एवं प्रभाव का आंकलन करेगा। मूल्यांकन एवं प्रभाव का आंकलन ग्राम पंचायत द्वारा जल सेवा आकलन (JSA) के माध्यम से किया जायेगा। राज्य संकलित जल सेवा आंकलन आंकड़ों के आधार पर एक वार्षिक क्रियाशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट फंक्शनैलिटी असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।

जल सेवा आकलन साक्ष्य-आधारित सामुदायिक सत्यापन को मजबूत करने के लिए सुजल गाँव ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैप्चर किए गए संचालन डेटा का उत्तरोत्तर उपयोग कर सकता है, जिसमें आपूर्ति के घंटे, जल गुणवत्ता के रिकॉर्ड, शिकायत संबंधी डेटा और सेवा वितरण शुल्क संग्रह शामिल हैं।

उक्त के अतिरिक्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा नामचीन संस्थाओं के माध्यम से थर्ड-पार्टी मूल्यांकन एवं प्रभाव आंकलन कराया जाएगा, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर आंकलन शामिल होंगे:-

- i. स्वास्थ्य परिणाम (Health outcomes)- जल-जनित बीमारियों में कमी और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार।
- ii. शिक्षा परिणाम (Education outcomes)- स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति में सुधार एवं ड्राप आउट में कमी।
- iii. महिलाओं की भागीदारी (Women's participation)- स्वयं सहायता समूहों, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, संचालन और रखरखाव की भूमिकाओं तथा जल गुणवत्ता की निगरानी में महिलाओं की भागीदारी।
- iv. महिलाओं के शारीरिक श्रम (कठिन कार्य) में कमी (Reduction in Woman's drudgery): मीलों दूर से पानी लाने के शारीरिक बोझ को कम करना। जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर, आत्म-सम्मान बढ़ाकर और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करके महिलाओं का सशक्तिकरण।
- v. बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार (Enhanced quality of life for the elderly): दूर-दराज के स्रोतों से पानी लाने के गंभीर शारीरिक तनाव और कष्ट से मुक्ति।
- vi. समान रूप से पानी की उपलब्धता (Equitable water availability): सभी निवासियों के लिए, उनकी आर्थिक या सामाजिक भेदभाव के बिना जल की उपलब्धता।

- vii. सेवा वितरण नवाचार (Service delivery innovation)- कुशल और कम लागत वाली संचालन और रखरखाव प्रणालियों को अपनाना।
- viii. आर्थिक प्रभाव (Economic impact) - जलापूर्ति योजनाओं के फलस्वरूप समय एवं श्रम एवं अन्य कारणों से बचत/रोजगार के अवसर के कारण आर्थिक प्रभाव।

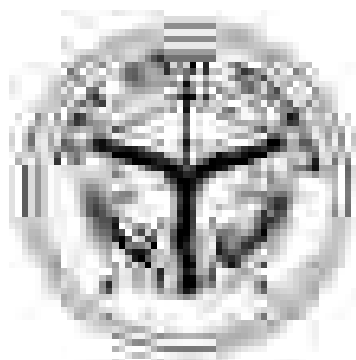
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन इंजीनियरिंग संस्थानों के सहयोग से इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा 'जल सेवा अध्ययन' के माध्यम से योजनाओं के मूल्यांकन/प्रभाव का आंकलन करायेगा।

7.2 नीति में संशोधन (Amendments of the Policy)

नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है या इन नियमों के भीतर शामिल किसी भी प्रावधान, प्रस्तर या विषय वस्तु की व्याख्या, स्पष्टीकरण या समझाने की आवश्यकता होती है, तो नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पास ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इस उद्देश्य के लिए, विभाग समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाएं (अमेंडेड नोटिफिकेशन), आदेश, दिशानिर्देश, स्पष्टीकरण या आवश्यक संशोधन जारी कर सकता है। ऐसी कार्रवाइयों में विशिष्ट प्रावधानों की व्याख्या प्रदान करना, पूरक संचालन दिशानिर्देश जारी करना, प्रक्रियाओं को संशोधित करना या क्रियान्वयन के दौरान आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक संशोधन पेश करना शामिल होगा। यह उपाय ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और नीतियों के सुचारु प्रशासन, व्याख्या में निरंतरता और प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए किए जाएंगे। इस संबंध में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा जारी कोई भी अधिसूचना, स्पष्टीकरण या संशोधन सभी संबंधित अधिकारियों, संस्थानों और हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के लिए बाध्यकारी माना जाएगा, और लागू नीतिगत ढांचे के अन्तर्गत जलापूर्ति योजनाओं के कुशल संचालन, रखरखाव और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए उसी के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा।



Operation & Maintenance Policy for Rural Water Supply Schemes (Draft)



Uttar Pradesh

July-2026



2.1.1	State Level	3
2.1.2	District Level	3
2.1.3	District Technical Unit	3
2.1.4	Village Level	3
2.1.5	Operation and Maintenance Vendors.....	3
2.2.1	Roles and Responsibilities of State Drinking Water and Sanitation Mission (SWSM):.....	4
2.2.2	Roles and Responsibilities of Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural):.....	5
2.2.3	Roles and responsibilities of District Water Supply and Sanitation Mission (DWSM):	6
2.2.4	Roles and responsibilities of District Technical Unit (DTU)	7
2.2.5	Roles and responsibilities of the Village Water and Sanitation Committee (VWSC):.....	8
2.2.6	Roles and Responsibilities of the Panchayati Raj Department (PRD):.....	9
2.2.7	Roles and Responsibilities of the O&M Vendors/ Contractors -	9
2.4.1	Dispute Settlement and Arbitration	13
3.1.1	Transfer of Schemes	14
3.1.2	Operation And Maintenance of Single Village Schemes	14
3.1.3	Operation And Maintenance of Multi-Village Water Supply Schemes (MVS) (Ground and Surface Water Schemes).....	14
3.1.4	Establishment of citizen charter:.....	15

3.1.5	Appointment of third-party inspection agency (TPIA) during operation and maintenance (O&M):	15
-------	---	----

4.1.1	Service level benchmarks	18
4.1.2	Priority to Drinking Water Use	18
4.1.3	Protection of Drinking Water Supply Assets	19
4.1.4	Unauthorized Tapping and Pipeline Damage	19
4.2.1	Source protection (surface water/ground water)	20
4.3.1	Frequency of Sampling	23

5.1.1	Regular Monitoring and Audits	29
5.1.2	Key Financial Monitoring Indicators	29

Table 1: Abbreviations	iv
Table 2: Regulatory Framework.....	11
Table 3: Sustainability Pillar Matrix.....	17
Table 4: Monitoring Framework for Source Sustainability	21
Table 5: Monitoring framework of water quality governance and surveillance	23
Table 6: Schemes under which activity/ fund convergence to improve source sustainability	26
Table 7: Key Financial Monitoring Indicators.....	29
Table 8: Capacity building framework for community level.....	30
Table 9: Capacity building framework at district level.....	32

	Aspirational Programme	Block		Uttar Pradesh Jal Nigam - Rural
	Aspirational Programme	District		Jal Jeevan Mission
	Behavioral Communication	Change		Jal Jeevan Mission – Integrated Management Information System
	Census Of India			Jal Seva Aankalan
	Centre Of Public Health and Environmental Engineering Organization			Key Performance Indicators
	Command and Support Centre			Large Area Multi-Purpose Cooperative Societies
	Clear Water Reservoir			Liter Per Capita Per Day
	District Command and Support Centre			Multi Village Scheme
	Decision Support System			National Skill Qualification Framework
	District Source Sustenance Committee			Non- Revenue Water
	District Source Sustainability Action Plan			National Jal Jeevan Mission
	District Technical Unit			Nal Jal Mitra
	District Water and Sanitation Mission			Over Head Tank
	Information, Education, Communication			Operation & Maintenance
	Implementation Support Agency			Primary Agricultural Credit Society
	District Public Infrastructure			Panchayati Raj Department
	Field Testing Kit			Public Private Partnership
	Free Residual Chlorine			Rural Piped Water Supply Scheme
	Functional Household Tap Connection			Rainwater Harvesting

	Gram Panchayats		Swachh Bharat Mission (Gramin)
	Geographical Information System		Supervisory Control and Data Acquisition
	Gram Panchayat Development Plan		Uttar Pradesh
	Internet of Things		Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin)
	State Command and Support Centre		Village Source Sustenance Committee
	Self Help Group		Village Water and Sanitation Committee
	Service Improvement Plan		Water, Sanitation and Hygiene
	Service Level Benchmark		Water Quality Monitoring & Surveillance
	Source Sustenance Committee		Water Quality Management Information System
	State Water & Sanitation Mission – Uttar Pradesh		Water Treatment Plant
	Single Village Scheme		

refers a hydrogeological approach to designing and managing groundwater-based water supply schemes using aquifer maps and tools (such as NAQUIM, India-WRIS), groundwater assessment data and aquifer characteristics.

refers to the population for which the scheme has been planned.

refers to the process of delivering water to the final point of supply after the construction of overhead tanks, tube wells, and distribution systems is completed under the scheme.

refers to a dynamic virtual replica of a physical water supply system including sources, treatment plants, storage structures, transmission, distribution networks and service areas created using real-time and historical data to simulate, monitor and optimize system performance.

refers to the central operational hub established under the DWSSM that provides near real-time monitoring of scheme functionality, water quality alerts, grievance tracking and coordinated corrective response for rural water supply across the district.

A technical committee constituted under the DWSSM to provide continuous technical support to Gram Panchayat and VWSC-level micro utilities. The DTU coordinates between micro utilities (in-village infrastructure) and macro utilities (bulk/out-village infrastructure), oversees scheme commissioning and handover, manages asset registries, conducts sustainability planning and operates District Command and Support Centers.

‘Energy Audit’ is systematic assessment of energy consumption in the entire water supply system to identify energy losses, improve operational efficiency of pumps and reduce electricity costs while maintaining the required water service level.

‘Field Test Kit (FTK)’ refers to a portable multi-parameter kit used for examination of physico-chemical contamination as initial screening.

‘Free Residual Chlorine (FRC)’ refers Free Residual Chlorine, is the low-level amount (0.2 mg/l as per BIS 10500) of chlorine remaining in the water after a certain period or contact time after its initial application. It constitutes an important safeguard against the risk of subsequent microbial contamination after treatment a unique and significant benefit for public health.

‘Functional Household Tap Connection (FHTC)’ refers a household tap connection that provides potable water in adequate quantity (minimum 55 litres per capita per day), of prescribed quality (conforming to BIS IS:10500), on a regular basis at the delivery point.

‘Functionality Assessment’ refers a periodic structured assessment to determine whether a village water supply scheme is delivering services meeting pre- scribed service level parameters: adequacy of supply (≥ 55 lpcd), quality compliance (BIS IS:10500), regularity of supply.

‘GIS Based Asset Mapping’ refers the geo-tagging or geo- referencing of all rural piped water supply infrastructure assets (sources, WTPs, pumping stations, MBRs, ZBRs, OHTs, distribution pipelines and household connections) using GPS-enabled mobile applications and satellite imagery, linked to their Asset IDs, Scheme IDs and Sujal Gaon IDs on the Sujalam Bharat platform.

‘Greywater Management’ refers the collection, treatment and safe reuse of household wastewater generated from domestic activities (kitchen, bathing, laundry) excluding toilet waste (blackwater).

Groundwater-Based Drinking Water Scheme refers to a piped water scheme in which the source of drinking water is groundwater.

‘Gram Sabha’ refers to the body comprising individuals residing in a Gram Panchayat whose names are listed in the voter list.

‘Gram Panchayat’ refers to a self-governing institution constituted under the Uttar Pradesh Panchayati Raj Act, 1947 and the provisions of the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992.

‘In-Village Infrastructure’ refers in-Village Infrastructure refers to the internal distribution network, service connections and all components facilitating last-mile delivery of potable water to end users.

‘Jal Arpan’ The formal commissioning and community handover ceremony/protocol under which a completed rural piped water supply scheme (after a successful 15- day minimum trial run) is officially handed over by the implementing agency to the Gram Panchayat for long term ownership, operation and maintenance.

‘Jal Seva Aankalan (JSA)’ A GP/VWSC-led digital self- assessment tool and mechanism for evaluating the functionality, adequacy, quality compliance, institutional readiness and financial sustainability of rural water supply systems at the village level.

‘Maintenance’ means keeping the infrastructure, plant, machinery, equipment, and other operational facilities in ideal condition. It includes preventive, regular, and breakdown maintenance.

‘Multi Village Scheme (MVS)’ means a piped drinking water supply scheme that benefits the population of more than one revenue village.

‘Macro Utility’ refers a State, Union Territory, or regional-level professional body (parastatal agency, PHED, Jal Nigam, or specialized utility) responsible for planning, development, management and supervision of out-village water supply assets, including intake structures, water treatment plants, bulk transmission systems, reservoirs and Multi-Village / Bulk Water Supply scheme networks. In the State UPJN (Rural) is responsible for macro utility operations.

‘Micro Utility’ refers the village-level decentralized water service delivery unit constituted by designating the VWSC (standing committee of the Gram Panchayat) as the service provider responsible for distribution of drinking water within the village, collection of user charges, management of in-village infrastructure, minor repairs and maintenance, water quality monitoring and financial management.

‘Nal Jal Mitra (NJM)’ refers a locally trained and NCVET-certified multi-skilled O&M personnel (NSQF Level- 4, job role: Jal Vitaran Sanchaalak) responsible for in-village water supply scheme operation and maintenance, including pump operation, basic plumbing repairs, routine maintenance, network upkeep, water quality reporting and grievance management.

‘Non-Revenue Water (NRW)’ refers to the difference between the volume of treated water put into the distribution system and the volume of water billed or accounted to consumers. NRW includes real losses (physical leakage from pipes, joints and storage structures), apparent losses (meter inaccuracies, unauthorized connections) and unbilled authorised consumption.

‘Out-Village Infrastructure’ refers the Out-Village Infrastructure includes the transfer of treated water from the Water Treatment Plant (WTP) to the Master Balancing Reservoir (MBR) and from the MBR to the Overhead Tank (OHT) including all associated transmission lines.

‘Operation and Maintenance Policy’ refers to the operation and maintenance of piped drinking water schemes in rural areas of the state. ‘Operation’ means the running of piped drinking water schemes, and ‘Maintenance’ refers to the proper upkeep of these schemes.

‘Operation’ refers to the routine daily functioning of various components of drinking water schemes such as headworks, pumping units, treatment plants, rising/feeder mains, service reservoirs, and water distribution systems by skilled/technical personnel. This also includes responsibilities related to ward and watch and electricity payments.

‘Operation Committee’ refers to the Village Water and Sanitation Committee in the context of Single Village Schemes

‘Preventive Maintenance’ refers the planned, periodic inspection, servicing, testing, and timely repair or replacement of components of rural piped water supply systems, undertaken to prevent system failures, ensure water quality and functionality, reduce service disruptions, and sustain reliable delivery of drinking water services over time.

‘Panchayat Area’ refers to the geographical area and jurisdiction under a Gram Panchayat.

‘State Command and Support Centre (SCSC)’ operates under the State Water & Sanitation Mission (SWSM) and provides State-level operational oversight by consolidating information from district CSCs.

‘Surface Water-Based Drinking Water Scheme’ refers to a piped water scheme in which the source of drinking water is a river, reservoir, dam, canal, lake, etc.

‘Single Village Scheme (SVS)’ means a piped drinking water supply scheme that benefits the population of only one revenue village.

‘Sanitary Inspection / Sanitary Survey’ refers to a sanitary inspection is an on-site inspection of a water supply facility to identify actual and potential sources of microbiological contamination for evaluation of the physical structure and operation of the system and external environmental factors (such as toilet location).

‘Service Improvement Plan (SIP)’ refers to a structured remedial action plan prepared by DWSMs and SWSMs based on the findings of Jal Seva Aankalan, identifying service gaps (infrastructure, operational, financial, institutional) and defining time-bound corrective measures, responsible entities and resource requirements to restore or improve water supply service delivery.

‘Service Level Benchmarks (SLBs)’ refers a Quantitative performance indicator defined by regulatory or programme authorities to measure the quality and efficiency of water supply services.

‘Source Protection Zone’ refers a defined geospatial area surrounding a drinking water source (borewell, tube well, spring, or surface water intake) within which land use is regulated and certain activities are prohibited to prevent contamination of the drinking water source.

‘Source Sustenance Committee (SSC)’ refers to a multi-tier committee constituted at the State, District and Gram Panchayat levels within the JJM institutional structure, responsible for planning, implementing, monitoring and coordinating source sustainability measures.

‘Sujal Gaon ID’ refers a unique system-generated alphanumeric identifier assigned to each service area (habitation) within the Sujalam Bharat DPI framework, enabling complete source-to-tap digital mapping of rural piped water supply systems.

‘Sujalam Bharat (Digital Public Infrastructure — DPI)’ refers the national-level federated Digital Public Infrastructure for India's rural drinking water sector, developed as the digital backbone for GIS-based asset mapping, monitoring and lifecycle management of Rural Piped Water Supply Schemes (RPWSS).

‘Sujalam Shakti’ refer a community-based water quality monitoring and surveillance constituted by women's Self-Help Groups (SHGs) under State Rural Livelihood Missions (SRLM), trained and certified at NSQF Level-1 in basic water quality testing and surveillance.

‘User Charge’ (Tariff) means any fee collected in exchange for providing drinking water services.

‘VWSC’ (Village Water and Sanitation Committee) is responsible for overseeing all matters related to drinking water and sanitation within the Gram Panchayat.

‘Water Budgeting’ refers a structured, data-driven assessment & planning exercise to estimate total water availability (from rainfall, groundwater recharge, runoff, surface storage and greywater reuse) and total demand (domestic, livestock, irrigation and other uses) within a defined service area.

CHAPTER 1 INTRODUCTION

1.1 Uttar Pradesh – A Brief Overview

Water has been the elixir of life (Jal Jeevan) since time immemorial. Geographically, Uttar Pradesh is the fourth-largest state in India, spanning an area of 240,928 square kilometers. The state is located between 23°52'12" to 30°24'30" North latitude and 77°05'38" to 84°38'30" East longitude, bordered by Uttarakhand in the northwest, Nepal in the northeast, Bihar in the east, Madhya Pradesh in the south, and Haryana, Delhi, and Rajasthan in the west. The state forms an integral part of the vast alluvial plain of the Ganges River. The abundance of alluvial soil and extensive aquifer strata makes Uttar Pradesh one of the richest groundwater reservoir zones in the world.

Due to high population density and increasing population, the demand for drinking water and irrigation is rising rapidly. The state plays a key role in ensuring the country's food security, with irrigation being a major factor in agricultural productivity. However, unregulated exploitation of groundwater has led to overuse of shallow aquifers, causing water crises in several districts.

Approximately 71% of irrigation and 87% of drinking water needs in the state are met from groundwater sources. Groundwater has been the most reliable source of drinking water as it is relatively unaffected by natural uncertainties and is available at point of use. However, urbanization, industrial expansion, intensive agriculture, and irregular groundwater extraction have put immense pressure on this resource, leading to depletion in many areas and soil salinization.

Despite being home to the world's richest groundwater reserves, Uttar Pradesh is facing serious challenges due to over-extraction and contamination. In several districts, excessive withdrawal has significantly reduced water storage capacity and groundwater levels, leading some blocks to become "over-exploited.", neighboring blocks may also face water scarcity. Both geogenic and anthropogenic pollution further endanger the quality of water sources. Additionally, climate change is increasing evaporation rates and altering rainfall patterns, exacerbating groundwater imbalance. In such a scenario, ensuring safe drinking water to the public is a daunting task.

Given these challenges, there is a need for a comprehensive Operation and Maintenance (O&M) policy to ensure the sustainable and long-term functioning of rural piped drinking water schemes.

1.2 Drinking Water Supply Schemes in Uttar Pradesh

Ensuring regular and clean drinking water supply to the rural population of about 170 million in the most populous state of India, Uttar Pradesh, is a significant challenge. Until 2019, only 1.94% of the 26.7 million rural households had access to piped water supply schemes. Regions like Bundelkhand and Vindhya faced water scarcity, while Eastern Uttar Pradesh was affected by water-borne diseases such as Japanese Encephalitis and Acute Encephalitis Syndrome (AES), diarrhea resulting in high child mortality.

Previously implemented piped water supply schemes failed due to erratic power supply, high O&M costs, and poor maintenance. On August 15, 2019, the Hon'ble Prime Minister launched the Jal Jeevan Mission, aiming to provide every rural household with 55 LPCD of clean drinking water on regular basis. Under this, 40,955 schemes are being implemented in the state. To ensure sustainability and cost-effective O&M, 33,157 of these schemes are based on solar energy wherever adequate land is available. Through these 44,142 schemes (including those under and beyond Jal Jeevan Mission), covering all 75 districts and 2.67 crore rural households, the state aims to ensure clean and regular drinking water supply.

The state is implementing piped water schemes based on both groundwater and surface water. Based on availability and technical feasibility, groundwater-based Single Village Schemes (SVS) and Multi Village Schemes (MVS) are implemented. In Vindhya and Bundelkhand region, and in quality-affected

areas, surface water-based water supply schemes are being implemented. By implementing Solar power-based water supply schemes on large scale, challenges posed by traditional energy-based systems are effectively addressed, enabling reliable and continuous supply at minimal operational cost. Solar projects not only ensure uninterrupted water supply but also reduce operational costs and dependency on traditional electricity. Solar powered schemes also contributing to India's net-zero carbon emission goals.

1.3 Objective of This Policy

The policy aims to deliver reliable, safe, and sustainable rural water supply through clear governance, community involvement, and efficient O&M systems. The objective of the O&M policy for rural water supply schemes is mentioned below:

- i. To ensure sustainable, safe, and adequate drinking water supply to rural communities
- ii. To promote equitable and consistent service delivery through decentralized/ community participation (VWSC/Pani Samiti)
- iii. To clarify roles and responsibilities of all stakeholders for efficient management
- iv. To achieve technical and financial sustainability of water supply schemes
- v. To ensure water quality as per standards (BIS norms).
- vi. To provide timely grievance redressal and reliable services.

1.4 Need for Revised O&M Policy

The revised Operation and Maintenance (O&M) Policy is required to establish a comprehensive, structured, and outcome-oriented framework for the sustainable management of rural water supply schemes. By incorporating 19 essential components (As per JJM 2.0 Operational Guidelines), the policy ensures holistic coverage of all critical aspects, including infrastructure management, service delivery standards, governance mechanisms, financial sustainability, and community participation. It provides clear and standardized guidelines for each component, enabling uniformity in O&M practices across all regions of Uttar Pradesh while supporting systematic planning, execution, and monitoring of water supply services.

The policy further aims to clearly define the roles and responsibilities of all stakeholders, including government institutions, O&M contractors, local bodies, and community groups, thereby strengthening institutional arrangements and accountability. It emphasizes improved technical and financial management practices, efficient resource utilization, ensuring sustainability of schemes and the adoption of data-driven tools, community participation. This structured approach facilitates periodic evaluation of system readiness, identification of gaps, and implementation of targeted improvements, ultimately ensuring long-term sustainability, reliability, and efficiency of rural water supply schemes governing by local community.

1.5 Jurisdiction

This policy shall be applicable to piped drinking water programs/schemes in the rural areas of Uttar Pradesh. Additionally, it shall also apply to all those departments/institutions that are concerned with the operation and maintenance of piped drinking water schemes in rural areas. The executing departments/institutions shall comply with the instructions of CPHEEO manual (latest amended) and the instructions issued in this regard from time to time.

CHAPTER 2 GOVERNANCE, LEGAL & INSTITUTIONAL ARCHITECTURE

2.1 Institutional Framework

2.1.1 State Level

At the state level, the planning and monitoring of the construction, operation and maintenance (O&M) of rural drinking water schemes will be carried out by the Namami Gange and Water Supply Department. The review/monitoring of the performance of drinking water supply schemes in the state will be conducted by a high-level committee chaired by the Chief Secretary of Uttar Pradesh. At the departmental level, the Executive Committee, formed under the chairmanship of the Additional Chief Secretary /Principal Secretary of the Namami Gange and Rural Water Supply Department, will regularly review and monitor the implementation and operation & maintenance of the schemes. The responsibilities of the government will include policy formulation, monitoring the performance of all stakeholders, financial planning, ensuring timely utilization of funds, and empowering the State Drinking Water and Sanitation Mission (SWSM), District Drinking Water and Sanitation Mission (DWSM), Gram Panchayats (GPs), Village Water and Sanitation Committees (VWSCs), and Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) through delegation of powers. The State Drinking Water and Sanitation Mission (SWSM) will act as the primary point of contact between the State and National Jal Jeevan Mission.

2.1.2 District Level

A District Water and Sanitation Mission (DWSM) have been constituted under the chairmanship of the District Magistrate, with the Executive Engineer of UPJN (Rural) serving as the Member Secretary. This committee will function as the implementing body for water supply schemes within the district and will play a crucial role in operation and maintenance of the schemes.

2.1.3 District Technical Unit

The District Technical Unit (DTU) shall act as a subcommittee of DWSM. At the district level, a District Technical Unit (DTU) shall be constituted to provide technical guidance to VWSCs. The District Technical Unit (DTU), led by the Executive Engineer, UPJN (Rural) – Civil, the DTU comprises Chief medical officer from health department, Executive Engineer from UPJN (Rural) E&M, Executive Engineer from irrigation department, Executive Engineer/ Asst. Engineer from minor irrigation department, technical officer from Panchayati raj department, groundwater department, and chemist from district laboratory, along with any additional technical experts nominated by the District Magistrate..

2.1.4 Village Level

A Village Water and Sanitation Committee (VWSC) will be constituted at the village level, with the Gram Pradhan serving as the Chairperson. It may consist of 10-15 members, comprising at least fifty percent woman members. The VWSC will be responsible for the operation and maintenance of in-village infrastructures of rural water supply schemes.

2.1.5 Operation and Maintenance Vendors

In the State, JJM schemes are being implemented on EPC mode with 10 years of O&M by the executing firm/vendor. Therefore, operation and maintenance of the rural water supply schemes will be carried out by UPJN (Rural) through the executing firm/vendors in coordination with respective VWSC. During this 10-year period, for O&M of in-village infrastructures a tripartite agreement shall be executed among DWSM, O&M vendor and the concerned VWSC. Upon completion of ten-years O&M period, O&M of the out-village infrastructures will be carried out by UPJN (Rural). O&M of the in-village infrastructures will be carried out by respective VWSC.

2.2 Service Delivery and Utility Development Approach

The roles and responsibilities matrix presented in the following section provides a structured overview of the functions to be performed by each stakeholder at different levels of governance. It serves as a guiding framework for effective coordination, timely decision-making, and proper implementation of the O&M policy, thereby ensuring reliable and safe drinking water supply to rural households.

2.2.1 Roles and Responsibilities of State Drinking Water and Sanitation Mission (SWSM):

- i. SWSM will be responsible for preparing a comprehensive O&M policy that clearly defines the roles and responsibilities of each agency involved in the drinking water supply scheme.
- ii. SWSM will finalize the state policy for engaging dedicated human resources responsible for ensuring water quality testing and surveillance using Field Test Kits. SWSM ensures that state and district-level water quality laboratories are NABL accredited.
- iii. SWSM shall monitor the performance of each scheme through established centralized monitoring platform. In case of any discrepancy compliance shall be ensured by appropriate action through concerned stakeholders.
- iv. The SWSM will decide the KPIs/SLBs of water supply schemes as per CPHEEO/NJIM guidelines.
- v. SWSM/DWSM will prepare and implement a District Capacity Building Plan to cover all GPs, utilizing the support of Key Resource Centers (KRCs) for structured training programs.
- vi. SWSM will set up a grievance redressal and monitoring system with a clear escalation matrix. This system will specify accountability and turnaround times for resolving different types of grievances related to water supply services.
- vii. SWSM will ensure the effective implementation of Information, Education, and Communication (IEC) and Behavior Change Communication (BCC) strategies to raise awareness among stakeholders about the importance of O&M in drinking water supply schemes.
- viii. SWSM will conduct one meeting every month to monitor service delivery, water quality, service level benchmarks, data submitted by VWSC, compliances report from all the stakeholders and grievance redressal for all schemes etc.
- ix. SWSM will oversee the engagement of contractors/ vendors to carry out the O&M activities of the schemes and contractual engagements of GPs/VWSCs with contractors, SHGs, Primary Agricultural Credit Societies (PACS), and women-led cooperatives for effective O&M service delivery.
- x. SWSM will formulate and enforce effective policies and regulations to manage water usage by other sectors, prevent water contamination from industrial activities, agricultural practices, and mismanagement of solid and liquid waste by households and institutions.
- xi. SWSM will prepare a policy outlining actions to address unauthorized, unmetered, and unaccounted connections, aiming to prevent the ongoing loss of water and revenue. This policy will be implemented once the water supply schemes are metered at the consumer level.
- xii. SWSM will establish appropriate mechanisms to ensure the continuity of operation and maintenance (O&M) responsibilities across the drinking water supply schemes.
- xiii. SWSM/DWSM in coordination with Panjayat Rai department will ensure regular capacity building of VWSCs for effective monitoring and reporting of Key Performance Indicators (KPIs) related to water utilities.

- xiv. SWSM/DWSM will identify and recognize well-performing GPs/VWSCs, facilitating the sharing of best practices through a cross-learning approach.
- xv. SWSM will identify financial gaps and secure commitments for viability gap funding from the State budget to ensure the long-term financial sustainability of drinking water supply schemes.
- xvi. SWSM/UPJN (Rural) will establish a Citizen Charter, incorporating the provisions of the Public Service Guarantee Act, to ensure water supply services to all consumers, including new connections, repair of pipelines, addressing water quality issues, maintaining the SLB's and making the appointed O&M vendors accountable and citizen responsive.

2.2.2 Roles and Responsibilities of Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural):

- i. The ownership of out-village infrastructures of the water supply scheme lies with UPJN (Rural) after successful handover of the schemes.
- ii. Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) will be responsible as the implementing agency for the operation and maintenance rural piped water supply schemes in the state.
- iii. UPJN (Rural) will develop a Standard Operating Procedure (SOP) , including guidelines for regular maintenance, preventive maintenance, and breakdown repairs in reference to JJM and CPHEEO guidelines.).
- iv. UPJN (Rural) will provide technical assistance and handholding support to the vendors engaged in O&M for augmentation and extension of existing water supply schemes. This includes work related to storage, pipeline networks, and source development, as well as making necessary technical modifications to existing components under maintenance. Also, it provides technical support to Gram Panchayats (GPs) and Village Water and Sanitation Committees to ensure their roles & responsibilities.
- v. Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) will develop a comprehensive action plan, in coordination with all stakeholders and concerned authorities, to effectively address emergencies impacting drinking water supply infrastructure and services.
- vi. UPJN (Rural) will ensure the uninterrupted integration of data from IoT sensors and SCADA systems into the centralized monitoring system developed by SWSM. This continuous data flow will enhance operational efficiency, enable real-time monitoring, and improve the overall management of water supply schemes.
- vii. UPJN (Rural) will ensure the adherence to Service Level Benchmarks (SLBs) & Key performance indicators (KPIs) for water supply schemes as per guidelines issued by the Central/State Government and SWSM. Regular monitoring will be conducted to assess compliance, and penalties will be recommended against O&M vendors for non-compliance as per the penalty clause.
- viii. UPJN (Rural) will appoint a dedicated TPIA to effectively monitor the O&M activities and ensure the sustainable O&M of the schemes along with SLB's & financial monitoring. Also assist in effective coordination among various departments and agencies for convergence.
- ix. UPJN (Rural) will coordinate with key departments and institutions, including the Irrigation & Water Resources Department, Uttar Pradesh Ground water department, Hydrogeologists, Central Groundwater Board, Meteorological Department, VWSC and reputed educational institutions specializing in watershed management. This collaboration will support the study of seasonal water availability, water budgeting and assess the effectiveness of source rejuvenation efforts and rainwater harvesting initiatives.

- x. UPJN (Rural) will proactively develop a mitigation plan in coordination with all stakeholders and authorities to address any natural or climate-induced emergencies that may impact water supply infrastructure and services.
- xi. Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) will assess O&M manpower needs for rural piped water supply schemes, facilitate selection and training of local individuals under the Nal Jal Mitra Program (NJMP), for effective scheme operation and maintenance. The operators/technicians shall be deployed preferably from trained local persons belonging to the respective Gram Panchayat.

2.2.3 Roles and responsibilities of District Water Supply and Sanitation Mission (DWSM):

- i. DWSM will ensure continuous monitoring by preparing a District O&M Strategy and Action Plan. This will incorporate geographical variations, data collection, reporting, documentation, sharing of best practices, performance evaluation, and capacity building of stakeholders.
- ii. The District Water and Sanitation Mission (DWSM) will establish a dedicated District Technical Unit (DTU) comprising technical officers from various departments to provide technical assistance and support to Gram Panchayats (GPs) and Village Water and Sanitation Committees (VWSCs).. The DTU will support micro utilities, facilitate coordination between micro and macro utilities, monitor service delivery at the district level, and assist in capacity building and troubleshooting. The District Technical Unit (DTU), led by the Executive Engineer, UPJN (Rural) – Civil, the DTU comprises of representative from health department, UPJN (Rural)E&M, irrigation department, minor irrigation department, Panchayati raj department, groundwater department, and district laboratory, along with any additional technical experts nominated by the District Magistrate.
- iii. DWSM will identify and map all stakeholders involved in planning, implementation, and monitoring, including Gram Panchayats (GPs), Village Water and Sanitation Committees (VWSCs), Community-Based Organizations (CBOs), Implementation Support Agencies (ISAs), Non-Governmental Organizations (NGOs), Self-Help Groups (SHGs), and other relevant entities.
- iv. DWSM will ensure proper handholding and active involvement of GPs/VWSCs in village-level inventory management, user fee collection, day-to-day monitoring, reporting of water supply schemes, and maintenance activities.
- v. DWSM will ensure that all relevant information related to O&M activities is regularly updated on the designated portal developed by SWSM & IMIS).
- vi. DWSM will follow a grievance redressal mechanism developed by SWSM to ensure that all complaints are resolved within a specified timeframe. Additionally, regional grievance patterns will be analysed to develop long-term solutions in coordination with the SWSM & other stakeholders.
- vii. DWSM will maintain village-wise consolidated records of water user charges, including bills generated and monthly collections in co-ordination with VWSC.
- viii. The District Water and Sanitation Mission (DWSM) will coordinate with all stakeholders and relevant authorities to develop a comprehensive action plan for addressing emergencies affecting water supply infrastructure and services at the district level.

- ix. The DWSM shall monitor the performance of each scheme through established centralized monitoring platform. In case of any discrepancies the compliance shall be ensured by initiating appropriate action.
- x. DWSM will hold monthly meetings with all stakeholders to monitor service delivery, water quality, service level benchmarks, data submitted by VWSC, compliances report and grievance redressal.
- xi. DWSM shall ensure in resolving disputes such as land issue, damages, un-authorized tapping, illegal connections, theft, user charge recovery, vandalism etc. as per prevailing regulation/legal framework.

2.2.4 Roles and responsibilities of District Technical Unit (DTU)

- i. Prepare digital preventive maintenance schedules for various components of schemes based on the Sujalam Bharat Asset Registry.
- ii. Prepare medium-term and long-term asset replacement strategies based on component life cycles and system performance.
- iii. Manage optimal inventory using Artificial Intelligence (AI)based predictive analysis for component failure, plant replacement, and efficient use of available resources.
- iv. Ensure transparent and time-bound resolution of technical and operational problems received from Village Water & Sanitation Committees (VWSCs) through the digital ticketing system.
- v. Assist VWSC in preparing O&M contracts, defining scope of work, service levels, manpower requirements, spare parts and inventory needs, and safety measures in case external agencies is engaged for O&M of in-village infrastructure by VWSC. However, the operators/technicians shall be deployed preferably from trained local persons belonging to the respective Gram Panchayat.
- vi. Prepare Standard Operating Procedures (SOPs) based on local conditions for problem resolution, preventive maintenance, and emergency response.
- vii. Ensure implementation, planning, commissioning, and handover of Jal Jeevan Mission schemes (through Jalarpan Diwas).
- viii. Provide suggestions on future planning and alternative technologies to ensure long-term sustainability and regular supply of adequate quantity of quality drinking water.
- ix. The District Technical Unit (DTU) shall be responsible for improving planning, structuring, operation, and maintenance of rural piped drinking water schemes.
- x. DTU will maintain comprehensive records of the Source Sustenance Committee, including copies of Hydrogeological Maps (HGM), seasonal yield data, and water quality test results. Water quality and source yield will be assessed and documented throughout the year to ensure sustainable water supply management
- xi. The DTU shall hold regular meetings, study feedback received from Gram Pradhans and Water Service Assessment Forms and submit suggestions for resolution of issues related to operation and maintenance to the District Water & Sanitation Mission (DWSM).
- xii. The DTU shall also perform other tasks as directed by the District Water & Sanitation Mission (DWSM).

2.2.5 Roles and responsibilities of the Village Water and Sanitation Committee (VWSC):

- i. The ownership of in-village infrastructure of the water supply scheme lies with VWSC after successful handover of the scheme through Jal Arpan. VWSC shall oversight the performance of O&M vendors for effective operation & maintenance of the schemes.
- iii. The VWSC will ensure an adequate quantity and regular water supply by consulting with local consumers, regularly verifying the water supply roster at the pump house/source level. In case of any discrepancy in the service delivery VWSC will raise the concern to DWSM/DTU, O&M vendors and register the grievance on the portal for necessary action.
- iv. VWSC will ensure routine water quality testing using FTKs by Sujalam Shakti groups, including monitoring residual chlorine levels and basic water quality parameters. Also, ensure the regular updates of water quality test reports on WQMIS portal.
- v. The VWSC shall actively participate in leakage management by monitoring and reporting visible leaks across the distribution network, pump houses, and house service connections, overflow from OHTs during supply hours to DTU/ UPJN (Rural)/ O&M vendors for ensuring timely leakage rectification and restoration. The VWSC shall also raise public awareness to prevent water wastage and promote the optimal use of water. In cases of continuous misuse of water by any consumer, party, or institution, a complaint shall be raised to the DWSM/DTU and UPJN (Rural) for further necessary action, including penalties.
- vi. The VWSC shall be involved in the preparation of the water budget of the villages. VWSC shall provide the necessary information to concerned authorities for the preparation of water budget.
- vii. VWSC shall extend support to all the stakeholders in resolving disputes such as land issues, damages, un-authorized tapping, theft, illegal connections, user charge recovery, vandalism etc.
- viii. VWSC shall be responsible for determining and collecting water charges, as per policy decided by the Panchayati Raj Department, from beneficiary households. The Self-Help Group (SHG) women's group (Jal Sakhi/ Sujalam Shakti), Gram Panchayat Assistant, PACS, LAMS or other designated personnel shall be deployed for collection of user charges, Incentive shall be given to the collecting personnels as determined by the Panchayati Raj Department.
- ix. VWSC/ Gram Panchayat will open a dedicated bank account for community contributions and user charges.
- x. VWSC will record all drinking water assets in the GP/village asset register.
- xi. VWSC will hold meetings fortnightly with all stakeholders in the villages and review water quality, service delivery performances, leakages, contamination issues, and any other issues related to water supply schemes. The minutes of the meeting along with recommendations and action plan shall be shared with DWSM/DTU/ UPJN (Rural) for necessary action.
- xii. VWSC will ensure the extension of the distribution network and other necessary works by its own or through selected vendors for operation and maintenance to provide drinking

water supply to new settlements/ new connections.

- xiii. VWSC will undertake social audits to ensure accountability of all stakeholders and community participation in water management activities.
- xiv. VWSC will conduct awareness campaigns on the judicious use of water and ensure prevention of water misuse.
- xv. VWSC shall report the illegal dumping site/ landfills to DWSM for corrective measures

2.2.6 Roles and Responsibilities of the Panchayati Raj Department (PRD):

- i. PRD will develop a policy on monthly tariffs or user charges to ensure the financial sustainability of the water supply schemes. This policy will be developed in consultation with SWSM, DWSM, VWSC and UPJN (Rural). The policy framework will be based on a telescopic and categorized tariff system for Domestic, Commercial, and Industrial users. Further, domestic user charges will be classified into multiple levels as per socio economic status of the households.
- ii. PRD will design an incentive and disincentive mechanism within the policy to discourage water wastage, promote source protection, and cover recurring expenses related to village infrastructures. .
- iii. PRD will finalize a policy on the management of VWSC's O&M accounts and the operational processes for Gram Panchayats (GPs) and/or their sub-committees.
- iv. Panchayati Raj Department, in coordination with Rural Development Department and Namami Gange and Rural Water Supply Department/ UPJN (Rural), will develop a suitable and technically feasible strategic plan for groundwater conservation and greywater management activities in villages through convergence with the VB - G RAM G and other schemes. Special care will be taken while constructing structures related to groundwater conservation and greywater management to ensure that these do not pollute drinking water sources. At the district level, an effective plan for groundwater conservation and greywater management will be developed and implemented with the coordination of the District Water Supply and Sanitation Mission (DWSM), Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural), and the Village Water and Sanitation Committee (VWSC). It should be included in Annual Gram Panchayat Development Plan (GPDP).

2.2.7 Roles and Responsibilities of the O&M Vendors/ Contractors -

- i. In the State, JJM schemes are being implemented on EPC mode with 10 years of O&M by the executing firm/vendor. Therefore, operation and maintenance of the rural water supply schemes will be carried out by UPJN (Rural) through the executing firm/vendors in coordination with respective VWSC. During this 10-year period, for O&M of in-village infrastructures a tripartite agreement shall be executed among DWSM, O&M vendor, and the concerned VWSC.
- ii. During the O&M period, the vendor shall be fully responsible for the operation, corrective maintenance, and preventive maintenance of the entire water supply schemes. This includes regular preventive maintenance and timely corrective actions for all components of the scheme such as source works, treatment units, storage structures, pumping machinery, pipelines, tap connections, and electrical and mechanical systems. The vendor shall ensure that, at the time of contract closure, all components are maintained in sound working conditions in accordance with their approved life cycle and prescribed service standards. Upon completion of ten-years O&M period, O&M of the out-village infrastructures will be carried out by UPJN (Rural). O&M of the in-village infrastructures will be carried out by respective VWSC.

- iii. The vendor shall ensure the continuity and regularity of water supply to all connected households. In the event of any breakdown or disruption in the water supply system, the issue must be identified and rectified within 24 hours, except in unavoidable situations such as natural calamities or force majeure conditions or major technical breakdowns which must be duly reported to the concerned authorities.

- v. The vendor shall ensure the service level benchmark as mentioned below,
 - a. Adequate quantity (55 Lpcd) of water supply to all households
 - b. Water supply with adequate pressure (7 m) at households located on critical point.
 - c. Water quality in compliance with BIS 10500 standards
 - d. Ensure the level of non-revenue water (NRW)/ Un accounted flow of water (UFW) in water supply schemes remains within the target level
- vi. If any water quality parameter is found to exceed the permissible limits, the vendor must take immediate corrective measures, including necessary treatment interventions, to restore safe and potable water supply. Water sampling and quality testing shall be carried out strictly in accordance with the provisions of the Tripartite Agreement executed between the, District Water and Sanitation Mission (DWSM), and Village Water and Sanitation Committee (VWSC), O&M Vendors and all test reports shall be generated and shared with the concerned stakeholders in a timely manner.
- vii. The vendor shall comply with all guidelines, protocols, service levels, and performance standards prescribed under the Jal Jeevan Mission and the State O&M Policy. Any deviation, non-compliance, or failure to meet the stipulated service level benchmarks shall attract penalties in accordance with the agreement, which may include financial deductions or other corrective measures as deemed appropriate. The payment of O&M vendors shall be made as per feedback provided by VWSC/TPIA about SLBs.
- viii. Any extensions of the pipeline network due to new settlement or otherwise required shall have to be done by the vendor during the maintenance period, payment of which shall be made according to prevailing UPJN (Rural)'s Schedule of Rates/ as per contract agreement.
- ix. New Connections/Leftover connections shall be provided by the vendors, payment of which shall be made according to the prevailing UPJN (Rural)'s Schedule of Rates/ as per contract agreement
- x. Increase in demand during O&M period – If due to any reason water demand is increased then it will be made available by the vendor by adjustment of flow or by increasing the pumping hours and no extra payment shall be made on that account.
- xi. Catering to additional short-term demands (such as fair, mela, or public gathering etc.) as directed by DWSM will also be the responsibility of the vendor during maintenance period. No separate payment shall be made on this account.
- xii. During emergency situation / disaster resilience – the vendor shall ensure the water supply through alternate arrangements as described in Chapter 3 section 3.3
- xiii. Complaint redressal- The vendor is responsible for attending to the complaints of the consumers within 24 hours of information received. In case of failure of the system due to any technical breakdown, the vendor must supply water through alternative means, but the normal supply should be restored within 48 hours of its occurrence. In case of noncompliance, it will invite penalty as mentioned in Penalty Clause.
- xiv. In the event that any changes or new introductions of applicable government laws related to, but not limited to, taxes, royalties, and other statutory charges, as well as State and Central

Government policies, are introduced during the Operation and Maintenance (O&M) period, which affect the rules and regulations of the Contract, it shall be mandatory for the vendor to comply with and implement such policies.

- xv. A safety audit should be conducted by the vendor once every year and all observations of non-conformity to safety regulations should be recorded and set right after which shall be checked again by DWSM/UPJN (Rural) before certifying the audit as completed.
- xvi. Upon reaching a year before closure of the Operation and Maintenance (O&M) period, the scheme shall undergo a thorough evaluation of component life. Any deficiencies found in the residual life expectancy or otherwise shall be the responsibility of the vendor, requiring compensation without incurring additional costs to the SWSM / VWSC.

2.3 Legal & Regulatory Framework

To ensure the protection, sustainability, and efficient operation of rural water supply infrastructure, existing regulatory frameworks covering all critical aspects of asset management, safety, and service delivery are tabulated in Table 2. This framework clearly defines key regulation areas along with their specific objectives and corresponding requirements, aimed at safeguarding water supply assets from encroachment, damage, misuse, and unauthorized access.

The framework establishes standardized guidelines for infrastructure protection, security measures, access control, and pipeline corridor management, while also emphasizing the need for strict legal compliance during any excavation or third-party intervention near water supply systems. It further incorporates provisions for electrical and mechanical safety, protection of water sources, and adherence to prescribed water quality standards to ensure safe and reliable drinking water for rural communities.

Table 2: Regulatory Framework

Regulation Area	Purpose	Proposed Regulation / Requirement
Land & Infrastructure Protection	Prevent encroachment, misuse, and unauthorized access.	Lands, pump houses, OHTs, pipelines, and related assets of the schemes are government property. Any damage, encroachment, theft, misuse, or unauthorized access will be dealt with as per the prevailing acts, such as the UP-water supply and sewerage Act, 1975. (Latest amended), The Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Act, 2020, and the relevant BNS).
Boundary & Security Measures	Prevent vandalism, theft, and safety risks.	Deployment of watch and ward, construction of boundary walls, gates and locks at pump houses, service reservoirs, chlorine rooms, intake wells, and WTPs, etc., along with CCTV installation wherever feasible. All assets should be mapped with the PM Gati Shakti portal. In case of vandalism, theft, action will be taken as per the prevailing acts, such as the Prevention of Damage to Public Property Act, 1984. The Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019, for the protection of water resources and associated infrastructure.
Access Control	Ensure accountability and controlled access.	Only authorized personnel (VWSC, UPJN (Rural), operators, and department staff) are allowed entry. A visitor register is to be maintained. However, unauthorized entry will be dealt with under the

Regulation Area	Purpose	Proposed Regulation / Requirement
		prevailing acts, such as Criminal Trespass (Section 329 BNS, formerly Section 441 IPC), House Trespass (Section 330 BNS, formerly Section 442 IPC), and the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, and other relevant acts.
Legal Approval for Excavation Near Infrastructures	Prevent accidental damage to pipelines and ensure cost accountability.	No department, agency, contractor, or utility provider shall carry out digging, trenching, HDD , cable laying, road cutting, or any excavation near the water supply infrastructures which can potentially damage the assets, without obtaining prior approval from DWSP/UPJN (Rural)/VWSC. They should apply for and obtain approval for excavation and any other construction activities through the 'Call Before You Dig' portal (www.cbud.gov.in). Any damage will be dealt with as per the prevailing acts, such as the Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Act, 2020, and the BNC. In case of any damage, the concerned department/agency shall bear the full cost of repair, restoration and water supply during disruption.
Electrical & Mechanical Safety	Ensure operational safety and reduce risks.	Electrical panels, pump sets, and chlorinators must comply with safety codes (earthing, MCB, lightning protection). periodic safety audit to be conducted by UPJN (Rural) by its own or through appointed vendors.
Water Source Protection	Prevent contamination of drinking water sources.	Water sources (Source Protection Zone) shall be protected in accordance with the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019, the Uttar Pradesh State Water Policy, 2020, and the Environment (Protection) Act, 1986. Any violations shall be dealt with as per the prevailing Act.
Water Quality Protection	Maintain water quality.	Tampering with sampling points, sensors, disinfection systems is a punishable offence. Water quality monitoring shall be as per BIS:10500 and CPHEEO standards.
Operational Equipment Protection	Preserve system integrity and functionality.	Unauthorized repair, modification, or connection to pumps, valves, meters, or SCADA/IoT devices shall prohibited.
Illegal Water Connections	Prevent NRW and ensure equitable supply.	Unauthorized household, commercial, or irrigation connections strictly prohibited; penalties shall be applicable.
Community Responsibility	Encourage community ownership.	VWSC/Gram Panchayat shall be responsible for safeguarding assets and reporting damage to concerned authority.
Penalty & Punitive Action	Enforce discipline and protect assets.	Vandalism, encroachment, illegal tapping, polluting of water sources, infrastructure damages are punishable offence, will invite penalties and FIR as per applicable acts.

2.4 Penal Provisions

- i. The financial responsibility for any damage to the drinking water supply infrastructure caused by construction or other activities will lie with the department, party, institution, or contractor responsible for such damage. In case of any damage, the concerned department/agency shall bear the full cost of repair, restoration and water supply during disruption. If compensation for this damage is not provided within the stipulated time mentioned by DWSM, legal action will be taken to ensure accountability and protect the drinking water supply assets.
- ii. Any damage, encroachment, theft, misuse, or unauthorized access will be dealt with as per the prevailing acts, such as the UP-water supply and sewerage Act, 1975. (latest amended)), The Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Act, 2020, and the relevant BNC Code.
- iii. Water sources shall be protected in accordance with the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019, the Uttar Pradesh State Water Policy, 2020, and the Environment (Protection) Act, 1986. Any violations shall be dealt with as per the prevailing Act.
- iv. The penalty shall be imposed on O&M vendors in the following scenarios: the penalty charges shall be as per O&M vendors Contract agreement issued by SWSM/UPJN (Rural).
 - Failure to achieve the service level benchmarks as per contract agreement.
 - Unresolved grievances/issues within the specified time limit as per contract agreement.
- v. If any consumer uses water supplied through rural drinking water supply schemes for agricultural purposes or any other non-permissible use, it shall be treated as misuse of drinking water. In such cases, VWSC shall have the authority to impose and collect the penalty.
- vi. In the event of Unauthorized extraction of water, illegal connections, damage to components of the drinking water supply scheme, such as solar panels, electrical panel, pipelines, or other infrastructure, in case of in-village infrastructure the concerned Village Water and Sanitation Committee (VWSC) and in case of out-village infrastructure the UPJN (Rural) shall report the matter in writing to the local police station.
- vii. If a consumer repeatedly or intentionally disrupts or adversely affects the functioning of the water supply scheme, such an individual may be treated as a habitual offender. In such cases, the Gram Panchayat may impose financial penalties or restrict certain government benefits, and further legal action may be initiated as per the applicable rules.
- viii. Unauthorized extraction of water using a motor pump from the pipeline of a drinking water supply scheme shall be considered an offense. The VWSC shall disconnect the motor pump and may impose and collect an appropriate penalty through the Gram Panchayat.
- ix. For non-payment or delayed payment of user charges the VWSC may impose and collect an appropriate penalty or devise any suitable mechanism to ensure timely collection of user charges.

2.4.1 Dispute Settlement and Arbitration

- i. The jurisdiction for the settlement of disputes arising from the operation and maintenance of village water supply schemes shall lie within the concerned district.
- ii. Any dispute between the agency/organization engaged for operation and maintenance of village water supply schemes and the Panchayati Raj Institutions or DWSM shall be resolved through mediation. The mediator shall be selected and appointed by the DWSM/SWSM.
- iii. DWSM shall be responsible for addressing issues such as billing, payment of bills, service delivery, and other operational irregularities related to O&M and shall act as a mediating body for resolving disputes among the concerned parties.
- iv. The decision of the DWSM/SWSM shall be final and binding on all parties involved.

CHAPTER 3 SERVICE DELIVERY MODEL & SYSTEM RESILIENCE

3.1 O&M Model

3.1.1 Transfer of Schemes

- i. The contractor shall be responsible for implementing and completing the water supply scheme in accordance with the contract agreement. Complete details of the scheme shall be displayed at the project site and at the Panchayat building to ensure transparency and public awareness.
- ii. After the completion of an Individual Rural Water Supply Scheme and the successful completion of the trial run of 3 months, the in-village infrastructure and out village infrastructure of the scheme shall be transferred to the concerned Village Water and Sanitation Committee (VWSC) and UPJN (Rural) respectively.
- iii. In-village infrastructures of the completed schemes shall be formally handed over to the Gram Panchayat/VWSC through Jal Arpan activity, in accordance with the commissioning and handover protocol issued by NJJM.

3.1.2 Operation And Maintenance of Single Village Schemes

- i. In the State, JJM schemes are being implemented on EPC mode with 10 years of O&M by the executing firm/vendor. Therefore, operation and maintenance of the rural water supply schemes will be carried out by UPJN (Rural) through the executing firm/vendors in coordination with respective VWSC. During this 10-year period, a tripartite agreement shall be executed among DWSM, O&M Vendor, and the concerned VWSC.
- ii. After completion of ten-years O&M period, O&M of the Single village scheme shall undertake by VWSC either on its own or through vendors or by engaging Primary Agricultural co-operative societies (PACS), Large area multipurpose co-operative societies (LAMPS). In case of difficulty in engaging vendors for a single-village scheme, the VWSCs, with support from DWSM and DTU, may cluster multiple villages for the purpose of vendor engagement and O&M management.
- iii. The contractor should provide training on operation and maintenance to the members of the VWSC and local community members nominated by Gram Panchayat from the 9th year onwards. The VWSC may utilize these trained members to carry out O&M activities of in village infrastructure after 10 years of O&M by vendors. The VWSC shall ensure that local people nominated by Gram Panchayat are adequately trained and involved in the implementation of the scheme.

3.1.3 Operation And Maintenance of Multi-Village Water Supply Schemes (MVS) (Ground and Surface Water Schemes)

In the State, JJM schemes are being implemented on EPC mode with 10 years of O&M by the executing firm/vendor. Therefore, operation and maintenance of the rural water supply schemes will be carried out by UPJN (Rural) through the executing firm/vendors in coordination with respective VWSC. During this 10-year period, for O&M of in-village infrastructures a tripartite agreement shall be executed among DWSM, O&M vendor, and the concerned VWSC.

After completion of ten-years O&M period, O&M of in-village infrastructures (from the village entry point to the end consumer) of the scheme shall undertake by VWSC either on its own or through vendors or by engaging Primary Agricultural co-operative societies (PACS), Large area multipurpose co-operative societies (LAMPS). In case of difficulty in engaging vendors for in-village infrastructures for a single village, the VWSCs, with support from DWSM and DTU, may cluster multiple villages for the purpose of vendor engagement and O&M management. UPJN (Rural), shall be responsible for carrying out the O&M of out-village infrastructure through vendors.

3.1.4 Establishment of citizen charter:

Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) will establish a Citizen Charter, which will include provisions of the Public Service Guarantee Act to ensure water supply to all consumers, including new connections, pipeline repairs, resolving drinking water quality issues and effective grievance redressal.

3.1.5 Appointment of third-party inspection agency (TPIA) during operation and maintenance (O&M):

Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) will appoint a dedicated Third-Party Inspection Agency (TPIA) to effectively monitor O&M activities and ensure the operation and maintenance of projects in accordance with the service level benchmarks and financial monitoring.

3.2 Schedule of Supply

Village Water and Sanitation Committee (VWSC) may decide the specific timing of water supply according to local requirements and convenience in coordination with UPJN (Rural) / Empaneled vendors. Furthermore, respective VWSC in coordination with UPJN (Rural), O&M vendor and DTU shall finalize a clear Water Rationing Strategy to ensure equitable distribution during lean seasons, droughts, or emergencies. The supply timings shall be displayed on outside waterworks / prominent village locations.

3.3 Emergency Response & Disaster Resilience

- i. During emergencies and disasters such as Endemic/ pandemic, natural calamities etc. UP Jal Nigam (Rural), DWSM, VWSC and implementing agencies shall conduct immediate risk assessments of water sources and infrastructure.
- ii. During emergencies and disasters, the Water Quality Monitoring and Surveillance (WQM&S) framework under the Jal Jeevan Mission shall be activated on priority to ensure the safety of drinking water supplies such as the frequency of water quality testing shall be increased, with special focus on bacteriological contamination. Alternative safe water arrangements shall be provided in cases where contamination is detected or anticipated, including areas where sources or water supply scheme have become non-functional due to any other issues.
- iii. Village Water and Sanitation Committees (VWSCs) shall be mobilized for community-level monitoring and reporting.
- iv. District and state laboratories shall operate in mission mode to ensure rapid testing and timely response.
- v. Timely public advisories on safe water handling and usage shall be disseminated to prevent water-borne diseases.
- vi. The provision of adequate capacity of water tanker to be made in each scheme or for designated clusters of villages to meet emergency and contingency water supply requirements.
- vii. The adequate inventory of spare parts and chemicals to be ensured to address breakdowns promptly and ensure efficient handling of emergency situations.
- viii. In the event of power failure in electricity-based schemes due to outages, or disruption in solar-based schemes due to equipment damage or adverse weather conditions, adequate capacity of diesel generators shall be ensured for each scheme to maintain uninterrupted water supply.
- ix. All efforts to be made to ensure the corrective measures for resilience of the regular water supply.

3.4 Grievance Redressal Mechanism

To ensure efficient monitoring and prompt resolution of complaints, the digital platform implemented by SWSM shall be utilized for grievance redressal. Proper arrangements shall be made to provide hassle-free and user-friendly access to the system for the public and stakeholders. UPJN (Rural) shall

monitor and ensure the grievance redressal system's effectiveness and resolve the complaints within the stipulated timeframe.

- i. A 24/7 toll-free helpline (1800 1212 164) and a mobile-based complaint resolution system have been established to address issues related to water supply disruptions, water quality concerns, and infrastructure deficiencies.
- ii. A robust grievance redressal mechanism and Citizen Charter shall be developed to facilitate effective resolution of public concerns.
- iii. Complaints will be systematically tracked and resolved within a stipulated time frame and responsibility matrix as per Citizen Charter for ensuring accountability, transparency, and service reliability.
- iv. The grievance redressal shall be monitored through online platforms such as www.jalsamadhan.in, Jal Sarthi Mobile app etc. for real-time tracking and resolution of complaints.

CHAPTER 4 WATER RESOURCE, QUALITY & ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

4.1 Sustainability Of Scheme

A sustainability framework for the rural drinking water sector defines sustainability as the capacity of a water supply system to continuously provide safe, adequate, reliable drinking water services over the long term. This is supported by arrangements that ensure effective operation and maintenance of assets, availability of adequate financial resources to meet both routine and major expenditures, sustained protection and management of water sources, and the presence of accountable institutions that deliver citizen-centric services.

It is structured around four core sustainability pillars namely Institutional & Service Delivery Sustainability, Financial Sustainability, Infrastructure Sustainability and Source Sustainability, eshtablished through four supporting pillars viz. Governance, Digital Systems, Community Participation, and Citizen Connect to ensure service performance, transparency, responsiveness and continuous improvement. As per the sustainability pillar matrix provided below, respective stakeholders such as SWSM/DWSM/VWSC/PRD shall implement the support initiatives for sustainability of the schemes.

Table 3: Sustainability Pillar Matrix

Sustainabi lity pillars/ Support initiatives	Governance	Digital systems	Community participation	Citizen Connect
Institution al & Service delivery Sustainabi lity	Role & Responsi bility clarity SLBs Service utilities Capacity building	Dashboa rds Unified Asset registry Real- time alerts	VWSC SHGs/PACS/ LAMP S Nal Jal Mitras	GRM (Grievanc e Redressa l Mechani sm) Satisfacti on surveys Citizen charter/ Act
Financial Sustainabi lity	User charges levy by VWSC Funds from State/ Central FC	Digital billing Meterin g Energy tracking/ audit	User charges awareness Budget meetings Revenue collection	Feedback surveys Function ality assessme nt

Sustainability pillars/ Support initiatives	Governance	Digital systems	Community participation	Citizen Connect
	State budget District Mining funds			Public disclosure
Infrastructure sustainability	Asset management plans Preventive maintenance SOPs	SCADA Sensors O&M digital logs	Leak reporting Community surveillance	Service ratings Downtime dashboards
Source Sustainability	Source Protection Water security Water audit	DSS (Decision Support System) WQMS portal GIS aquifer mapping	Water budgeting Jal Utsav School eco-clubs	Reports on contamination Source updates

4.1.1 Service level benchmarks

Benchmarking is an essential tool for assessing the performance of rural water utilities and enabling continuous improvement in service delivery. It provides a structured framework for evaluating utility performance against defined standards relating to service levels, operational efficiency and financial sustainability.

The following service level benchmarks of all the water supply schemes shall be maintained to ensure the efficient operation and maintenance of the drinking water supply schemes:

- Adequate quantity (55 Lpcd) of water supply to all households
- Water supply with adequate pressure (7 m) at households located on critical point.
- Water quality in compliance with BIS 10500 standards
- Ensure the level of non-revenue water (NRW)/ Un accounted flow of water (UFW) in water supply schemes remains within the target level.

4.1.2 Priority to Drinking Water Use

In case of water scarcity in groundwater/surface sources, priority will be given to supplying drinking water projects as per UP State Water Policy 2020. After meeting domestic drinking water requirements, the remaining water will be allocated for industrial, commercial, and irrigation purposes.

4.1.3 Protection of Drinking Water Supply Assets

Any department, including highways, railways, private contractors, institutions, or individuals, must obtain approval from Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) before undertaking any construction work that affects the drinking water supply infrastructure.

The financial responsibility for any damage to the drinking water supply infrastructure caused by construction or other activities will lie with the department, party, institution, or contractor responsible for such damage. If compensation for this damage is not provided within the stipulated time mentioned by DWSM, legal action will be taken to ensure accountability and protect the drinking water supply assets.

If the realignment of pipelines or modifications to the infrastructure are required, the concerned department/ party must promptly provide the necessary funds for the related work to Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural). In cases where major civil structures or pipelines are affected, Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) will make alternative arrangements for drinking water supply until the construction is completed, ensuring uninterrupted supply, and the concerned department/agency shall bear the full cost of repair, restoration and water supply during disruption.

4.1.4 Unauthorized Tapping and Pipeline Damage

Unauthorized extraction of water, illegal connections, damage to pipelines, and vandalism are serious offenses. In such cases, Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) will file a legal complaint against the responsible department, party, contractor, or individual. Strict legal action will be taken to prevent drinking water theft and ensure the integrity of the drinking water supply system.

4.2 Source Sustainability

Ensuring reliability and quality of all drinking water sources throughout the scheme life cycle is crucial. Effective management of groundwater and surface water resources, preventing excessive groundwater exploitation, preventing contamination, maintaining ecological balance, and ensuring continuous availability of safe drinking water for communities is essential. For this purpose, a SSC (Source Sustenance Committee) at various levels (State, District, Gram Panchayat) shall be constituted. At the Gram Panchayat level, the VWSC shall act as the Village Source Sustenance Committee (VSSC), At the District level, the District Source Sustenance Committee (DSSC) shall be constituted and function under the District Water and Sanitation Mission (DWSM) and at the State level, the SSC shall be constituted under State Water and Sanitation Mission (SWSM)/UPJN (Rural). The SSC includes representatives from SWSM/ DWSM/DTU, Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural), Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh Groundwater Department, Central Ground Water Board, Pollution Control Board, Rural Development Department, and Panchayati Raj Department.

At Gram Panchayat level (VSSC) VWSC shall be responsible for source-level monitoring, protection and reporting activities.

At district level DWSM (DSSC) shall be responsible for planning, implementing and monitoring of source sustainability measures.

At State level the SSC shall be responsible for providing policy guidance, technical oversight and coordination with relevant State departments.

The State level SSC will be responsible for ensuring the following

- i. Regular necessary updations and monitoring of the DSS (Decision Support System) developed on the JJM- IMIS platform at all levels (State, District & Gram panchayat) for evidence-based planning, monitoring and prioritization of source sustainability measures from district to village level.
- ii. The DSS includes geospatial layers, hydrogeological parameters, rainfall information,

aquifer data and drinking water sources data set from various National and departmental platforms. And includes integration of CGWB ground water status data, Sujalam Bharat source mapping and digitized inspection inputs from districts.

- iii. Ensures adequate and reliable quantity and quality of drinking water through sustained source yield, seasonal stability, regular testing, and timely corrective measures.
- iv. Annual and seasonal assessments of groundwater levels, yield, quality, and recharge behavior, river flow, rain fall, Dam water levels, Contamination levels at Ground water & Surface water sources.
- v. Monitoring the water source strengthen initiatives implementation through convergence with different programs, such as VB-G RAM G, Watershed Development Component-Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (WDC-PMKSY) 2.0, etc., for recharge, watershed development and catchment improvement.
- vi. Recommending corrective measures, including water conservation programs, development of alternative sources, and water recycling and reuse programs.
- vii. Support for effective planning and monitoring the implementation of action plan during emergency situations.

4.2.1 Source protection (surface water/ground water)

Water sources shall be protected in accordance with the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019, the Uttar Pradesh State Water Policy, 2020, and the Environment (Protection) Act, 1986. The important highlights of the act/guidelines as below,

- i. Establishment of dumping sites, landfills, septic tank or store chemicals over highly permeable soil, shallow aquifers, or wellhead protection areas- near the tubewells/ source are prohibited.
- ii. Reduce Chemical Usage near the source: Minimize the use of fertilizers and pesticides, as excessive chemicals can leach through the soil into groundwater and reach surface water through runoff.
- iii. Recharge structures such as rainwater harvesting systems, recharge wells, check dams, and percolation tanks shall be implemented to improve groundwater levels.
- iv. Traditional water bodies shall be restored to enhance recharge capacity
- v. Prohibition of Untreated Discharge: Direct discharge of untreated wastewater or industrial effluent into rivers, lakes, or nallahs is prohibited at the upstream of the intake point
- vi. Sanitary Surveillance: This survey is a study of the environmental conditions that may affect the fitness of ground water/ surface water as a source. The survey shall be carried out 10 km upstream and downstream of the intake point. The scope of the sanitary survey should include a discerning study of the geological, geophysical, hydrological, climatic, industrial, commercial, agricultural, recreational, and land development factors influencing the water drainage into the source and the surface and subsurface pollutions likely to affect it
- vii. If any STP discharges treated sewage near source/intake well, it must comply with strict norms as per CPHEEO manual.

- viii. Maintain a suitable safe distance between waste disposal/dumping sites around Water protection zone such as intake points, borewell and reservoirs.
- ix. Reservoirs and intake structures shall be periodically maintained through desilting and preventive measures to address algal growth and flood risks.

The monitoring framework for Source sustainability and water security as tabulated below,

Table 4: Monitoring Framework for Source Sustainability

Monitoring Parameter	SWSM (State Level)	DWSM (District level)	GP/VWSC (Village level)
Source Sustenance Committees (SSCs) at all levels	State level SSCs constituted under SWSM with defined guidelines. Notification of SSC constitution at all three levels (State, District, Village) Review of district SSCs reports and meeting MoMs, Schedules.	District level DSSC constituted under DWSM/DTU with defined guidelines Notification of GP-level VSSCs constituted in district. Review of VSSCs reports and meeting MoMs, Schedules.	GP/VWSC level VSSC constituted with guidelines Source protection activities undertaken Local recharge structures constructed/ maintained
Source sustainability action plans (SSAPs)	State level review of DSSAPs across districts. Review of DSSAP and DSS data usage Submission of SSAP approved by SWSM/ UPJN (Rural) Guidance to districts on DSS usage (CGWB, NRC, IMD NWIC data)	Review of GP level SSAPs and integration with GPDP. Submission of DSSAP document approved by DWSM Identification of vulnerable sources and seasonal risks DSSAP uploaded on DSS platform Convergence with VB G RAM G,	Submission of GP/VWSC level SSAP and integration with GPDP. Implementation of local source protection measures. Reporting of source stress/ seasonal variations to DWSM.

Monitoring Parameter	SWSM (State Level)	DWSM (District level)	GP/VWSC (Village level)
		watershed, FC grants for source protection.	
DSS training	Preparation of state level training plan for DSS adoption. Coordination with regional CGWB, NRSC, IMD and SWIC. Record of DWSM/DTU officials trained on DSS usage.	Submission of district level training plan for DSS adoption to SWSM. All HGJ certified GPs in district trained to use DSS dashboard. No of DTUs and HGJ certified GPs actively access DSS for water security planning. DSS early warning alerts reviewed and acted upon. No of GPs/VWSCs members trained on DSS usage.	Submission of GP/VWSC levels training plan for DSS usage to DWSM. DSS data used for budgeting and source planning. Village water security plans are prepared using DSS output.
Village water budgeting: GP level planning using DSS data	State level water budgeting and water security plan. State level oversight of district level water budgeting exercise.	District level water budgeting and water security plan. District level oversight of GP level water budgeting exercise.	Preparation of village water budgeting using DSS. Integration of VWSP with GPDP (Gram Panchayat Development Plan).

4.3 Water Quality Framework

To ensure citizen-centric water quality governance, emphasizing early detection and timely response to contamination risks requires robust water quality framework. This framework promotes

empowered community-led monitoring, strengthening local ownership and ensuring last-mile vigilance of water quality through trained Sujalam Shakti Groups. It further enables continuous monitoring and data-driven decision-making through digital platforms, geo-tagged reporting, and integrated dashboards. A strengthened laboratory ecosystem, coupled with prompt corrective action, shall ensure accuracy, standardization, and credibility of water quality data. This framework shall enhance transparency and build citizen trust through public dashboards, responsive grievance redressal mechanisms, and accessible water quality information.

Water quality testing laboratories are established in all 75 districts of the state and one at the state level. In addition, 72 in-house water quality testing laboratories are being established in the water treatment plants of surface source-based projects. Five mobile water quality laboratories for remote areas are being operated across the State. To ensure the monitoring of the quality of drinking water, the following guidelines will be adhered to:

- i. Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) will ensure that all laboratories at state and district levels are accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) for chemical and bacteriological parameters with regular renewal of the accreditation.
- ii. The department/O&M vendor will follow the guidelines published in the "Drinking Water Quality Monitoring & Surveillance Framework" (October 2021 or latest) by the Ministry of Jal Shakti, Government of India.
- iii. Drinking water quality testing and collection of drinking water samples will be conducted according to BIS 10500:2012 (as amended) and the guidelines of the Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO).
- iv. Community led regular drinking water quality monitoring and surveillance (WQM&S) will be carried out through Field Test Kits (FTKs) including monitoring of residual chlorine levels, turbidity and other basic water quality parameters by Sujalam Shakti group, and the results will be uploaded through the Sujal Gaon utility app, linked to the respective Sujal Gaon ID to the centralized monitoring portal/WQMIS. This activity shall reinforce shared responsibility and "Jan Bhagidari".
- v. Representatives from State's Health Department and Family Welfare Department will annually review the water testing reports and assess public health impacts related to water quality. Reports, along with recommendations for corrective measures, will be provided to Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) and the State Drinking Water and Sanitation Mission (SWSM). Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) will ensure the implementation of corrective measures and submit compliance reports.

4.3.1 Frequency of Sampling

Safe and potable drinking water, conforming to the characteristics specified in BIS: 10500 (latest), shall be supplied to each consumer. In order to ensure the quality, the frequencies of water sampling, testing shall be carried out in accordance with CPHEEO manual (latest). Water quality testing using Field Test Kits (FTKs) shall be carried out regularly by Sujalam Shakti Groups. The monitoring framework of water quality governance and surveillance as tabulated below,

Table 5: Monitoring framework of water quality governance and surveillance

Monitoring Parameter	SWSM (State level)	DWSM (District level)	GP/VWSC (Village Level)
Community based WQ testing and digital reporting	State WQM&S SOPs notified as per JJM guideline	Completeness and timeliness of WQ data updation via	No of samples tested per month per village, schools & anghanwadi

Monitoring Parameter	SWSM (State level)	DWSM (District level)	GP/VWSC (Village Level)
	Percentage of village adopting WQ testing protocol Integration of WQ data with Citizen centric portal	Sujal Gaon app/ Jal sarthi app Compliance with prescribed testing frequency Time taken for remedial action /technical intervention after contamination detection Technical advisories issued to GPs by DTU/DWSM	No of WQ alerts reported and escalated timely Sanitary inspection conducted and corrective action taken
Training of Sujalam Shakti groups NSQF L1 certification for FTK use.	All Sujalam Shakti groups trained in HGJ GPs/Villages Upload/Update of training completion records on relevant portal such as e-gram swaraj/ GP dashboard etc. 1-2 women per village certified at NSQF L1 as part of Sujalam Shakti	Percentage of HGJ GPs/villages in district with trained Sujalam Shakti groups and Upload/Update of training completion records on relevant portal such as e-gram swaraj/ GP dashboard etc. Refresher training planned as per schedule	Sujalam Shakti group formed and trained at village level 1-2 women with NSQF L1 certification using FTKs for regular testing FTK use training in GP on regular basis.
Water quality monitoring and accreditation of laboratory as per ISO/IEC 17025	Monitoring of testing infrastructure readiness and accreditation State level oversight of overall water quality compliance laboratory performance and implementation	Ensure timely submission of samples to enable completion of all prescribed testing within stipulated timelines. Ensure adherence to water quality testing requirements at	Village level test results of supplied water at service delivery points to be publicly disclosed via GP, relevant portal. Escalate to DWSM/DTU/Vendor post contamination detection and

Monitoring Parameter	SWSM (State level)	DWSM (District level)	GP/VWSC (Village Level)
	of timely remedial action.	sources, WTP, storage reservoirs & delivery points as per CPHEEO manual. Lab TAT (Turn around Time) monitored Upload accreditation certificates of labs on WQMIS Oversight of all laboratories under district jurisdiction and initiation of corrective actions in cases of non-compliance of standards. Monitoring WQ, contamination, diseases outbreaks, implementing remedial actions, and reporting to State level.	monitor the remedial action.

4.4 Water Conservation, Wastage & Distribution Management

SWSM/DWSM promote water conservation and climate resilient water supply practices through VWSCs, IEC by community outreach and sensitization programs, including awareness campaigns such as “Jal Sanchay” & “Jal Utsav” and school campaign such as “Jal Gyan Yatra”.

Under the Jal Jeevan Mission, a large number of groundwater-based projects are being implemented in rural areas. The trend of declining groundwater levels will be studied and monitored by Source Sustenance Committee (SSC) and remedial action will be taken to improve groundwater levels.

Water conservation activities such as efficient usage of water, Planting water-sparing plants, using drip irrigation systems, and encouraging soil moisture conservation (mulching), rainwater harvesting, construction of check dams, pond, trench, renovation of traditional water bodies, recharge structures (soak pits, stabilization ponds), watershed development (gully plugs, percolation tanks, staggered trenches), intensive afforestation. This work will be done through VWSC and in convergence with the departments.

Industrial should Implement water-efficient practices, including recycling wastewater for non-potable uses.

Educate people through awareness campaigns about wise/responsible water use and encourage water conservation.

To ensure sustainable utilization, allocation, conservation and sustenance of all water resources, the integrated water resource management centralized IoT platform with necessary monitoring sensors shall be developed by Irrigation & Water Resources department of Uttar Pradesh. This system will utilize remote sensing, hydrological data, groundwater extraction rates, water table levels, and water quality parameters to create a robust database for decision-making and real time monitoring of water resources including quantity and quality.

Source Sustenance Committee constituted at different level shall monitor water resource management through this platform and ensure the strategic planning & implementation of preventive measures to safeguard and effective utilization of water resources.

4.5 Waste Water and Greywater Management

Effective management of household greywater is an important component of source sustainability. Proper greywater management helps prevent contamination of groundwater and drinking water sources, reduces stagnation and local pollution around water supply infrastructure and enables beneficial reuse for activities such as irrigation of plants and community green spaces. These measures contribute to improved village sanitation, protection and sustainability of water sources.

To maintain the long-term sustainability of water sources, the Panchayati Raj Department (PRD) will prepare and implement a strategic plan for village wastewater and greywater management, utilizing methods that prevent the risk of water source contamination. The planning and implementation will be carried out in coordination with SWSM, DWSM/UPJN (Rural), VWSC at State, district and village level. Technical support to implement the Waste & Grey water management activities shall be provided by DTU/UPJN (Rural).

The indicative lists of schemes under which activity/ fund convergence can be prioritized to improve the source sustainability tabulated as below,

Table 6: Schemes under which activity/ fund convergence to improve source sustainability

Scheme/ Grants	Central/ State Government	Components that can be converged
Swachh Bharat Mission – Grameen (SBM-G)	DDWS – M/o Jalshakti	Grey water management soak pits (individual/ community), water stabilization ponds, etc.
Finance Commission Grants	Panchayati Raj Department	Grey water management, drainage system etc.
Viksit Bharat – Gurantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 (VB-G RAM G)	Department of Rural development	Construction of recharge structures such as check dams, percolation tanks, desilting/ renovation of water bodies, other water conservation works etc.

Scheme/ Grants	Central/ State Government	Components that can be converged
Integrated watershed management programme (IWMP)	Department of land resources	Watershed management/ RWH/ artificial recharge, creation / augmentation of water bodies, etc.
Atal Bhujal Yojana	Department of water resources, river development & Ganga Rejuvenation	Ground water conservation work from incentive component- Focus on sustainable groundwater management through community participation
Repair, renovation & restoration of water bodies	Department of water resources, river development & Ganga Rejuvenation	Restoration of larger water bodies.
Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)	Ministry of Agriculture, Cooperation and farmers welfare	Watershed related works.
Jal Shakti Abhiyan: catch the rain and Amrit Sarovar mission	Department of water resources, river development & Ganga Rejuvenation	Target interventions in stressed districts to promote rainwater harvesting and water conservation. Rejuvenate water bodies in each district to enhance water availability and ecosystem health.

4.6 Zero Leakage Policy

Zero tolerance for water leakage in piped water supply schemes means a strict commitment to reduce water losses due to leakage in the distribution system during water supply to the minimum possible level, with the aim of achieving practically zero leakage through effective measures such as regular maintenance of the distribution system, use of advanced technology in leak detection and pressure management, and prompt repair of leakages.

The Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) shall develop and implement a comprehensive strategy for managing Non-Revenue Water (NRW), which includes water audits, regular water loss monitoring, leakage detection, pressure management, and leakage rectification.

UPJN (Rural)/VWSC/O&M vendor shall regularly monitor water supply systems and identify water losses through leakages, overflows, missuses and immediate measures will be taken.

DWSM/ DTU shall monitor leakage levels, ensure compliance with maintenance schedules, and provide technical support to Gram Panchayats and VWSCs. DWSM/ DTU shall coordinate repair activities and track performance indicators related to leakage reduction.

VWSC shall be responsible for monitoring village-level distribution networks, identifying leakages, and ensuring timely repairs. VWSC should maintain records of repairs and system performance and promote community reporting of leakages.

4.7 Energy Audit

UPJN – Rural/ DTU shall ensure periodic energy audits of electrical machineries especially pumps, motors installed in water supply schemes as per CPHEEO manual/ JJM's manual on operations & Maintenance guidelines/ manufacturer recommendations, to enhance energy efficiency, reduce operational costs, and ensure sustainability. Based on the audit report UPJN (Rural) shall ensure the compliance of remedial measures.

CHAPTER 5 FINANCIAL, HUMAN & COMMUNITY SYSTEMS

5.1 Financial Sustainability

In the State more than 80% of ground water-based water supply schemes are designed with Solar power which reduces the operational cost of the schemes by about 50% as compared to conventional electricity-based schemes, makes the schemes financially and environmentally sustainable.

To cover all Operation & Maintenance (O&M) expenses including required revolving funds/recurring capital expenditure, electricity, Honorarium/ professional fees/ service charges to human resources, water quality testing, routine repairs and emergency needs following provisions shall be implemented:

- The Gram Panchayat (GP)/VWSC shall be responsible for determining and collecting user charges, as per policy decided by the Panchayati Raj Department, from beneficiary households.
- A deduction shall be made at the State level (At Source) from the State Finance Commission grants allocable to the Gram Panchayats, in such proportion to the estimated annual recovery of user charges from each Gram Panchayat as decided by the State Government.
- A proportionate deduction shall be made at the State level (At Source) from the State Finance Commission grants allocable to the Block Panchayats/ District Panchayat as decided by the State Government.
- Centre Finance Commission's grants shall be utilized as per their guidelines.
- Other sources like DMFT (District Mineral Foundation Trust) funds shall be utilized.
- If the funds collected under the above provisions are insufficient, additional resources shall be arranged from State funds.
- "For the operation and maintenance of rural drinking water schemes, the financial management shall be arranged through the State Budget covering all required funds for annual maintenance and operation, incorporating user fee collection, funds received from the State Finance Commission, and funds received from State resources, as per the mechanism described in sub-paragraphs i, ii, iii, iv, v, and vi of Section 5.1 by the State Government. The electricity charges of all the schemes shall be paid at the state level. Detailed guidelines for this purpose shall be issued by the State Government.

5.1.1 Regular Monitoring and Audits

Routine financial reviews and annual audits shall be conducted to identify gaps, ensure compliance of policy/ guidelines and strengthen transparency and accountability.

5.1.2 Key Financial Monitoring Indicators

To ensure the financial sustainability of the scheme, SWSM/DWSM/UPJN (Rural) shall monitor through the following financial monitoring indicators.

Table 7: Key Financial Monitoring Indicators

Indicator	Description/ Formula
User charge recovery, O&M expenditure ratio	Service delivery charge collected ÷ Total O&M expenditure
Electricity expenditure, O&M expenditure ratio	Electricity expenditure ÷ Total O&M expenditure
Collection efficiency	User charges collected ÷ Billed amount
O&M budget utilization	Actual O&M expenditure ÷ Approved O&M budget

Indicator	Description/ Formula
Non- Revenue Water (NRW) (In consumer metered billing condition)	Difference between water supplied to the scheme and water billed
Timeliness of financial reporting	Compliance with monthly financial reporting

5.2 Capacity Building and Community Engagement

- SWSM shall establish and strengthen a comprehensive capacity-building framework to address existing gaps, ensuring that training efforts focus not only on the number of programs conducted but also on qualitative improvements in competencies related to service delivery, system performance, and institutional effectiveness. Relevant digital platforms shall be leveraged to track training progress.
- Capacity building shall be implemented through structured framework consisting of orientation and refresher training.
- In addition to structured training programmes, continuous orientation and public awareness shall be provided through community engagement frameworks such as Jal Arpan and Jal Utsav. The competency and capacity building areas at Community & District level is tabulated below,

Table 8: Capacity building framework for community level

Functional Role	Key Stakeholders	Competency required	Capacity building areas
Infrastructure O&M & Asset management	VWSC GP Functionaries Operators SHG/PACS/ LAMPS GP secretary Sarpanch/ Pradhan	Understanding of scheme components, routine O&M, preventive maintenance, asset tracking and infrastructure protection	Preventive maintenance protocols Operational & Energy efficiency practices Minor repairs maintaining O&M registers Asset register maintenance Digital asset mapping Infrastructure protection measures
Water Quality Safety & Health	VWSC Sujalam shakti groups SHG (Self Help Groups) AWW (Anghanwadi Worker) ASHA (Accredited Social Health Activist) PACS (Primary Agricultural Credit Society)	Understanding of water quality standards, testing procedure and public health linkages	FTK usage and reporting Sanitary inspection Awareness on disease water linkages Safe water storage practices Handwashing promotion

Functional Role	Key Stakeholders	Competency required	Capacity building areas
	LAMPS (Large Area Multi-Purpose Co-operative Society) GP Functionaries Operators		Diarrhoea prevention awareness School & Anganwadi water safety
Financial Governance & Accountability	VWSC GP Pradhan/ Sarpanch GP members	Ability to manage user charge systems, financial records and ensure institutional accountability	User charge setting Collection mechanism O&M cost estimation Book keeping and financial records integration with GP financial systems Functionality assessment of scheme/ Jal seva Ankalan Monitoring of service level benchmark Fund utilization monitoring
Community leadership & Grievance Redressal	VWSC Pradhan/Sarpanch SHG	Ability to mobilise communities, promote participation & address citizen feedback	Leadership and facilitation skills Gram Sabha engagement Participatory tools (Participatory Rural Appraisal (PRA) / Jan Bhagidari) Gender inclusive governance Demand management

Functional Role	Key Stakeholders	Competency required	Capacity building areas
			Conflict resolution Feedback mechanism Compliant tracking Complaints escalation protocols Citizen interface systems
Digital tools & Source sustainability	VWSC GP Secretary Pradhan/Sarpanch SHG	Ability to use digital monitoring systems and plan sustainable water resource management	Use of Sujalam Bharat platform Jal seva Ankalan IMIS and dashboards Data interpretation for decision making Yield and demand assessment Seasonal water risk planning Recharge measures Greywater management

Table 9: Capacity building framework at district level

Functional Role	Key Stakeholders	Competency required	Capacity building areas
O&M System Strengthening	DWSM DTU	Ability to design schemes, monitor their operation and maintenance, and optimize their performance.	Preparation of service improvement Plan from Jal seva ankalan data Preventive O&M protocols Asset management Energy efficiency

Functional Role	Key Stakeholders	Competency required	Capacity building areas
Water quality monitoring & surveillance	DWSM DTU Lab personnel	Ability to implement risk-based water quality management	Water Quality Management & Surveillance (WQM&S) systems Laboratory quality assurance & accreditation Water safety plan (WSP) implementation Fluoride/arsenic hotspot management Water quality surveillance protocol
Financial & Contract management	DWSM Executive Engineers (UPJN-Rural)	Ability to manage O&M finances and preparation of contract documents	Tendering & contract document preparation Performance based contract document preparation Third-party monitoring mechanism Financial risk assessment
Data & performance monitoring	DWSM DTU MIS personnel Third Party Inspection Agencies	Ability to use data analytics for scheme monitoring and improvement	KPI based scheme monitoring Digital reporting through IMIS Energy & Water audits Performance benchmarking across schemes Data validation protocols
Climate & Infrastructure Resilience	DWSM DTU	Ability to integrate climate resilience into infrastructure planning	Source sustainability and recharge measures Greywater management

Functional Role	Key Stakeholders	Competency required	Capacity building areas
			Drought and flood resilience planning Vulnerability mapping
Community interface & Grievance redressal	DWSM DTU	Ability to ensure district level service responsiveness and oversight	Service level communication frameworks Citizen grievance escalation systems Participatory oversight mechanism
Structural reforms & utility based service delivery	DWSM DTU	Ability to operationalize structural reforms for sustainable rural water service delivery	Creation of Sujalam Bharat digital architecture and unique scheme IDs. Jal Seva Ankalan for service assessment and improvement planning. Utility based service delivery framework for VWSCs. Institutional strengthening of VWSCs as micro utilities Digital assets registry and service benchmarking

5.3 Human Resources and Skilling

SWSM shall implement a robust human resource skilling ecosystem in the community level and district level to ensure the continuous availability of adequately trained personnel in accordance with Capacity building areas mentioned above. SWSM shall monitor the trainings as per monitoring framework described in the JJM 2.0 operational guidelines. SWSM shall empanel government institutions, and all trainings shall be delivered through such institutions, including ITIs, Polytechnics, Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs), and other government training centres. The operators/technicians shall be deployed preferably from trained local persons belonging to the respective Gram Panchayat during O&M.

CHAPTER 6 ASSET, TECHNOLOGY & PERFORMANCE OVERSIGHT

6.1 Asset and Inventory Management

Asset and inventory management in a piped water supply scheme involves the systematic documentation, tracking, and management of all physical components of the water supply system. This includes key infrastructure such as pipelines, motor-pumps, water storage tanks, water treatment plants, valves, and associated mechanical and electrical equipment. Effective asset and inventory management ensures transparency, efficient operation, timely maintenance, and proper planning for repair and replacement throughout the lifecycle of the system.

All assets of the water supply schemes, both under and outside the JJM mission, will be mapped on a centralized GIS platform for improved asset management. This asset management system will be integrated with the centralized monitoring platform implemented by SWSM.

DWSM/UPJN (Rural) shall ensure to maintain an asset inventory on the GIS based portal developed by SWSM/ NJJM. The inventory includes details of pipes, appurtenances, sources, civil infrastructure, FHTC's along with attributes such as diameter, make, capacity of reservoirs, ground elevation, pipeline route alignment and depth etc., a unique asset identification number shall be assigned to each asset for systematic tracking and management of infrastructure. This will also serve as a reference for leak detection and maintenance of the water supply system.

In case of pipeline replacement, or new expansion areas, the respective vendors/DTU/UPJN (Rural) must update the GIS portal after completion of the work. Payments for these works will be made only after asset updates on the portal.

6.2 Technology and Innovation

SWSM will develop the digital twins platform using integrated data from Sujalam Bharat Digital Project Infrastructure platform (DPI) and existing SCADA/ IoT systems installed across all the rural water supply schemes. These digital twins will support simulation of system behavior, scenario analysis and optimization of operations and infrastructure planning. This system enables end to end visibility from source to tap, integration of bulk and distribution systems, data driven planning and improved operational efficiency.

Data shall be collected through mobile and web-based applications, validated regularly, and used for performance monitoring, reporting, and decision-making.

Data governance practices shall ensure that all data is accurately recorded, securely stored, regularly validated, and made accessible to relevant stakeholders. Reporting shall be carried out on a daily, monthly, and annual basis to track operational performance of the schemes.

In the State, more than 80% of groundwater-based water supply schemes are designed on solar power. Furthermore, State will install solar panels to all water supply schemes wherever feasible, in phased manner across the state.

6.3 Command And Control Centre, Monitoring Performance

SWSM shall establish State-level and District level Command and Support Centers and provide regular guidance to DTUs for their effective operation, maintenance and management of water supply system. Command and Support Centers shall support routine system monitoring and timely responses by DTUs. This centers enable continuous monitoring of water supply system performance, data driven planning and prioritization of interventions, coordination across departments and administrative levels and prompt response to system failures, emergencies and service disruptions.

The SCSC operates under the State Water & Sanitation Mission (SWSM) and provides State-level operational oversight by consolidating information from district CSCs. It ensures early identification and resolution of systemic issues and acts as a link between districts and the national monitoring system

The DCSC serves as the operational monitoring Centre for rural water supply at the district level under DWSM. It acts as the first point of response for service delivery issues reported by Gram Panchayat/VWSCs.

Operational data from digital systems such as the Sujalam Bharat database, utility applications and other monitoring systems are integrated at District and State Command and Support Centers.

This platform shall monitor the daily activities carried out along the water supply schemes such as water supply operations, disinfection, distribution, water quality testing, maintenance and grievance handling. This command control Centre shall ensure that day-to-day functioning of water supply systems is digitally recorded, creating a reliable and continuous flow of data for monitoring, planning and decision-making.

CHAPTER 7 ANCILLARY

7.1 Evaluation and Impact Assessment

SWSM shall carry out the evaluation and impact assessment of water supply schemes to analyse whether rural households are receiving regular, adequate, and potable drinking water on a long-term and sustainable basis. The evaluation and impact assessment shall be carried out through Jal Seva Aankalan (JSA) by Gram Panchayat. States shall publish an annual Functionality Assessment Report based on aggregated JSA data.

JSA may progressively utilize operational data captured through digital platforms such as the Sujal Gaon App, including supply hours, water quality records, grievance data, and service delivery charge collection, to strengthen evidence-based community validation.

Apart from this, third-party evaluation and impact assessment shall be carried out by SWSM/DWSM through reputed institutions, which shall include the following parameters mentioned below. Inter-alia

- i. **Health outcomes** – Reduction in water-borne diseases and improvement in public health indicators
- ii. **Education outcomes** – Improved school attendance and decrease in dropouts
- iii. **Women's participation** – Engagement of women in SHGs, VWSCs, O&M roles, and water quality monitoring.
- iv. **Reduction in Woman's drudgery** – Minimizing the physical burden of collecting water from long distances. Women's empowerment by elevating living standards, increasing self-respect, and creating local employment opportunities.
- v. **Enhanced quality of life for the elderly** – Elimination of severe physical strain of fetching water from distant sources.
- vi. **Equitable water availability** – Water availability for all residents regardless of their economic / social status.
- vii. **Service delivery innovation** – Adoption of efficient and low-cost O&M systems
- viii. **Economic impact** - Economic impact due to savings in time, labor, and other factors, as well as employment opportunities resulting from water supply schemes.

SWSM may also establish mutual collaborations with engineering institutions for scheme assessment by engineering students through Jal Seva Adhyayan.

7.2 Amendments of the Policy

If any difficulty arises in the effective implementation of these rules, or if there is a need to interpret, clarify, or explain any provision, clause, or subject matter contained within the rules, the Department of Namami Gange and Rural Water Supply shall have the authority to take appropriate action to address such issues. For this purpose, the department may issue amended notifications, orders, guidelines, clarifications, or necessary amendments from time to time. Such actions may include providing interpretations of specific provisions, issuing supplementary operational guidelines, modifying procedures, or introducing amendments required to remove practical difficulties encountered during implementation. These measures shall be undertaken to ensure smooth administration, consistency in interpretation, and effective execution of the rules and policies governing rural water supply schemes. Any notification, clarification, or amendment issued by the Department of Namami Gange and Rural Water Supply in this regard shall be considered binding for all concerned authorities, institutions, and stakeholders, and shall be implemented accordingly to ensure the efficient operation, maintenance, and management of water supply schemes under the applicable policy framework.